खण्ड-192, अंक-5
शुक्रवार, 9 फाल्गुन, शक संवत् 1879
(28 फरवरी, 1958 ई0)

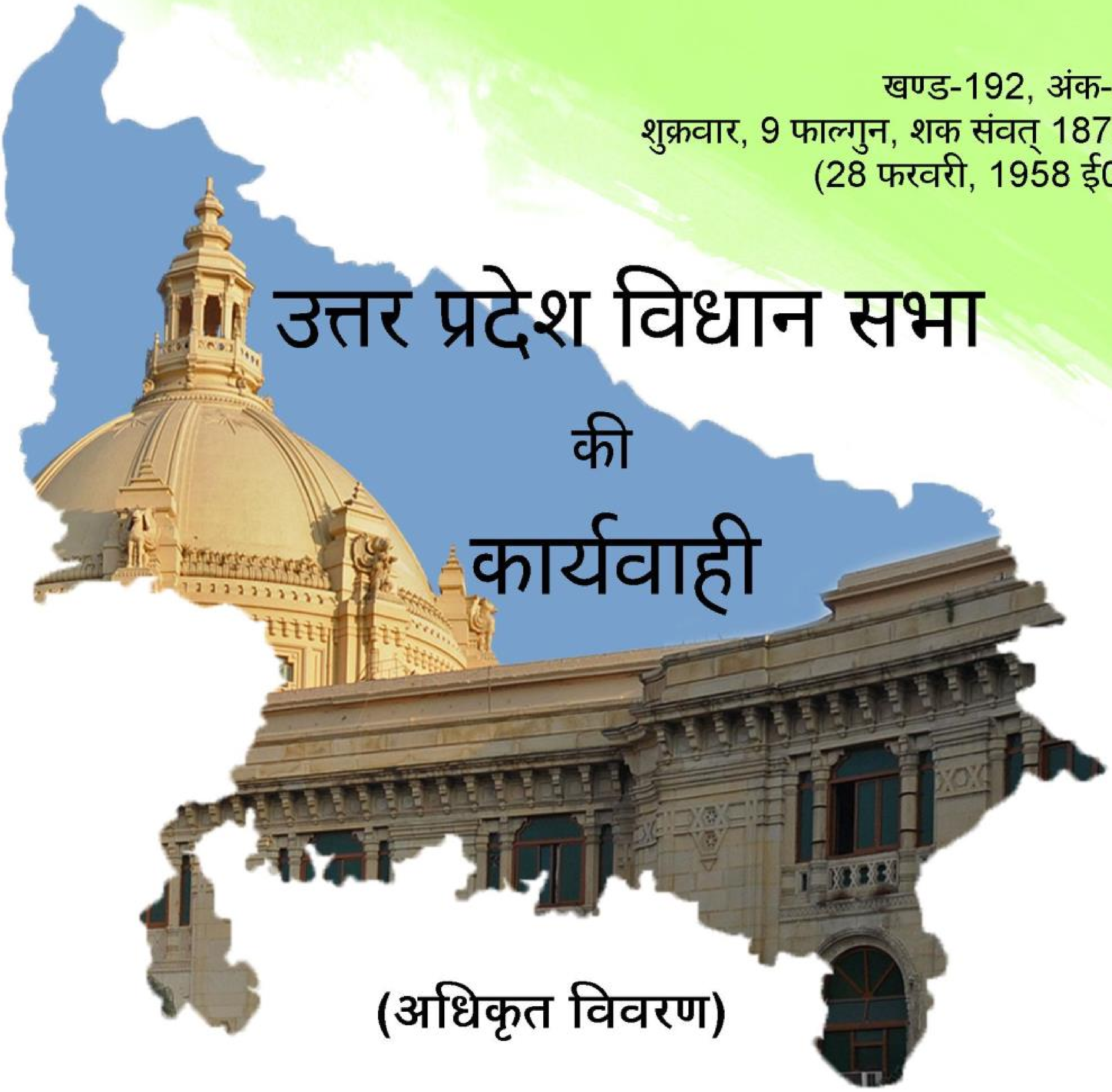

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 192 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २८ फरवरी, १९५८ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३२५)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमदबख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
किशनसिंह, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गजेंद्रसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रदेव, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त सिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
दवराम, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिका प्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर प्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास पासी, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुर सिंह, श्री
प्रतापभान प्रकाश सिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारी लाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकी राम, श्री
बृजबासी लाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दूबे, श्री

भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनपांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूदअली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूदअली खां, श्री (रामपुर)
महमूदअली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसेन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव , श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारी लाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद फ़ारूक़ चिश्ती, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुर सिंह, श्री
रघुवीर राम, श्री
रघुवीर सिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाष, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
राम प्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामशरण यादव, श्री
राम समझावन, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सूरत प्रसाद, श्री
राम स्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री

रूर्मासिह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथ सिंह, श्री
वजरंगबिहारी लाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती बाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशाल सिंह, श्री
विश्राम राय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज बहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शीतला प्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपाल सिंह, कुंवर
संग्राम सिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवन लाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सरस्वती देवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खन लाल, श्री
सुखरानी देवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
हरदयाल सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिश्चन्द्र सिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २८ फरवरी, १९५८ ई०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश सरकार के मुकदमों की पैरवी करने वाले वकीलों को रिटेनर

**१—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—उत्तर प्रदेशीय सरकार ने न्यू दिल्ली के एडवोकेटों को अपने मामलों की पैरवी के संबंध में गत वर्ष कितनी फीस दी? क्या एडवोकेट लोगों को कोई रिटेनर मिलता है?

न्याय उपमन्त्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—उत्तर प्रदेश सरकार के मुकदमों की देख-रेख के लिये सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में दो एडवोकेट हैं जिनके नाम निम्नांकित हैं:—

(१) श्री सी० पी० लाल, एडवोकेट आन रेकर्ड।
(२) श्री ज्ञानचन्द माथुर, स्टैंडिंग कौंसिल।

२—गत वित्तीय वर्ष में उनको शुल्क स्वरूप निम्नलिखित धनराशि दी गई है:—

श्री सी०पी०लाल	..	..	३४,६५० रुपये
श्री ज्ञानचन्द माथुर	..	..	४०० रुपये

(श्री माथुर के १८,१०० रुपये) के बिल जो गत वित्तीय वर्ष से संबंधित हैं इस चालू वर्ष में आये तथा पास किये गये।

३—श्री ज्ञानचन्द माथुर को ५०० रुपये मासिक सेवाशुल्क (रिटेनर) भी दिया जाता है जो उनकी उपरोक्त शुल्क की धनराशि में सम्मिलित नहीं हैं।

असाधारण तथा महत्वपूर्ण मुकदमों में सरकार की पूर्व अनुमति से एडवोकेट जनरल तथा श्री एस० पी० सिन्हा एडवोकेट सरकारी मुकदमों पर बहस करते हैं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार यह बतायेगी कि श्री सी० पी० लाल को भी कोई रिटेनर दिया जाता है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—कोई रिटेनर नहीं दिया जाता।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय न्याय मंत्री जी बतायेंगे कि जो श्री सी० पी० लाल को ३४ हजार ६ सौ ५० रुपये गत वर्ष दिये गये हैं वह कितने केसेज में दिये गये हैं?

न्याय मंत्री (श्री सैयदअली जहीर)—वह तो जितने काम हमारे सूबे के सुप्रीम कोर्ट में रहते हैं उनके लिये दिया गया है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार यह बतायेगी कि श्री सी० पी० लाल की सुप्रीम कोर्ट में सीनियर कौंसिल की स्टैंडिंग है या जूनियर कौंसिल की स्टैंडिंग है?

श्री सैयद अली जहीर—जैसा कहा गया है वह एडवोकेट आन रेकार्ड हैं। इसके मानी यह है कि ज्यादातर उनका काम मुकदमों की पैरवी का होता है। वैसे अदालत में जब जरूरत हो तो बहस भी करते हैं, लेकिन असली जिम्मेदारी उनकी यह नहीं है। यह जिम्मेदारी श्री ज्ञानचन्द माथुर की है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि जो यू० पी० के मामले सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं उनमें अपने ऐडवोकेट्स को देने के लिये रिटेनर या दैनिक फीस यू० पी० सरकार ने क्या तय कर रखी है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---पांच सौ रुपया मासिक रिटेनर फी भी श्री ज्ञानचन्द्र माथुर को दी जाती है बाकी अलग-अलग मुकदमे में अलग-अलग दैनिक फीस दी जाती है।

राज्य संबंधी मुकदमों की सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिये एजेन्सी

****२---**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या भारत सरकार ने कोई ऐसी एजेंसी बना रक्खी है जिसके द्वारा स्टेट के मुकदमें सुप्रीम कोर्ट में 'कांडक्ट' किये जाते हैं ? यदि हां, तो सरकार उनका उपयोग क्यों नहीं करती ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जी हां।

इस एजेंसी के उपयोग का प्रश्न सन् १९५० में उठा था, परन्तु इस राज्य सरकार ने उससे लाभ नहीं उठाया, क्योंकि वह शासकीय एवं आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं था। पुनः यह प्रश्न गत ला मिनिस्टर्स कान्फ्रेंस में, जो सितम्बर, १९५७ में नई दिल्ली में आयोजित हुई थी उठा था और उस पर राज्य सरकार अभी विचार कर रही है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---यह जो भारत सरकार ने एजेंसी बनायी थी, देश के अन्यान्य कितने राज्य इसमें सम्मिलित हुये ?

श्री सैयदअली जहीर---मुझे जहां तक खयाल है कि एक किसी हुकूमत ने इसमें शिरकत की है और सूबे शरीक नहीं हुये हैं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या यह सही है कि इस एजेंसी में भारत सरकार ने यह नियम बनाया था कि अगर राज्य सरकार सम्मिलित होती है तो उसे डेढ़ सौ रुपया महीना देना पड़ेगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जी नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि अगर कोई मुकदमा राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार पर करे तो क्या ऐसी स्थिति में यह एजेंसी राज्य सरकार की तरफ से लड़ेगी, इसकी भी कोई व्यवस्था है ?

श्री सैयदअली जहीर---खयाल तो यही है। वैसे हमने ज्वाइन तो किया नहीं, हम यह जानते नहीं हैं। लेकिन जब वह हमारे एजेंट होंगे तो हमारा मुकदमा अगर केंद्रीय सरकार के खिलाफ होगा तो वह भी वह करेंगे।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---इस एजेंसी के ज्वाइन करने से क्या सरकार को अपने मुकदमे में ऐटार्नी जनरल का भी लाभ हो सकता है ?

श्री सैयदअली जहीर---जी नहीं, वह तो तीन सालिसिटर्स हैं, वह हेल्प करते हैं और उन्हीं के जरिये से यह काम होता है। एटार्नी जनरल को अगर हम एन्गेज करेंगे तो वह उन्हीं सालिसिटर्स के जरिये ही करेंगे।

ऐडवोकेट आन रेकार्ड, सुप्रीम कोर्ट के कार्यालय के लिये नई दिल्ली में प्लाट खरीदने का विचार

****३---**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या यह सही है कि ऐडवोकेट आन रेकार्ड के रहने के लिये प्रदेशीय सरकार द्वारा एक लाख छिहत्तर हजार रुपये का प्लाट दिल्ली में लिया जा रहा है ? यदि हां, तो उस पर कितने रुपये की इमारत बनेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी नहीं। नई दिल्ली में कोई उपयुक्त इमारत न मिलने के कारण उत्तर प्रदश सरकार के एडवोकेट आन-रेकार्ड सुप्रीम कोर्ट के दफ्तर की अभी तक कोई सुविधा नहीं है इसलिये सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि वहां कोई मौके की जमीन खरीद कर एडवोकेट आन-रेकार्ड के दफ्तर की इमारत बनवाई जाय जिसमें उनके आवास तथा इस प्रदेश के सरकारी कर्मचारी जो मुकदमों के सिलसिले में वहां जाते हैं, उनके ठहरने की भी व्यवस्था हो सके। परन्तु अभी किसी विशेष जमीन के खरीदने और उस पर इमारत की लागत के विषय में कोई निर्णय नहीं हुआ है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार के पास गवर्नमेंट आफ इंडिया, मिनिस्ट्री आफ हाउसिंग, से इस प्रकार की बिल्डिंग बनवाने का कोई ऐसा प्रोपोजल आया था?

श्री सैयदअली जहीर—जी नहीं, एक दफा यह हुआ था। यह खयाल हुआ कि अगर हमको गवर्नमेंट आफ इंडिया से कोई जमीन मिल जाय तो हम यह इमारत बनवा लें। चुनान्चे मैं मिनिस्टर आफ हाउसिंग से मिला था और उनसे बातचीत करने के बाद उन्होंने एक जमीन हमें देने का वादा किया। लेकिन उसकी कीमत वह ढाई लाख रुपये से कुछ ज्यादा मांग रहे थे। वह छोटा सा टुकड़ा था ६ एकड़ का लेकिन वह सुप्रीम कोर्ट के पास था। उसके ऊपर गौर हुआ, लेकिन जैसा अभी जवाब में कहा गया है कि अभी हमने निर्णय नहीं किया है कि हम उसको लेंगे या किसी और प्लाट को लेंगे।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—अभी तक एडवोकेट आन रेकार्ड का दफ्तर कहां पर है?

श्री सैयदअली जहीर—अभी तो वह श्री सी०पी० लाल के पास एक मकान था, उसी में उनका दफ्तर भी था वह किराये पर था, लेकिन थोड़े दिनों से वह मकान नहीं है। दूसरे मकान की तलाश में हैं। अब तक बावजूद साल भर हो जाने के कोई दूसरा मकान नहीं मिला है। वह किसी दोस्त के यहां कुछ कमरे लेकर हैं और उन्हीं के यहां दफ्तर भी है।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या यह सही है कि केंद्रीय सरकार न जिस प्लाट की कीमत ढाई लाख रुपये बतायी थी प्रांतीय सरकार ने उसकी कीमत १ लाख ७६ हजार रुपये लगायी है।

श्री सैयदअली जहीर—जी नहीं, उसमें मोल तोल का कोई सवाल केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार में नहीं है। उसको छोड़कर के दूसरे प्लाट्स हम देख रहे हैं जो हमको १ लाख ७६ हजार रुपये में और इस तरह से मिल रहे हैं। कई प्लाट्स जेरेगौर हैं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार बतायेगी कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास दिल्ली में ट्रांसपोर्ट हाउस नाम का मकान है या उसका कोई गेस्ट हाउस है?

श्री सयदअली जहीर—मैं समझा नहीं किस नाम को पूछा उन्होंने। वैसे वहां पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का एक मकान है जिसमें उनका दफ्तर वगैरह है दिल्ली में और ओखले में प्रांतीय सरकार के इर्रीगेशन डिपार्टमेंट का एक डाक बंगला है और एक प्लाट नये डिप्लोमेटिक इन्क्लेव में भी हमने शायद लिया है। लेकिन वह अलग-अलग चीजें हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने दो वर्षों से एडवोकेट आन रेकार्ड और दूसरे ऐडवोकेट्स के दफ्तरों को समाप्त कर दिया है? यदि हां, तो यू० पी० सरकार क्यों अपने दफ्तर कायम किये हुए है?

श्री सैयदअली जहीर—मेरा खयाल है कि जो नाम खत्म हो गया है, वह सालिसिटर का है। सालिसिटर्स अब नहीं होते हैं। लेकिन ऐडवोकेट आन रेकार्ड तो अब भी होते हैं।

अमृत बाजार पत्रिका, इलाहाबाद के कर्मचारियों की बोनस और प्राविडेंट फंड की मांग

**४—श्री रामायणराय (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या उत्तर प्रदेश सरकार को श्रमजीवी पत्रकार कानून के अन्तर्गत श्रमजीवी पत्रकारों से क्लेम्स पेटीशन मिले ह, यदि हां, तो सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मन्त्री (आचार्य जुगल किशोर)—जी हां। अभी तक कुल ३२ क्लेम्स पेटीशन्स मिले हैं जो श्रमायुक्त की जांच के लिये भेजे गये हैं।

**५—श्री रामायणराय (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि अमृत बाजार पत्रिका (प्राइवेट) लिमिटड, इलाहाबाद के कर्मचारियों ने बोनस और प्राविडेन्ट फन्ड के बारे में गत वर्ष औद्योगिक विवाद दाखिल किया था ?

आचार्य जुगल किशोर—जी हां।

**६—श्री रामायणराय (अनुपस्थित)—यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ? सरकार ने मामला ट्रिब्यूनल को सुपुर्द किया है या नहीं ?

आचार्य जुगल किशोर—प्राविडेन्ट फंड के बारे में चार मांगें की गयी थीं :—

(क) सेवायोजक १९४६, १९४९, १९५१, १९५२ तथा १९५३ के प्राविडेंट फंड में अपना नियमित अंशदान दें।

(ख) कर्मचारियों की प्राविडेंट फंड पास बुक्स में अतिथि प्रविष्टियां की जायं।

(ग) फंड के प्रशासन के लिये एक उचित बोर्ड आफ़ ट्रस्टीज़ नियुक्त किया जाय।

(घ) फंड लेखा के रखरखाव का व्यय ट्रस्ट के फंड के बजाय कम्पनी के फंड से किया जाय। केवल १९५५ के बोनस का मामला इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल (जनरल) इलाहाबाद को अभिनिर्णय के लिये भेजा गया है।

देहरादून जिले के जौनसार बावर के क्षेत्र में अफीम की खेती पर प्रतिबन्ध

**७—श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देहरादून जिले के जौनसार बावर क्षेत्र में अफीम की खेती करने पर कोई आम प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ?

परिवहन राज्य मन्त्री (डक्टर सीताराम)—जी हां।

**८—श्री झारखंडेराय—यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—सम्पूर्ण देश में मद्यनिषेध योजना कार्यान्वित करने के लिये केन्द्रीय सरकार की निश्चित नीति के आधार पर इस प्रदेश में ३१ मार्च, १९५९ से अफीम का मौखिक प्रयोग पूर्णरूप से बन्द करने का निश्चय किया गया है। इसके अतिरिक्त हिमांचल प्रदेश में अफीम का प्रयोग बिल्कुल बन्द हो चुका है जो देहरादून तथा गढ़वाल जिल से मिला हुआ है, इसलिये यह आवश्यक समझा गया कि इन दोनों जिलों में अफीम की पैदावार बन्द कर दी जाय ताकि इन जिलों से हिमांचल प्रदेश अथवा इस प्रदेश के अन्य जिलों में अफीम का चोरी से निर्यात न किया जा सके।

**९—श्री झारखंडेराय—क्या सरकार बतायेगी कि इस प्रतिबन्ध को कब तक रखने का विचार है।

डाक्टर सीताराम—स्थायी रूप से।

श्री झारखंडेराय—क्या आबकारी मंत्री जी बतायेंगे कि यह प्रतिबन्ध देहरादून जिले के जौनसार-बावर एरिया में कब से लागू किया गया है ?

डाक्टर सीताराम—पहली अक्तूबर, १९५७ से।

श्री झारखंडेराय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब ३१ मार्च, १९५९ से अफीम की खेती सारे प्रदेश में बन्द कर दी जायगी उस समय दवाओं के लिये क्या व्यवस्था होगी, किसी विशेष भाग में दवाओं के लिये अफीम की खेती की जायगी अथवा पूरे प्रदेश में क्या व्यवस्था होगी ?

डाक्टर सीताराम—पहली अक्तूबर, १९५७ से तो यह बन्द कर दी गयी है। लेकिन ३१ मार्च, १९५९ से पूरे प्रदेश में कम्प्लीट बन्द कर दी जायगी अब जो खेती करने का प्रश्न है इस समय तो खेती बो दी है। इसके लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया से बातचीत की जायगी कि जो लोग पहली अक्तूबर, १९५७ के पहले से खेत बो चुके हैं उनको छोड़ दिया जाय।

श्री सूरतचन्द रमोला (जिला टेहरी-गढ़वाल)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उन काश्तकारों को जो हमेशा अफीम की खेती करते थे और जिनको इस योजना से नुक्सान होगा, उनके लिये कोई आलटरनेटिव इंतजाम सरकार कर रही है ?

डाक्टर सीताराम—एक्साइज कमिश्नर और डायरेक्टर आफ़ एग्रीकल्चर, दोनों अफसर मिल कर के एक योजना बना रहे हैं कि अफीम की खेती चली जाने के बाद किस तरह से खेती को तरक्की के रूप में परिणत करें, इस पर स्कीम बना रहे हैं।

श्री झारखंडेराय—मैंने यह सवाल किया था अध्यक्ष महोदय, जब खेती अफीम की पूरी तरह से बन्द हो जायगी तो उसके बाद दवाई के लिये जिस मात्रा में अफीम की जरूरत होगी इसके लिये सरकार क्या व्यवस्था करेगी ?

डाक्टर सीताराम—केन्द्रीय सरकार ओपियम ऐक्ट, १८५७ के सेक्शन १३ के अनुसार मेडिसनल परपजेज के लिये इंतजाम करेगी जिस तरह से भी करे, वह भविष्य में देखा जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या आबकारी मंत्री जी को ज्ञात है कि अपने प्रदेश में दूसरे प्रदेशों से अफीम का व्यापार लाखों रुपये का होता था ?

डाक्टर सीताराम—हां। पहले तो होता ही था।

तारांकित प्रश्न

आजमगढ़ जिले में हैजे से मृत्यु

*१—**श्री मुक्तिनाथ राय** (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रत्येक तहसील में, आजमगढ़ जिले में १, अप्रैल, सन् १९५७ से ३१ अक्तूबर, सन् १९५७ तक कुल कितने व्यक्ति हैजे से बीमार पड़े तथा कितने मरे ?

स्वास्थ्य उपमन्त्री (डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी)—आजमगढ़ जिले में तहसीलवार १ अप्रैल, १९५७ से ३१ अक्तूबर, १९५७ तक हैजा तथा गैस्ट्रोइन्ट्राइटिस से बीमार पड़ने वाले तथा मृत्यु को प्राप्त होने वाले व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :—

नाम तहसील	ग्रसित संख्या	मृत्यु संख्या
१—सदर तहसील	३१७	१०९
२—मुहम्दाबाद तहसील	९३१	२९९
३—लालगंज तहसील	४४५	१४१
४—सगरी तहसील	७०३	२७९
५—फूलपुर तहसील	५१९	१८६
६—घोसी तहसील	३८५	१२२
योग ..	३,३००	१,१३६

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में हैजे की रोकथाम के लिये किसी स्पेशल आफिसर की भी नियुक्ति की गयी थी? यदि हां, तो कब ?

कृषि मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—जब इसकी रिपोर्ट आई थी उसी वक्त वहां ऐडीशनल स्टाफ भेजा गया था।

आजमगढ़ में चीरफाड़ घर के स्थानान्तरण तथा सदर जनाना अस्पताल की नई इमारत बनवाने पर विचार

*२—**श्री मुक्तिनाथ राय**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या आजमगढ़ जिले में जो चीरफाड़ घर (Post-Mortem House) शहर में मुख्य सड़क पर है उसे अन्यत्र बनवाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो वह योजना क्या है?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—जी हां। योजना की रूपरेखा अभी तैयार नहीं है।

*३—**श्री मुक्तिनाथ राय**—क्या सरकार को पता है कि आजमगढ़ सदर जनाना अस्पताल की इमारत बहुत पुरानी है और इसका कुछ भाग मरीजों के रहने लायक नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार इसका पुनः निर्माण करने का विचार रखती है?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—यह सही है कि आजमगढ़ जनाना अस्पताल की इमारत पुरानी है। गत वर्ष यह सूचना प्राप्त हुई थी कि भवन के कुछ भाग के मरम्मत की आवश्यकता है। उसके लिये १३,००० रु० की धनराशि स्वीकृति की गई थी। नये भवन की निर्माण की योजना विचाराधीन है।

श्री मुक्तिनाथ राय—इस पोस्ट-मार्टम हाउस को बनाने के लिये सिविल सर्जन, आजमगढ़ या जिला ऐडवाइजरी कमेटी ने सरकार का ध्यान कब दिलाया था?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—फरवरी, सन् १९५६ में।

श्री मुक्तिनाथ राय—जनहित की दृष्टि से इसकी रूपरेखा कब तैयार हो सकी और नया पोस्ट-मार्टम हाउस कब तक तैयार हो जायगा?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसके लिये जमीन की तलाश हो रही है। अभी जमीन नहीं मिली है, ज्यों ही जमीन मिल जायगी इसका कार्य शुरू हो जायगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जमीन कब तक मिल जायगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--- यह बतलाना बड़ा मुश्किल है। तलाश बड़े जोरों से हो रही है।

बांकेगंज, जिला खीरी में हेल्थ यूनिट खोलने की योजना

*४---श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)---क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला खीरी में इस वर्ष कहां-कहां एलोपैथिक तथा आयुर्वेदिक अस्पताल खोले जायेंगे ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--- इस वर्ष बांकेगंज, जिला खीरी में एक प्राइमरी हेल्थ यूनिट (एलोपैथिक अस्पताल) खुलेगा। आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने की कोई योजना नहीं है।

श्री जगन्नाथ प्रसाद---क्या सरकार बतलायेगी कि कब तक इस अस्पताल में चिकित्सा का कार्य प्रारम्भ हो जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---बहुत जल्दी।

*५---श्री जगन्नाथ प्रसाद---[१४ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

सिसवाबाजार गन्ना जोन के हरपुर पकड़ी ग्राम में नलकूप के ठीक न लगने की शिकायत

*६---श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सिसवा बाजार गन्ना जोन में हरपुर पकड़ी ग्राम में स्थित ट्यूबवेल की लागत क्या है ?

कृषि मन्त्री के सभासचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)---२१,७८४ रुपये ३ पाई।

*७---श्री मदन पांडेय---क्या सरकार को यह मालूम है कि उक्त ट्यूबवेल ऐसे स्थान पर बनाया गया है जहां से पानी चारों तरफ जाने में रुकावट पड़ती है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--- यह नलकूप गांव से लगे बड़े बगीचे में ऊंची जमीन पर स्थित है।

*८---श्री मदन पांडेय---क्या सरकार उक्त ट्यूब-वेल के इस प्रकार असावधानतापूर्वक गाड़े जाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही कर रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--- प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मदन पांडेय--- क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इस ट्यूबवेल से अब तक कितने क्षेत्र की सिंचाई हो चुकी है और उससे कितनी आमदनी अब तक हुई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---नोटिस की आवश्यकता है।

श्री मदन पांडेय--- इस नलकूप से खेतों तक पानी पहुंचाने के लिये खेतों तक जो नाली बनी हुई है वह कच्ची है या पक्की है और उसमें कितनी लागत लगी हुई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--- कच्ची नाली है। कितना पैसा लगता है वह यूनियन बतला सकता है, मेरे पास इसकी सूचना नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर--- यह ट्यूबवेल बिजली से चलता है या डीजल आयल इंजन से चलता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन— बिजली का ट्यूबवेल है।

श्री उग्रसेन— क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि इस ट्यूबवेल से सिंचाई प्रति वर्ष परसेंटेज में कम होती चली जा रही है क्योंकि इसमें खराबी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यूनियन उसको चलाना प्राफिटेबिल नहीं समझता है

*९-१०—**श्री गनेशीलाल चौधरी** (जिला सीतापुर) [१४ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

इटावा जिले में हैजे की रोक-थाम के काम

*११—**श्री भजनलाल** (जिला इटावा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा में हैजे से अब तक कितनी मृत्यु हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन— इटावा जिले में अब तक हैजे (गैस्ट्रोइन्ट्राइटिस) से कुल ३४२ मृत्युयें हुई हैं।

*१२—**श्री भजनलाल** (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि ग्राम बकेवर, तहसील भरथना, जिला इटावा में विगत तारीख १७ व १८ अगस्त को एक ही परिवार के स्त्री पुरुष व भतीजी की मृत्यु हैजे से हो गयी ? यदि हां, तो सरकार की ओर से हैजे की रोक-थाम तथा इलाज के लिये उचित व्यवस्था क्यों नहीं की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन— जी हां। बकेवर ग्राम के एक मेहतर परिवार में विगत १७ व १८ अगस्त को ५ मौतें हैजा (गैस्ट्रोइन्ट्राइटिस) से हुई। जिनमें स्त्री, पुरुष व बच्चा तथा उसी घर की दो लड़कियां हैं।

बकेवर नगर में एक एपिडेमिक असिस्टेंट १५ अगस्त से बीमारी की रोकथाम के लिये काम कर रहा था। १८ व १९ अगस्त को बीमारी की रोकथाम तथा मरीजों की चिकित्सा की पूर्ण व्यवस्था की गई। जो व्यक्ति बाद को मर गये उनको भी उनकी रुग्णावस्था में उचित दवा दी गई थी। चिकित्सा के लिये जिला बोर्ड के अस्पताल लखना के डाक्टर को भी बकेवर ग्राम भेजा गया था। ग्राम में १,३०९ व्यक्तियों के हैजा निरोधक टीका लगाया गया साथ ही कुओं तथा घरों का निस्संक्रामीकरण किया गया।

*१३—**श्री भजन लाल** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह हैजे की रोक-थाम के लिए वहां पर क्या प्रबन्ध कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अब तक कुल मिलाकर ८,०९६ कुओं तथा १,३०४ बीमारी से ग्रसित घरों का निःसंक्रामीकरण किया जा चुका है और ९७,०९१ हैजा (गैस्ट्रोइन्ट्राइटिस) निवारक टीके लगाये जा चुके हैं। भरथना तथा जसवन्तनगर में डी० डी० टी० का छिड़काव भी मक्खियों को कम करने के लिये किया गया है। दो अस्थायी छुतहे अस्पताल एक भरथना और दूसरा विधूना में, बीमारी से ग्रसित मरीजों को विलग रखने तथा उनकी चिकित्सा के हेतु खोले जा चुके हैं और बीमारी की रोकथाम के लिये जिला स्वास्थ्य अधिकारी के कर्मचारीगण प्रयत्नशील रहे।

*१४—**श्री अमर नाथ** (जिला गोरखपुर)—[१४ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*१५-१६—**श्री यमुना सिंह** (जिला गाजीपुर)—[१४ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*१७--श्री गंगा प्रसाद सिंह (जिला बलिया)---[सामाजिक सुरक्षा मंत्री से संबंधित, १२वें बुधवार में प्रश्न संख्या १८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१८-१९---श्री गंगाप्रसाद सिंह---[सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किये गये।]

*२०-२१--श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)---[१४ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*२२--श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी (जिला आजमगढ़)---[सदस्य की प्रार्थना पर १४ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

गोरखपुर जिले में बागापार का कृषि फार्म

*२३--श्री अमरनाथ---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने गोरखपुर जिले की महाराजगंज तहसील में कोई कृषि फार्म बागापार ग्राम में आनन्द नगर शुगर मिल से खरीदा है? अगर हां, तो कितने में, और उसका रकबा क्या है?

श्री बलदेव सिंह आर्य--- हां, रकबा १०७'०३ एकड़ है। ५३,५१५ रु० में खरीदा है।

श्री अमरनाथ---क्या इस फार्म से संबंधित मुकदमा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चल रहा है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसकी सूचना की आवश्यकता है, मुझे नहीं मालूम।

आजमगढ़ जिले के मझवारा एलोपैथिक अस्पताल का भवन

*२४--श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के अन्तर्गत बनने वाला एलोपैथिक अस्पताल मझवारा का भवन निर्माण हो चुका है? यदि हां, तो कब?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---जी हां, भवन निर्माण कार्य के पूरे होने की सूचना सरकार को दिसम्बर, १९५७ में प्राप्त हुई थी।

*२५--श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मझवारा अस्पताल के भवन निर्माण के लिये सरकार द्वारा कितना रुपया प्रदान किया गया था तथा स्थानीय जनता की ओर से कितनी सहायता प्रदान की गई है?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---इस कार्य के लिये सरकार ने १७,००० रु० प्रदान किया तथा स्थानीय जनता की ओर से ७,००० रु० प्रदान किया गया।

*२६--श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या अब तक मझवारा अस्पताल के चलाने के लिये कोई डाक्टर नहीं भेजा गया है?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---जी हां।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अस्पताल में डाक्टर के अलावा दवा और कंपाउंडर भी नहीं भेजा गया है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अभी उसमें एक दिक्कत पैदा हो गई है। वह यह कि गवर्नमेंट आफ इंडिया के आदेशानुसार अब मेटरनिटी हेल्थ सेंटर खुले हुए हैं, एलोपैथिक अस्पताल नहीं खुल सकते हैं, इसलिये डायरेक्टर आफ हेल्थ से यह पूछा गया है कि कोई आल्टरनेटिव सजेशन बतावें। जिस वक्त आ जायगा उस वक्त स्वयं किया जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कम्पाउंडर और डाक्टर आदि भेजने की व्यवस्था कबतक हो सकेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जैसे ही उनका आल्टरनेटिव सजेशन आ जायगा और वह प्रेक्टिकेबिल समझा जायगा तो, वैसा ही करेंगे ।

महिला मंगल योजना तथा समाज कल्याण विभाग के कार्य को मिलाने की जानकारी

*२७—**श्रीमती चन्द्रावती** (जिला बिजनौर) (अनुपस्थित)—क्या ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है जिसके द्वारा महिला मंगल योजना तथा समाज कल्याण विभाग के कार्य को एक संयुक्त योजना मान कर कार्य किया जाय ? यदि हां, तो वह क्या है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं ।

एम्प्लायमेंट एक्सचेंज कार्यालय, झांसी से रोजगार मिलना

*२८—**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी एम्प्लायमेंट एक्सचेंज कार्यालय में सन् १९५४–५५, १९५५–५६ व १९५६–५७ में कितने लोगों के नाम नौकरियों के लिये दर्ज हुये और किस-किस वर्ष में कितने-कितने लोगों को नौकरियां दिलाई गईं ?

आचार्य जुगलकिशोर—झांसी एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज में दर्ज हुए तथा नौकरी से लगाये गये लोगों की संख्या १९५४–५५, १९५५–५६ व १९५६–५७ में निम्न प्रकार थी:—

		दर्ज हुए लोगों की संख्या		नौकरी से लगाये गये लोगों की संख्या
१९५४–५५	..	९,५२४	..	६२२
१९५५–५६	..	९,३०३	..	६११
१९५६–५७	..	८,४७२	..	५६१

*२९—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त कार्यालय के स्टाफ के वेतनादि व रखरखाव आदि में कितना रुपया वार्षिक व्यय होता है ?

आचार्य जुगलकिशोर—लगभग ३५,००० रु० वार्षिक ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी को यह पता है कि एम्प्लायमेंट एक्सचेंज वाले नौकरी से लगाये जाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा बतलाने के लिये ऐसे लोगों के नाम भी अपनी सूची में दर्ज कर लेते हैं जो मजदूरों के केन्द्रों पर खुद ही काम या नौकरी तलाश कर लेते हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी खर्च होने वाली बड़ी धनराशि और नौकरी से लगाये जाने वाले लोगों की न्यून संख्या को देखते हुए ऐसी कोई उपयोगी योजना रखेंगे जिससे कि वहां का आफिस ज्यादा कामयाब हो सके ?

आचार्य जुगलकिशोर—जहां तक होता है विभाग द्वारा, एम्प्लायमेंट एक्सचेंज द्वारा कोशिश की जाती है कि जिन व्यक्तियों के नाम वहां दाखिल होते हैं उनको अच्छी से अच्छी जगह लगाया जाय । यही एम्प्लायमेंट एक्सचेंज की योजना है । वह कोई एम्प्लायमेंट और जरिया निकालने का साधन नहीं है ।

श्री भुवनेश भूषण शर्मा (जिला इटावा)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि एम्प्लायमेंट एक्सचेंज से जो महीने या डेढ़ महीने के लिये ही खाली हुई जगहें दिला दी जाती हैं उनको भी मान लिया जाता है कि स्थान मिल गये ?

आचार्य जुगल किशोर--इसके लिये सूचना चाहता हूं ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--क्या माननीय मंत्री जी उन कारणों पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे जिनके कारण लगातार नौकरी से लगाये जाने वाले लोगों की संख्या कम हुई है ?

आचार्य जुगल किशोर--इसका कोई कारण तो मुझे मालूम नहीं पड़ता है । सम्भव है कि नौकरियों की सुविधा उनको नहीं प्राप्त हुई इसलिये नहीं लग सके ।

अखिल भारतीय चर्खा संघ द्वारा प्रमाणित संस्थाओं पर फैक्टरी ऐक्ट का लागू होना

*३०--**श्री झारखंडे राय**--क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि अखिल भारतीय चर्खा संघ द्वारा प्रमाणित संस्थाओं में प्रदेश भर में काम करने वाले कर्मचारियों पर फैक्टरीज ऐक्ट लागू है ?

आचार्य जुगलकिशोर--अखिल भारतीय चर्खा संघ द्वारा प्रमाणित संस्थाओं के उन सभी कर्मचारियों पर कारखाना अधिनियम, १९४८, लागू है जो उक्त अधिनियम की धारा २(ठ) में दी हुई "कर्मकार" की परिभाषा में आते हैं और जो साथ ही धारा २ (ड) में परिभाषित किसी "कारखाने" में नियोजित हैं ।

*३१--**श्री झारखंडे राय**--यदि हां, तो कब से, और नहीं, तो क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर--१९४९ के अप्रैल की प्रथम दिवस से अथवा उस दिनांक से जब से उपरोक्त प्रश्न से सम्बन्धित संस्थाओं पर कारखाना अधिनियम, १९४८ की धारा २(ड) में उल्लिखित "कारखाने" की परिभाषा लागू हुई ।

श्री झारखंडे राय--क्या श्रम मंत्री जी बतायेंगे कि चर्खा संघ द्वारा प्रमाणित संस्थाओं में ऐसे कौन लोग हैं जो कर्मकार की परिभाषा में नहीं आते या जिन पर यह फैक्टरीज ऐक्ट लागू नहीं है ?

आचार्य जुगलकिशोर--वही लोग कर्मकार माने जाते हैं जो ऐसे कारखानों में काम करते हैं जिन्हें फैक्टरी माना गया है और फैक्टरी उसी को माना गया है जहां पावर के बिना २० या २० से अधिक आदमी काम करते हों और पावर सहित १० या १० से अधिक आदमी काम करते हों । ऐसी फैक्टरियों में काम करने वाले सभी लोग कर्मकार माने जाते हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ऐसी फैक्टरीज की क्या संख्या है जिन पर फैक्टरीज ऐक्ट लागू है और जो अखिल भारतीय चर्खा संघ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में चलती हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर--यह प्रश्न तो इससे उठता नहीं है । माननीय सदस्य अगर इसकी सूचना दें तो मैं संख्या बतला सकूंगा ।

श्री झारखंडे राय--श्रीमन्, मैंने यह जानना चाहा था कि चर्खा संघ द्वारा प्रमाणित संस्थाओं में ऐसे कौन लोग हैं जो कर्मकार की परिभाषा में नहीं आते और जिन पर यह ऐक्ट लागू नहीं है ?

आचार्य जुगलकिशोर--मुझे तो माननीय सदस्य के प्रश्न से यही मालूम हुआ कि वे जानना चाहते हैं कि फैक्टरीज ऐक्ट किस पर लागू होता है और उसका मैंने जवाब दे दिया ।

परिवार नियोजन केन्द्र

*३२--श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस समय प्रदेश में परिवार नियोजन के कुल कितने केन्द्र खुले हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इस समय तक प्रदेश में कुल ८९ परिवार नियोजन केन्द्र खुल चुके हैं ।

*३३--श्री चन्द्रजीत यादव (अनुपस्थित)--क्या प्रदेश की बढ़ती हुई जन संख्या को ध्यान में रखते हुये सरकार परिवार नियोजन की योजना को देहातों में भी प्रसारित करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी क्या रूप-रेखा होगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १५० केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किये जायेंगे । इनमें से ३५ केन्द्रों की स्थापना के लिये इस वर्ष राजकीय स्वीकृति भेजी जा चुकी है । वे केन्द्र प्राइमरी हेल्थ सेन्टरों से संलग्न होंगे तथा इनमें एक समाज सेविका होगी जो कि जनता में इस विषय की ओर जागृत पैदा करेगी तथा महिलाओं को आवश्यक साधनों के परिचय के साथ इस सम्बन्ध में आवश्यक सम्मति देगी ।

वेश्याओं को लाइसेंस देने का सुझाव

*३४--श्री गनेशीलाल चौधरी (अनुपस्थित)--प्रश्न संख्या २७ और २८ दिनांक २०-९-५७ के प्रश्नोत्तर के संदर्भ में क्या सरकार प्रदेश में वेश्याओं को लाइसेंस देने पर विचार करेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर--अभी ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

लखनऊ का घातक बन्दर

*३५--श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि लखनऊ शहर में एक बन्दर ने १९५७ के उत्तरार्ध में बहुतेरे रिक्शा चालकों को जख्मी किया है ? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--लखनऊ शहर के केवल बलरामपुर चिकित्सालय में बन्दर द्वारा काटे हुये १६३ जख्मी व्यक्ति आये और उनमें से ५२ रिक्शा चालक थे ।

भैंसों के वध के सम्बन्ध में आंकड़ों की मांग

*३६--श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार कोई ऐसे आंकड़े इकट्ठे कर रही है जिससे यह पता लग सके कि उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन कितनी भैंस तथा भैंस के वंश का वध किया जाता है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जी नहीं ।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि भैंस और भैंस के वंश को वध किये जाने के आंकड़ों को इकट्ठा करने में सरकार को क्या कठिनाइयां हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--एनिमल हस्बेंडरी डिपार्टमेंट ऐसे आंकड़े नहीं इकट्ठा करता है, लोकल बाडीज करती हैं ।

जिला देवरिया में पडरौना अस्पताल के चालू होने में विलम्ब

*३७--श्री चन्द्रदेव तिवारी (जिला देवरिया)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पडरौना (देवरिया) में जो अस्पताल का भवन बना है उसमें राजकीय अस्पताल अभी चालू नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--जी हां, अभी अस्पताल चालू नहीं हो सका है, क्योंकि अस्पताल के मेडिकल आफिसर तथा अन्य कर्मचारियों के लिये निवास-स्थान का निर्माण नहीं हो पाया है और पडरौना में इस कार्य के लिये कोई भवन किराये पर उपलब्ध है नहीं ।

श्री चन्द्रदेव तिवारी--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि अस्पताल के कर्मचारियों के रहने के लिये जो इमारत नहीं है वह कब तक बनेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सरकार अभी बनाना नहीं चाहती है । हम चाहते हैं कि वहां के माननीय सदस्य और धनीमानी सज्जन बना दें तो बहुत अच्छा है ?

श्री चन्द्रदेव तिवारी--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यदि किराये पर इमारत मिल जाय तो कितनी जल्दी अस्पताल उसमें चालू किया जा सकता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--मकान रहने के लिये किराये पर मिल जाय तो उसमें हम फौरन चालू कर सकते हैं ।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी वहां के सबसे बड़े धनीमानी जो खेतान साहब हैं उनसे इस बात के लिये इशारा करेंगे कि वह कर्मचारियों के लिये मकान दे दें या बनवा दें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--माननीय प्रश्नकर्ता यदि इसमें मदद करें तो मैं कहने के लिये तैयार हूं ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अस्पताल से सम्बन्धित कर्मचारियों के रहने का कहां स्थान है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अभी तक अस्पताल ही नहीं खुला ।

लखनऊ रेस कोर्स के कर्मचारियों की कन्सिलियेशन बोर्ड के समक्ष शिकायतें

*३८--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ रीजनल कन्सीलिएशन आफिसर लखनऊ के सम्मुख रेस कोर्स के कर्मचारियों ने कितनी शिकायतें पिछले दो वर्षों में कन्सीलिएशन बोर्ड के विचारार्थ भेजीं ?

आचार्य जुगलकिशोर--पिछले दो वर्षों में कुल १३ विवाद कन्सीलिएशन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत हुए ।

*३९--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त शिकायतों में से कितनों में समझौता हुआ और कितनी 'एडजुडीकेशन' हेतु सरकार द्वारा एडजुडीकेटर के पास भेजी गईं ?

आचार्य जुगुलकिशोर--विवादों में समझौता हुआ, १ यूनियन द्वारा वापस ले लिया गया, ८ तथ्यहीन होने के कारण सरकार द्वारा रद्द कर दिये गये तथा शेष २ अभी सरकार के विचाराधीन हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि ऐसे ८ मामले जिन पर न तो समझौता हो सका और न सरकार द्वारा ऐडजूडिकेशन में भेजे गये, तो ऐसे मामलों को तय करने की और क्या व्यवस्था है ?

आचार्य जुगलकिशोर--उनके तय करने की और व्यवस्था नहीं है । जब सरकार यह समझती है कि ऐडजूडिकेशन में भेजने के लायक नहीं हैं तो वे रद्द कर दिये जाते हैं ।

श्री राजनारायण--क्या सरकार के पास ऐसी शिकायत आयी है कि जो मामले कंसिलियेशन में तय नहीं होते उनसे मजदूरों का अहित होता है और इसलिये उनको ऐडजूडिकेशन में भेजना जरूरी है ?

आचार्य जुगलकिशोर--जी नहीं ।

श्री राजनारायण--क्या सरकार कारण बतलायेगी कि क्यों सरकार ऐडजूडिकेशन के पास उन मामलों को भेजना नहीं चाहती है ?

आचार्य जुगलकिशोर--इसलिये कि जिसको सरकार समझती है कि यह मामला ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर ऐडजूडिकेशन में भेजा जाय उसको नहीं भेजती है । यहां सरकार अपना डिस्क्रीशन इस्तेमाल करती है । इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट में यह डिस्क्रीशन गवर्नमेंट के हाथ में रहता है । यही कारण है कि बहुत से डिस्प्यूट ऐडजूडिकेशन में नहीं भेजे जाते । ऐसे डिस्प्यूट जिन पर फैसला हो सकता है उनको सरकार अपने पास विचार के लिये रख लेती है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार उन मामलों पर विचार करने का विचार रखती है जिन पर न समझौता हो सका और न ऐडजूडिकेशन को ही भेजे गये ?

आचार्य जुगलकिशोर--जिनको शिकायत होती है उनको यह अख्तियार होता है कि वह गवर्नमेंट के पास रिप्रेजेन्टेशन करें कि रेफरेंस नहीं किया गया है ।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिन केसेज में समझौता नहीं हो सका और वे ऐडजूडिकेशन को भी रेफर नहीं किये गये, उनके लिये वह कोई मशीनरी इंवाल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, या भविष्य में ऐसी कोई मशीनरी बनाने का उनका विचार है?

आचार्य जुगलकिशोर--ऐसा कोई विचार नहीं है ।

श्री राजनारायण--क्या सरकार के पास मजदूर प्रतिनिधियों की तरफ से यह शिकायत आयी है कि जिन मामलों में समझौता नहीं होता उन मामलों में मजदूरों का अहित ही होता रहा है और मिलमालिकों की अड़ंगेबाजी के कारण समझौता नहीं होता ?

आचार्य जुगलकिशोर--जहां तक मेरा ख्याल है ऐसी कोई शिकायत मेरे पास नहीं आयी है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी उन केसेज का संक्षिप्त विवरण देने की कृपा करेंगे कि जिन में न समझौता हो सका और न वे ऐडजूडिकेशन के लिये भेजे गये ?

आचार्य जुगलकिशोर--यह तो बड़ा लम्बा प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--एक उदाहरण दे दें । वह जानना चाहते हैं कि ऐसे केसेज किस टाइप के होते हैं ।

आचार्य जुगलकिशोर--यह एक केस चौकीदार के बारे में था । यह कहा गया था कि उसका ट्रान्सफर कर देना चाहिये जो उसकी पहली जगह थी वहां और उसको ओवरटाइम पे किया जाना चाहिये और इसी तरह से एक रंगबहादुर चौकीदार था जिसको ओवरटाइम करने के बारे में था । लेकिन यह मालूम हुआ कि ऐसे कोई नियम वहां पर नहीं है कि जिनकी बिना पर उसको वहां भेज दिया जाय । इस ख्याल से इस डिस्प्यूट को वहां पर रेफर नहीं किया गया ।

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, भटनी, जिला देवरिया

*४०—श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—क्या सरकार को ज्ञात है कि भटनी (देवरिया) में किसी प्रकार की राजकीय स्वास्थ्य व्यवस्था जनता के लिये नहीं है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—इस स्थान पर एक राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय कार्य कर रहा है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह आयुर्वेदिक अस्पताल कब से काम कर रहा है और प्रतिवर्ष सरकार इसको कितना अनुदान देती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अनुदान के लिये नोटिस की आवश्यकता है और कब से चल रहा है इसको माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं ।

देवरिया जिले से बुढ़ापे की पेन्शन के लिए आवेदन-पत्र

*४१—श्री रामायणराय (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले के कितने व्यक्तियों ने बुढ़ापे की पेन्शन के लिये आवेदन-पत्र दिया है ?

आचार्य जुगल किशोर—अब तक देवरिया जिले के ७१ व्यक्तियों ने बुढ़ापे की पेन्शन के लिये आवेदन-पत्र दिया है ।

डफरिन चिकित्सालय, गोरखपुर में डाक्टरों को बढ़ाने की मांग

*४२—श्री अमरनाथ—क्या सरकार डफरिन चिकित्सालय, गोरखपुर में डाक्टरों की संख्या में वृद्धि करने का विचार कर रही है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—यह प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री अमरनाथ—यह विचार कब तक हो जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—बहुत जल्द ।

श्री राजनारायण—यह विचार कब से चल रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—थोड़े दिन से ।

श्री उग्रसेन—कितनी मांगें डफरिन अस्पताल गोरखपुर में अधिक स्टाफ बढ़ाने के लिये वहां की जनता से माननीय मंत्री जी के पास आयी हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जनता की तरफ से नहीं आयी हैं। डाइरेक्टर आफ हेल्थ ने सिफारिश की है कि एक पोस्ट पी० एम० एस० क्लास २ की वहां और बढ़ा दी जाय ।

फर्रुखाबाद जिले के कुछ भागों में धान की खेती का क्षेत्र

*४३—श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में १९५५-५६ और १९५६-५७ में परगना सोरिख, सकरावा, सकतपुर तिर्वा में धान की खेती का रकबा कितना था ?

*४४—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले के सोरिख, सकरावा, सकतपुर, तिर्वा परगनों में १९५५-५६ व १९५६-५७ में धान की खेती की सिंचाई का रकबा कितना था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--आवश्यक सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४३८ पर)

स्वर्गीय रामनारायण सिंह, प्रोप्राइटर बुलन्दशहर डेरी फार्म, बोधपुरा, जिला जालौन को सहायता

*४५--**श्री गोविन्दनारायण तिवारी** (जिला जालौन) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन में सन् १९४८ से अब तक कितना रुपया डेरी फार्म खोलने के लिये दिया गया और किस-किस को ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जिला जालौन में सन् १९४८-४९ से अब तक केवल स्वर्गीय रामनारायण सिंह, प्रोप्राइटर बुन्देलखंड डेरी फार्म, बोधपुरा को १०,००० रु० सहायता (subsidy) तथा १०,००० रु० ब्याज रहित ऋण डरी खोलने के लिये दिया गया था।

वाराणसी जिले में समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी

*४६--**श्री ऊदल** (जिला वाराणसी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस समय वाराणसी जिले में समाज कल्याण विभाग में कितने कर्मचारी स्थायी या अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं ?

समाज कल्याण उपमन्त्री (श्रीमती प्रकाशवती सूद)--वाराणसी जिले में समाज कल्याण विभाग के चार कर्मचारी अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं।

श्री ऊदल--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये ४ कर्मचारी कितने दिन से काम कर रहे हैं ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद--सूचना की आवश्यकता है।

श्री ऊदल--इन चारों कर्मचारियों का काम क्या है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद--इनमें २ सहायक समाज कल्याण अधिकारी हैं, १ लिपिक है तथा १ चपरासी है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--इनमें कितने पुरुष और कितनी महिलायें हैं ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद--चारों पुरुष हैं।

*४७-४९--**श्री रामगोपाल गुप्त** (जिला हमीरपुर)--[हटा दिये गये।]

छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद में जनाना अस्पताल खोलने का आयोजन

*५०--**श्री कोतवालसिंह भदौरिया** (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में छिबरामऊ कस्बे में सरकार की तरफ से जनाना अस्पताल खोलने का जो निश्चय था उसके अनुसार वह अस्पताल कब तक खुल जायेगा ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद में जनाना अस्पताल के लिये भवन निर्माण का प्रबन्ध किया जा रहा है। भवन तैयार हो जाने पर ही अस्पताल का खोलना सम्भव हो सकेगा।

श्री कोतवालसिंह भदौरिया--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस जनाना अस्पताल के भवन निर्माण के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हो चुकी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—३० अक्तूबर, १९५७ को हुकुम जारी कर दिया गया है और उसके प्लान और एस्टीमेट बनकर आये हैं, जो विचाराधीन हैं ।

श्री कोतवालसिंह भदौरिया—यह भवन निर्माण कार्य कब तक समाप्त हो जायेगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसकी डेट फिक्स करना बड़ा मुश्किल है ।

श्री कोतवालसिंह भदौरिया—इस पर कितना रुपया खर्च किया जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह एस्टीमेट और प्लान एग्जामिन करने के बाद निश्चय होगा ।

गोंडा जिले के बरसड़ा ग्राम में बेगार लेने की शिकायत

*५१—श्री उग्रसेन—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह ग्राम बरसड़ा, थाना तरबगंज, जिला गोंडा, में बेगार लेने की प्रथा द्वारा ज्यादती करने वालों के विरुद्ध कोई मुकदमा चला रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर—बेगार या ज्यादती की कोई शिकायत सरकार के पास नहीं आई । अस्तु प्रश्न नहीं उठता ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी के विभाग ने इससे सम्बन्धित थाने से सूचना प्राप्त करने का प्रयत्न किया कि कोई रपट इससे सम्बन्धित हुई है या नहीं ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां, ऐसा मालूम हुआ कि एक शिकायत थाने पर आई थी जिसकी जांच की गई । वह मारपीट के सम्बन्ध में और बेगार लेने के सम्बन्ध में थी। लेकिन जहां तक बेगार लेने की शिकायत का सम्बन्ध था, वह तथ्यहीन थी और इसलिये आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

श्री राजनारायण—आखिर वह मारपीट हुई क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर—ये कुछ आपस के जमीन के झगड़े होंगे, इसमें कोई इसका जिक्र नहीं है ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार पुनः जांच करावेगी कि यह सत्य है कि बेगार लेने के लिये वहां के एक्स-ताल्लुकेदारों ने हरिजनों को अब भी परेशान किया है और बराबर बेगार लेने के सतत् प्रयत्न करते हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—यदि कोई निश्चित शिकायत हो तो जांच की जावे ।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार इस रपट के मजमून को ध्यान में रखते हुए यह बताने की कृपा करेगी कि उसमें बेगार के सिलसिले में मारपीट करने का जिक्र है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जहां तक मुझे शिकायत के पढ़ने से मालूम हुआ है, बेगार के सम्बन्ध में ही वह मारपीट नहीं हुई थी, परन्तु और अन्य कारणों से भी हुई थी ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—जिन व्यक्तियों में मारपीट हुई उनके नाम क्या हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—मेरे पास नाम इस समय नहीं हैं ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार सदन के सामने उस रपट का मजमून पढ़ने की कृपा करेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर—मेरे पास रिपोर्ट इस फाइल में नहीं है ।

हरदोई जिले के बीज गोदाम

*५२--श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि हरदोई जिले में कृषि विभाग की ओर से कितने सीड स्टोर और कहां-कहां हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--हरदोई जिले में निम्नलिखित स्थानों पर ११ बीज गोदाम हैं :

(१) हरदोई,
(२) संडीला,
(३) शाहाबाद खास,
(४) बिलग्राम खास,
(५) मल्लावां खास,
(६) कोढ़ा खास,
(७) सांडी खास,
(८) हरपालपुर,
(९) हरियावां,
(१०) बेनीगंज,
(११) टोडरपुर खास।

*५३--श्री मोहनलाल वर्मा (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि जून, १९५७ तक किन-किन सीड स्टोरों का कितना-कितना गल्ला किस-किस काश्तकार पर बकाया रह गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सूचना एकत्र करने तथा उत्तर तैयार करने में जितना समय और धन लगेगा वह प्राप्त ध्येय के अनुरूप न होगा।

फतेहपुर जिले में खुलने वाले चिकित्सालय

*५४--श्री वासुदेव दीक्षित (जिला फतेहपुर)--क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले में १९५७-५८ में कितने और कहाँ-कहाँ आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक तथा एलोपैथिक औषधालय सरकार खोलने का विचार कर रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--धाता नामक ग्राम में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिसमें एक अस्पताल, ४ जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य केन्द्र, १ सफाई निरीक्षक तथा एक स्वास्थ्य निरीक्षक होता है, खोला जा रहा है।

इस वर्ष जिला फतेहपुर में आयुर्वेदिक तथा यूनानी या होम्योपैथिक औषधालय खोलने का कोई विचार नहीं है।

*५५--श्री वासुदेव दीक्षित--क्या सरकार फतेहपुर जिले में हथगांव, चाँदपुर की एलोपैथिक डिस्पेन्सरीज की इमारत बनाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--इसके विषय में अभी निश्चय नहीं हुआ है।

श्री वासुदेव दीक्षित--क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि धाता ग्राम में प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र कब तक खुल जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जल्द खुलेगा, लेकिन कोई तारीख निश्चित करने में बड़ी दिक्कत होती है।

श्री वासुदेव दीक्षित--क्या वहां एलोपैथिक औषधालय खुलेगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी नहीं, एलोपैथिक तो वही प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स खुलेंगे ।

श्री सूरजबली पांडेय (जिला देवरिया)---क्या मन्त्री जी को ज्ञात है कि फतेहपुर में राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत गोपालगंज स्थान के लिये राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्र की परामर्श-दात्री समिति ने प्रस्ताव पास करके भेजा है कि वहां एलोपैथिक अस्पताल खोला जाय जिसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---सम्भव है, भेजा हो और वह विचाराधीन हो ।

बिजनौर के जिला स्वास्थ्य अधिकारी

*५६---श्री नरदेवसिंह दतियानवी (जिला बिजनौर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बिजनौर के जिला स्वास्थ्य अधिकारी कितने वर्षों से वहां हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---बिजनौर के वर्तमान जिला स्वास्थ्याधिकारी ९ दिसम्बर, १९५७ से वहां हैं ।

*५७---श्री नरदेवसिंह दतियानवी (अनुपस्थित)---क्या यह सत्य है कि १९५६ व १९५७ में दो बार उनका स्थानान्तरण हुआ था और जो अधिकारी उनके स्थान पर वहां गये, उन्हें चार्ज नहीं दिया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी नहीं ।

*५८---श्री वंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)---[१४ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

रोहली, जिला फर्रुखाबाद में कुम्हार सम्मेलन की मांगें

*५९---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या सरकार का ध्यान २१ जुलाई, १९५७ को रोहली जिला फर्रुखाबाद में होने वाले उत्तर प्रदेशीय कुम्हार सम्मेलन की मांगों की ओर गया है ? अगर हां, तो सरकार ने उनके सम्बन्ध में क्या किया ?

हरिजन कल्याण मन्त्री के सभासचिव (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)---जी हां, मामला विचाराधीन है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या निकट भविष्य में इसका निर्णय हो जाने की आशा है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---संबंधित विभागों से जैसे उद्योग, लेजिस्लेटिव हैं, उत्तर आते ही शीघ्र विचार और निर्णय किया जायगा ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या मंत्री जी मुख्य मांगों को संक्षेप में सदन के सामने रखने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---पहली मांग थी कि कोई जमीन निश्चय कर दी जाय जहां से वे मिट्टी लेकर बर्तन बना सकें, भट्ठे के लिये कंकड़ दिये जावें, खुर्जे की पाटरी की स्कीम में २० स्थान में से ५ के बजाय अधिक दिये जावें, काउन्सिल में कोई एक मेम्बर कुम्हारों का नामीनेट कर दिया जाय, इस तरह की २, ४ मांगें और हैं ।

फर्रुखाबाद में इन्फ्लुएंजा की रोक-थाम पर व्यय

*६०—श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत इन्फ्लुएंजा की बीमारी से फीरोजाबाद नगर में कितने बीमार हुए थे ? तथा सरकार और नगरपालिका ने बीमारी की रोक-थाम में कितना खर्च किया था ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—गत इन्फ्लुएंजा की बीमारी से फीरोजाबाद नगर में १४,८०३ व्यक्ति बीमार हुए । बीमारी को रोकने के लिये सरकारी आयुर्वेदिक व एलोपैथिक अस्पतालों में वितरण की गई दवाइयों के अतिरिक्त सरकार द्वारा २,२०० रु० तथा नगरपालिका द्वारा ९१४ रु० का अतिरिक्त व्यय भी किया गया ।

श्री जगन्नाथ लहरी—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेदिक और एलोपैथिक अस्पतालों के लिये सरकार के २,२०० रु० और नगरपालिका के ९१४ रुपये के अतिरिक्त जो व्यय हुआ है, वह किस सम्बन्ध में खर्च किया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—डिटेल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन उपचार में ही खर्च हुआ और इसीलिये एक भी आदमी मरने नहीं पाया ।

श्री जगन्नाथ लहरी—माननीय मन्त्री जी ने अभी कहा कि एक भी आदमी मरने नहीं पाया । क्या उनको पता है कि एक से ज्यादा आदमी मरे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इन्फ्लुएंजा से केवल एक ही आदमी मरा ।

श्री जगन्नाथ लहरी—क्या माननीय मन्त्री जी को पता है कि रेलवे स्टाफ का एक क्लर्क, उसकी बहन और मैनेजर, एडवान्स ग्लास वर्क्स, मिस्टर दत्ता की मृत्यु भी इन्फ्लुएंजा से हुई थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह ज्ञात नहीं है ।

बलिया जिले में अगहनी धान की फसल को क्षति

*६१—श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले में साधारणतया कितनी रबी की फसल बोई जाती है और कितनी खरीफ की ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

					एकड़
खरीफ	..	..	..	..	३,८३,७०२
रबी	..	..	..	..	३,९०,५५३

*६२—श्री गौरीशंकर राय (अनुपस्थित)—इस वर्ष बलिया जिले में कितने एकड़ भूमि में अगहनी धान की फसल बोई गई थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—१,२१,६५८ एकड़ ।

*६३—श्री गौरीशंकर राय (अनुपस्थित)—इस वर्ष सूखे के कारण अगहनी धान में कितनी क्षति का अनुमान है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

बलिया में ८ से १२,
बासडीह में ९, और
रसड़ा में ८ से १६
आना रुपये में ।

*६४–६५—श्री शिवराज बहादुर (जिला बरेली)—[१४ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*६६–६७—श्री लालबहादुर सिंह (जिला जौनपुर)—[१४ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*६८–७०—श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)—[१४ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

बाराबंकी जिले की कल्याण विस्तार योजनायें

*७१—श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ल (जिला गोंडा)—क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन् १९५६–५७ ई० में कल्याण विस्तार योजनायें बाराबंकी जिले में कहां-कहां खोली गई और उनके खोलने के उद्देश्य क्या हैं?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—सन् १९५६–५७ में बाराबंकी जिले में कल्याण विस्तार योजना के अन्तर्गत पांच केंद्र क्रमशः कोटवाधाम, दानापुर, अद्रा, खनुरी और कस्बा इचोली में खोले गये। ये केंद्र ग्रामीण महिलाओं, बच्चों, आदि के कल्याण के लिये खोले गये हैं तथा इनके कार्यक्रम निम्न प्रकार हैं—

(१) बालबाड़ी, (२) महिला प्रौढ़ शिक्षा, (३) हस्तकला प्रशिक्षण, (४) प्रसूतिका सेवा तथा सामान्य चिकित्सा, (५) मनोरंजन क्रियायें, (६) श्रमदान, आदि।

*७२—श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ल—क्या समाज कल्याण मंत्री को ज्ञात है कि जिला बाराबंकी में १९५६–५७ में खोली गई कल्याण विस्तार योजनायें एक ही तहसील में केंद्रित हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—जी हां, ये सब केंद्र तहसील रामसनेहीघाट में स्थित हैं। इसका कारण यह है कि केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली ने इसी क्षेत्र में केन्द्र खोलने की अनुमति दी है। इसके अतिरिक्त इन केंद्रों की समुचित देखभाल व संगठन के लिये यह आवश्यक है कि ये केंद्र एक सीमित क्षेत्र में चलाये जायें।

*७३—श्रीमती सरस्वतीदेवी शुक्ल—क्या समाज कल्याण मंत्री बाराबंकी जिले में गणेशपुर, रामनगर, सआदतगंज ग्रामीणों में कल्याण विस्तार योजना केंद्र खोलने की व्यवस्था करने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक तथा उन पर कितना धन व्यय होगा?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—जी नहीं, क्योंकि कल्याण विस्तार योजनायें केंद्र केवल केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के निर्देशानुसार खोली जा सकती हैं। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने अनिश्चित काल के लिये नये केंद्र खोलने की स्वीकृति देना स्थगित कर दिया है।

श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ये पांच केंद्र कितनी मील की परिधि में हैं?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—इसकी सूचना तो मेरे पास इस समय नहीं है। यदि माननीया सदस्या चाहेंगी तो उसका क्षेत्रफल बताया जा सकेगा।

श्रीमती सरस्वतीदेवी शुक्ल—क्या सरकार बतायेगी कि इन पांचों केंद्रों से गतवर्ष कितने व्यक्तियों ने लाभ उठाया?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—२५ हजार की आबादी के अन्दर ५ केंद्र चालू होते हैं, उसमें अलग-अलग केंद्रों पर अलग-अलग विभागों से बहनें लाभ उठा रही हैं। संख्या के लिये सूचना की आवश्यकता है। सूचना इकट्ठा करके दी जा सकती है।

श्री उग्रसेन—क्या सरकार बतायेगी कि इन पांचों केंद्रों पर प्रदेश के राजस्व का कितना व्यय होता है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—५ केंद्रों के हर प्रोजेक्ट पर २५,००० रु० कुल खर्च होता है जिसमें से ५० प्रतिशत केंद्रीय बोर्ड से और २५ प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा प्राप्त होता है। २५ प्रतिशत लोकल कंट्रीब्यूशन द्वारा वहां इकट्ठा किया जाता है।

सहारनपुर जिले के देहाती मजदूरों को रोजगार दिलाने की प्रार्थना

*७४—**श्रीमती शकुन्तला देवी** (जिला सहारनपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला सहारनपुर के देहाती मजदूरों के लिये जीविका का क्या प्रबन्ध कर रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर—अन्य जिलों की भांति द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में जिला सहारनपुर में भी विभिन्न कृषि, सिंचाई, सड़क निर्माण आदि से संबंधित योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं जिनसे जिले की आर्थिक उन्नति के साथ-साथ लोगों को रोजगार मिलेगा। इस जिले के देहाती मजदूरों के लिये ही विशेष कर कोई योजना अलग से चलाने की व्यवस्था नहीं है।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन देहाती मजदूरों के लिये भी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू है या नहीं ?

आचार्य जुगलकिशोर—जो देहात के मजदूर कृषि संबंधी काम करते हैं, उनके लिये लागू है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इन मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी कितनी मिलती है और अधिकतम मजदूरी कितनी मिलती है ?

आचार्य जुगलकिशोर—२६ रु० महीना न्यूनतम मजदूरी है।

*७५—**श्रीमती शकुन्तला देवी**—[१७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

सहारनपुर जिले में खुलने वाले चिकित्सालय

*७६—**श्रीमती शकुन्तला देवी**—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहारनपुर के ग्रामों में शहर के अस्पताल दूर होने के कारण वहां वह मर्दाने तथा जनाने अस्पताल खोल रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—जिला सहारनपुर में लक्सर में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा विहारीनगर में एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय चालू वर्ष में खोला जाना स्वीकृत हुआ है। जनाना चिकित्सालय खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्रीमती शकुन्तला देवी—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि लक्सर का प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र तथा विहारीनगर का आयुर्वेदिक चिकित्सालय कब तक सुचारु रूप से कार्य करने लगेगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—बहुत जल्दी।

श्रीमती शकुन्तला देवी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लक्सर और विहारी नगर के चिकित्सालय में कितने कर्मचारियों को कार्य करने की सुविधा मिलेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इस वक्त तो तादाद नहीं बतलायी जा सकती है।

गाजीपुर जिले में चेचक से मृत्यु

*७७---**श्री पब्बरराम** (जिला गाजीपुर)---क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जिले में मार्च सन् १९५७ से लेकर दिसम्बर सन् १९५७ तक कितने व्यक्ति चेचक से मरे? मरने वालों में बच्चों की संख्या कितनी है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---गाजीपुर जिले में मार्च सन् १९५७ से दिसम्बर, १९५७ तक कुल ७४ व्यक्तियों की चेचक रोग से मरने की रिपोर्ट की गई है। उनमें बच्चों की संख्या ६५ है।

ककराला नोटीफाइड एरिया में अस्पताल खोलने की मांग

*७८---**श्री मुबारकअली खां** (जिला बदायूं)---क्या सरकार ककराला नोटीफाइड एरिया में, जिसकी जनसंख्या लगभग दस हजार है और जिसमें कोई अस्पताल अब तक नहीं है वहां पंचवर्षीय योजना में अस्पताल खोलेगी? यदि हां, तो उसके लिये सरकार कब तक इमारत बनाने की कृपा करेगी?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---अभी ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री मुबारकअली खां---क्या सरकार को यह मालूम है कि ककराला नोटिफाइड एरिया वहां पर अस्पताल के लिये ५,००० रुपये दे रहा है और वहां की एडवाइजरी कमेटी ने भी वहां पर शफाखाना खोलने की मंजूरी दे दी है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---लेकिन गवर्नमेंट धन की दिक्कत की वजह से कुछ तय नहीं कर सकी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला ऐडवाइजरी कमेटी की सिफारिश के अनुसार वे ककराला में कब तक अस्पताल खोल सकेंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन---धनाभाव रहने तक हम सिफारिश होने के बावजूद भी नहीं खोल सकेंगे, जब धन मिलेगा तब खोलेंगे।

श्री राजनारायण---क्या सरकार ने कोई एस्टीमेट बना रखा है कि कितने धन की दिक्कत है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---सारे सूबे का एस्टीमेट हमको अपने सामने रखना पड़ता है। और सब जगह की जरूरियात को देख कर कुछ तय करना पड़ता है। किसी इन्डिविजुअल केस पर कोई फैसला नहीं लिया जाता।

फीरोजाबाद नगर में समाज कल्याण की योजनायें न होना

*७९---**श्री जगन्नाथ लहरी**---क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फीरोजाबाद नगर में समाज कल्याण की क्या-क्या योजनायें चालू हैं और उनके अन्तर्गत अब तक समाज कल्याण के क्या-क्या कार्य किये गये हैं? क्या सरकार उनका संक्षिप्त विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

आचार्य जुगल किशोर---फीरोजाबाद नगर में समाज कल्याण विभाग की कोई योजनायें चालू नहीं हैं।

नोट---तारांकित प्रश्न ७८ के उपरान्त प्रश्नोत्तरों का समय समाप्त हो गया।

*८०--श्री रघुबीर राम (जिला गाजीपुर)--[१४ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

जहांगीरगंज राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय, जिला फैजाबाद में डाक्टर न होने की शिकायत

*८१--श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़)--क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला फैजाबाद के जहांगीरगंज राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय, में कई महीने से कोई डाक्टर नहीं है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इस समय जहांगीरगज चिकित्सालय, जिला फैजाबाद में डाक्टर काम कर रहा है ।

राज्य में कथित शेड्यूल्ड ट्राइब्ज

*८२--श्री प्रतापसिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसकी ओर से प्रदेश में Scheduled Tribes को क्या-क्या सुविधायें प्राप्त हैं ?

श्री मंगला प्रसाद--उत्तर प्रदेश में कोई शेड्यूल्ड ट्राइब्ज (Scheduled Tribes) अब तक घोषित नहीं की गई है ।

*८३-८४--श्री रामचन्द्र विकल--[१४ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

हरिजन वेलफेयर आफिसर

*८५--श्री रामशरण यादव--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में कुल कितने हरिजन वेलफेयर आफिसर हैं ? कितने परिगणित और कितने पिछड़े वर्ग के हैं ?

श्री मंगला प्रसाद--कुल ४८ हरिजन वेलफेयर आफिसर हैं । उनमें से १४ परिगणित जाति और ३ पिछड़े वर्ग के हैं ।

मैनपुरी जिले में वृद्धावस्था की पेन्शन

*८६--श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष १९५७-५८ में २० जनवरी, १९५८ ई० तक कितने लोगों को वृद्धावस्था की पेन्शनें मिल चुकी हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर--२० जनवरी सन् १९५८ तक ३४७ व्यक्तियों की पेन्शनें भेज दी गई थीं ।

*८७--श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९५७-५८ में २० जनवरी, १९५८ ई० तक मैनपुरी जिले में कितने लोगों को वृद्धावस्था की पेन्शनें मिली हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर--२० जनवरी सन् १९५८ तक मैनपुरी जिले में ५ व्यक्तियों को पेंशनें भेज दी गई थीं ।

*८८-८९--श्री छेदी लाल (जिला खीरी)--[१४ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

अल्पबचत योजनान्तर्गत हरदोई जिले में उत्पन्न गन्ना उत्पादकों को कटौती के प्रमाण-पत्र न मिलने की शिकायत

*९०--श्री मोहन लाल वर्मा--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि Cane Development Union, Hardoi तथा Cane Growing Society, Hardoi की

ओर से काश्तकारों के गन्ने में Small Saving Schemes में जो कटौती १९५५–५६ में की थी उसके प्रमाण-पत्र (certificates) आज तक काश्तकारों को क्यों नहीं दिये गये हैं ? कितना रुपया काटा गया तथा कुल कितने काश्तकारों से ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—जहां तक सरकार को विदित है अल्प बचत योजना के उपलक्ष में किसानों के गन्ने के मूल्य से जो कटौती की गई थी उसके प्रमाण-पत्र किसानों को दिये जा चुके हैं। इस सम्बन्ध में कुल ८,११६ किसानों से ४४,९०० रुपया काटा गया था ।

गंगोत्री यमनोत्री मार्गों में पक्के शौचालय बनवाने की योजना

*९१—**श्री सूरतचन्द रमोला**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला टेहरी-गढ़वाल के गंगोत्री यमनोत्री आदि यात्रा मार्गों पर कहीं भी पक्के शौचालय व मूत्रालय नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस आने वाली गर्मियों के यात्रा 'सीजन' में इसकी व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिला टिहरी-गढ़वाल के गंगोत्री यमनोत्री यात्रा मार्गों पर अभी तक कहीं भी पक्के शौचालय व मूत्रालय नहीं हैं पर सरकार इन यात्रा मार्गों के २२ स्थानों पर पक्के शौचालय बनाने की एक योजना पर विचार कर रही है । इस आने वाली गर्मियों के यात्रा सीजन में पक्के शौचालय बनाने की व्यवस्था नहीं हो सकेगी, परन्तु अस्थायी शौचालय जो अब तक बनते आये हैं वही बनाये जायेंगे ।

मत्स्य जीवी सहकारी समिति बलिया को अनुदान देने का आश्वासन

*९२—**श्री उग्रसेन**—क्या सहकारी मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की कितनी मत्स्य जीवी सहकारी समितियों को १९५६–५७ में सरकारी अनुदान दिया गया है और कितना ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—१९५६–५७ में मत्स्य सहकारी समिति, इलाहाबाद को ५,००० रु० का और मत्स्य सहकारी समिति, मेरठ को १०,००० रु० का सरकारी अनुदान दिया गया ।

*९३—**श्री उग्रसेन**—क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मत्स्य जीवी सहकारी समिति, बलिया के अनुदान के हेतु आवेदन पर अब तक विचार क्यों नहीं हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मत्स्य जीवी सहकारी समिति, बलिया को सरकारी अनुदान देने के लिये चुन लिया गया था । परन्तु अनुदान की शर्तों के अनुसार समिति के पास सुधार हेतु जलाशय न होने के कारण पहले उसे अन्य साधनों द्वारा जलाशय दिलाने का प्रयत्न किया गया। परन्तु इसमें सफलता न मिलने पर अमृत पाली नामक विभागीय जलाशय समिति को दिया गया । समिति ने विभागीय शर्तों को स्वीकार कर शर्तनामे पर हस्ताक्षर करके हाल ही में वापस भेजा है और शीघ्र ही उसको सरकारी अनुदान दिया जायगा ।

मिसिरिख दधीच विद्यालय में हरिजन छात्रावास की आवश्यकता

*९४—**श्री मूलचन्द** (जिला सीतापर)—क्या हरिजन कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मिसिरिख दधीच विद्यालय में हरिजन छात्रों को रहने के लिये स्थान नहीं है ? क्या सरकार हरिजनों के लिये छात्रावास बनवाने की कृपा करेगी ?

श्री मंगला प्रसाद—जी नहीं ।

कथित विद्यालय में सरकार द्वारा ऐसा छात्रावास बनाने की कोई योजना नहीं है ।

जूनियर हाई स्कूल, चिरगांव, जिला झांसी में पिछड़ी जाति के विद्यार्थी की छात्रवृति रुक जाना

*९५--**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला बोर्ड झांसी ने जूनियर हाई स्कूल चिरगांव के पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों के वजीफे का रुपया मार्च सन् १९५२ से १९५४ तक, २ वर्ष का, सरकार से लेकर विद्यार्थियों को आज तक नहीं दिया है ? यदि हां, तो कितने विद्यार्थी ऐसे हैं और न देने का कारण क्या है ?

श्री मंगला प्रसाद--केवल १९५२-५३ में उक्त स्कूल में परिषद् द्वारा स्वीकृत सिर्फ एक ऐसी छात्रवृत्ति संबंधित छात्र को डाक द्वारा भेजने में भूल हो जाने के कारण उस समय वितरित नहीं हो सकी। उसके उपरान्त परिषद् उस छात्र से सम्पर्क न स्थापित कर सकी।

*९६--**श्रीमती बेनी बाई** (जिला झांसी)--[१४ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*९७--**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**--[१४ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*९८--**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**--[१४ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

होम्योपैथिक डाक्टरों की रजिस्ट्री की अन्तिम तिथि

*९९--**श्री रामायणराय**--क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि होम्योपैथिक डाक्टरों के रजिस्ट्री की अन्तिम तिथि नियत करने के क्या कारण हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसन अधिनियम, १९५१ के अनुसार होम्योपैथिक डाक्टरों के रजिस्ट्री की अन्तिम तिथि उक्त अधिनियम के खण्ड १ के लागू होने के दो वर्ष बाद किसी भी समय नियत की जा सकती है और चूंकि उक्त अधिनियम का खंड १, १५ अगस्त, १९५२ को लागू हुआ था और गत ५ १/२ वर्षों में करीब-करीब इस प्रदेश के सभी अप्रशिक्षित होम्योपैथिक डाक्टरों की रजिस्ट्री हो चुकी है, अतएव यह उचित समझा गया कि अब उक्त अधिनियम के खंड दो, जिसमें होम्योपैथिक डाक्टरों की रजिस्ट्री की अन्तिम तिथि नियत करने की व्यवस्था है, शीघ्र लागू कर दिया जाय। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक समझा गया कि जब प्रदेश में दो सम्बद्ध होम्योपैथिक मेडिकल कालेज लखनऊ तथा इलाहाबाद में हैं, जिनसे पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित होम्योपैथिक डाक्टरों के उपलब्ध होने की आशा है, यह उचित ही है कि अप्रशिक्षित होम्योपैथिक डाक्टरों की रजिस्ट्री बन्द कर दी जाय।

*१००--**श्री गोविन्द सिंह विष्ट** (जिला अल्मोड़ा)--[१४ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

मैनपुरी रोजगार दफ्तर से काम मिलना

*१०१--**श्री मलिखान सिंह** (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मैनपुरी रोजगार दफ्तर में १९५६-५७ में कितने व्यक्तियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया तथा उनमें से कितने व्यक्ति रोजगार पा गये ?

आचार्य जुगलकिशोर--मैनपुरी के रोजगार दफ्तर में १९५६ तथा १९५७ में क्रमशः ५,९३९ और ४,९५१ व्यक्तियों ने रजिस्ट्रेशन कराया। उनमें से क्रमशः ३०२ व २२२ व्यक्ति रोजगार पा गये।

*१०२-१०३--**श्री राम सूरत प्रसाद** (जिला गोरखपुर)--[४ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*१०४-१०५--श्रीमती सज्जन देवी महनोत (जिला वाराणसी)--[१४ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

न्यूली शुगर फैक्टरी में मजदूरों की छटनी के विरुद्ध शिकायत

*१०६--श्री टीकाराम (जिला बदायूं)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि न्यूली शुगर फैक्टरी में गन्ना भरने वाले पुराने मजदूरों की कमी की जा रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर--जी नहीं, फैक्टरी के प्रबन्धकों ने कुछ मजदूरों की छटनी की नोटिस दी थी किन्तु बाद में उनको फिर से काम पर रख लिया गया ।

*१०७--श्री टीकाराम--क्या इस संबंध में कोई प्रार्थना-पत्र सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर--जी हां, इस प्रार्थना-पत्र पर उक्त कार्यवाही के फलस्वरूप सब मजदूर काम पर रख लिये गये ।

बुलन्दशहर जिले में पन्नी जी शुगर मिल के गन्दे पानी के निकास के उचित प्रबन्ध की प्रार्थना

*१०८--श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला बुलन्दशहर में पन्नी जी शुगर मिल के गन्दे पानी को शहर में जाने से रोकने की कोई योजना विचाराधीन है ?

आचार्य जुगलकिशोर--उक्त मिल के गन्दे पानी को शहर में जाने से रोकने की कोई योजना इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

*१०९-१११--श्री श्रीकृष्ण गोयल (जिला बदायूं)--[१४ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*११२-११४--श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--[१४ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

बस्ती जिले में कोआपरेटिव सोसाइटी, बभनान द्वारा नलकूप का निर्माण

*११५--श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती में कोआपरेटिव सोसाइटी द्वारा बभनान के इर्द-गिर्द कितने ट्यूबवेल बनाये गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--३७ ।

*११६--श्री धनुषधारी पांडेय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त सोसाइटी के हिसाब-किताब की जांच आडिटर ने की है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां, बभनान द्वारा संचालित नलकूप योजना की १९५५-५६ की वार्षिक आडिट रिपोर्ट सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४३९-४४३ पर ।)

गोरखपुर, देवरिया तथा बस्ती जिले में गन्ना सूख जाना

*११७---श्री मदन पांडेय---क्या सरकार को पता है कि गोरखपुर, देवरिया और बस्ती जिलों में इस वर्ष नहर और नलकूपों से यथा समय समुचित जल न मिलने के कारण एक बड़े रकबे का गन्ना सूख गया है ? क्या सरकार सूखने वाले गन्ने का रकबा हर जिले का अलग-अलग मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---जी हां।

	एकड़
गोरखपुर	१३२८.२२
बस्ती	३३२९.००
देवरिया	३०००.००

*११८---श्री मदन पांडेय---क्या सरकार को ज्ञात है कि गोरखपुर, देवरिया और बस्ती जिलों में इस वर्ष नहर और नलकूपों से यथासमय समुचित जल गन्ने की सिंचाई को नहीं मिला ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---जी हां। गोरखपुर, देवरिया तथा बस्ती जिलों में राजकीय नलकूप, तथा पम्प केनाल को पर्याप्त विद्युत् शक्ति न मिलने के कारण वे समय पर आवश्यक मात्रा में जल न दे सके।

*११९---श्री मदन पांडेय---क्या यह सही है कि उपर्युक्त जिलों के जिलाधीशों ने इसके सम्बन्ध में कोई पत्र सरकार को लिखा है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---जी नहीं।

जिला हरिजन कल्याण कार्यालयों के टाइपराइटरों और साइकिलों पर व्यय

*१२०---श्री मुरलीधर कुरील (जिला आजमगढ़)---क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रत्येक जिले में स्थापित हरिजन कल्याण कार्यालय के लिये टाइपराइटर व साइकिलें खरीदी गई हैं ? यदि हां, तो उनके खरीदने में अलग-अलग कितना व्यय हुआ है ?

श्री मंगला प्रसाद---जी हां।

टाइपराइटर्स व साइकिल्स पर क्रमशः १९,०५९.७५ और ५,७२० रुपये व्यय हुए।

*१२१---श्री मुरलीधर कुरील---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि ये टाइपराइटर व साइकिलें जिलों के कार्यालयों में भेज दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंगला प्रसाद---जी हां। भेज दिये गये हैं।

झांसी जिले की मोठ मऊ तहसीलों में जनाने अस्पतालों की कमी

*१२२---श्रीमती बेनी बाई---क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी की मोठ मऊ तहसीलों के ग्रामों में और परगना तालबेहट, झांसी के ग्रामों में प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितने जनाने अस्पताल खोले जा चुके हैं और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में और कितने जनाने अस्पताल खोले जाने का आयोजन किया गया है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---इस क्षेत्र में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कोई जनाना चिकित्सालय नहीं खोला गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जिला झांसी की तहसील

बीठ में समथर में एक जनाना चिकित्सालय खोला गया है। आगे की योजना के बारे में अभी बताना संभव नहीं है।

लालबेगी जाति का अनुसूचित जातियों में सम्मिलित होना

*१२३--श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लालबेगी जाति को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित करने का परामर्श राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को किस आधार पर दिया गया था ?

श्री मंगला प्रसाद--उपलब्ध सूचनानुसार लालबेगी जाति अनुसूचित जातियों की सूची में १९३६ से ही सम्मिलित चली आ रही है।

*१२४--श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिक्ख धर्म को मानने वाली किन-किन जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने का परामर्श राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को दिया गया और उसका आधार क्या था और उनमें से किन जातियों को अनुसूचित जातियों में सम्मिलित कर लिया गया है ?

श्री मंगला प्रसाद--भारत सरकार के Scheduled castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1956 के अनुसार सिक्खधर्म को मानने वाली मजहबी जाति अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित की गई है।

इटावा जिले के हायर सेकण्डरी स्कूलों में परिगणित या पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

*१२५--श्री भजन लाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५६-५७ में इटावा जिले में परिगणित व पिछड़ी हुई जातियों के हायर सेकेन्डरी स्कूलों में कितने-कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां इटावा जिला निरीक्षक द्वारा प्रदान की गईं ?

श्री मंगला प्रसाद--परिगणित जातियों के १४० छात्रों को तथा पिछड़ी जातियों के ५९ छात्रों को।

*१२६--श्री भजन लाल--क्या सरकार यह बतायेगी कि इन छात्रवृत्तियों के वितरित करने का आधार क्या था ?

श्री मंगला प्रसाद--छात्रों की योग्यता तथा जिला हरिजन कल्याण उपसमिति के परामर्श के आधार पर।

सीतापुर के इंटर कालेजों में निःशुल्क हरिजन विद्यार्थी

*१२७--श्री मूल चन्द--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सीतापुर जिले के पांचों इन्टर कालेजों के अन्दर इस समय कितने हरिजन किन-किन कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तथा उनमें कितने छात्रों की फीस माफ है ?

श्री मंगला प्रसाद--वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४४४-४४५ पर।)

सीतापुर जिले के हरिजन छात्रावास, दुर्गापुर्वा पर व्यय

*१२८--श्री मूल चन्द--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सीतापुर जिले के हरिजन छात्रावास दुर्गापुर्वा में कितने छात्र इस समय रह रहे हैं और उन्हें क्या-क्या सुविधायें दी जा रही हैं तथा सरकार का कुल कितना रुपया उन पर किस-किस मद में व्यय हो रहा है ?

श्री मंगला प्रसाद--- हरिजन छात्र रह रहे हैं।

इनको मुफ्त स्थान, रोशनी का व्यय तथा रसोइया सेवक आदि की सुविधाएं दी जाती हैं।

गत वर्ष १९५६-५७ में ८७६ रुपये आवर्त्ती तथा २५० रुपये अनावर्त्ती, योग १,१२६ रु० का अनुदान दिया गया जिसका विवरण यों है :

				रुपये
आवर्त्ती अनुदान				
(१) रसोइया-सेवक व भंगी का वेतन व महंगाई भत्ता	..	..	..	४६८
(२) छात्रावास भवन का किराया	..	..	..	३६०
(३) रोशनी इत्यादि विविध व्यय	..	..	..	४८
		योग	..	८७६
अनावर्त्ती अनुदान				
बर्तन, फर्नीचर तथा खेल के सामान हेतु	..	..	..	२५०
		कुल योग	..	१,१२६

*१२९--श्री चन्द्रबली ब्रह्मचारी--[सदस्य की प्रार्थना पर १४ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

एल० एच० शुगर फैक्टरी, काशीपुर, जिला नैनीताल से संबंधित कथित मुकदमे

*१३०--श्री प्रतापसिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि एस० डी० एम० काशीपुर, नैनीताल की अदालत में एल० एच० शुगर फैक्टरी, काशीपुर के प्रबन्धक मण्डल तथा उनके श्रमिकों के बीच इस समय कर्जा वसूली के कितने मुकदमें चल रहे हैं?

श्री जुगलकिशोर---ऐसा कोई मुकदमा उक्त अदालत में इस समय नहीं चल रहा है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना की रिपोर्ट हिन्दी में न मिलने की शिकायत

†श्री शिव प्रसाद नागर (जिला खीरी)---श्रीमन्, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। कल मैंने एक चिट्ठी आपकी खिदमत में दी थी। कल फर्स्ट फाइव ईयर प्लान की रिपोर्ट जो सदन में बंटी है वह अंग्रेजी भाषा में है। श्रीमन्, सदन की भाषा हिन्दी है। बहुत सी पुस्तिकाएं ऐसी छपती हैं जो हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में छपती हैं। गवर्नर महोदय का भाषण भी हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में छपता है, परन्तु यह प्लानिंग की रिपोर्ट अंग्रेजी के सिवा हिन्दी में देखने को नहीं मिली। जब कि प्लानिंग का सम्बन्ध गांव से लेकर केन्द्र तक.....

श्री अध्यक्ष---ठीक है, तो आप चाहते हैं कि वह हिन्दी में भी छप कर आप को मिले।

श्री शिवप्रसाद नागर---दूसरे, विभाग की रिपोर्ट्स हमें समय से नहीं मिलती हैं।

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—इसी विषय पर यानी गवर्नमेंट आफ इंडिया की ऐनुअल डेवलपमेंट प्लान के बारे में एक बार प्रश्न उठा था और उस समय सरकार ने यह वादा किया था कि हम इसको छपवाने का इरादा कर रहे हैं और शीघ्र ही वह छपवा कर सदस्यों को देदी जायगी। ऐश्योरेन्स कमेटी ने भी सरकार से कहा था और सरकार ने उसको छपवा कर सदन के सदस्यों के लिये जितनी प्रतियां मेरे पास भेजी थीं वह प्रतियां कल बांटी गयीं, उसके सम्बन्ध में आप प्रश्न कर रहे हैं कि वह हिन्दी में क्यों नहीं छापी गयीं, क्योंकि बहुत से सदस्य अंग्रेजी नहीं जानते और दूसरे सदन की भाषा हिन्दी है, इसलिये वे हिन्दी में भी बटनी चाहिये थीं। मंत्री जी कृपया बतावें की हिन्दी में न बंटने का क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—देख लेंगे कि किस वजह से ऐसा नहीं हो सका।

श्री अध्यक्ष—कल तक मंत्री जी जांच कराकर उत्तर दे दें। क्या यह सम्भव है कि हिन्दी में भी छपकर वार्षिक प्लान की प्रतियां बंट जायं ? इस विषय में जो सूचना हो आप सदन को दे दें।

बजट साहित्य के समय से वितरण न होने की शिकायत

*श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)—अध्यक्ष महोदय, बजट के विभिन्न अनुदानों से सम्बन्धित जो साहित्य होता है वह जब बहस होने लगती है उसके बाद में आता है। मैं सरकार का ध्यान दिलाऊंगा, बड़ी कृपा होगी, अगर कोई लिटरेचर देना हो तो वह उस मांग के पेश होने के दो एक दिन पहले मिल जाया करे, ताकि उसका उपयोग हम कर सकें। जब वह साहित्य पहले से नहीं मिलता और बाद में मिलता है तो उस का उपयोग नहीं हो पाता।

श्री अध्यक्ष—यह बात मुझे भी ठीक मालूम होती है। अगर सम्भव हो सके तो जिस मांग पर बहस होने वाली हो उस के कम से कम १ दिन पहले उसका साहित्य बंट जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त आदरणीय सदस्यों को भी उस हालत में उसे सम्भाल कर रखना चाहिये वर्ना बाद में वे कहेंगे कि साहित्य कल बंटा था, आज नहीं मिल रहा है। साहित्य कम से कम एक दिन पहले मिलना चाहिये क्योंकि सदस्यगण उस का उपयोग उसी दिन अगर मिले तो नहीं कर सकते, इसलिये मैं समझता हूं इस बात का खयाल सब विभागों के मंत्रिगण रखेंगे।

श्री शिवप्रसाद नागर—सामान्य विवाद खत्म हो गया, आज माल विभाग की पुस्तिका मिली है। वही बात है कि "बाद मरने के पयाम आया।"

चिनकुरी खान दुर्घटना में उत्तर प्रदेश के क्षतिग्रस्त परिवारों की सहायता के सम्बन्ध में जानकारी

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—कल सरकार ने वादा किया था कि गोरखपुर देवरिया आदि के जो लोग माइन्स की दुर्घटना में मरे हैं उसके बारे में सूचना दी जायगी। यह एक सार्वजनिक महत्व का प्रश्न है, सरकार को सूचना मंगानी चाहिये कि वहां कितने लोग क्षतिग्रस्त हुए हैं और उनकी सहायता के लिये वह क्या कर रही है ?

श्री अध्यक्ष—माननीय मुख्य मंत्री जी नहीं हैं। वह...

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—आज्ञा हो तो मैं बता दूं। पता चला है कि उसमें यू०पी० के ६४–६५ आदमी हैं, ६३ लेबरर्स और २ सुपरवाइजर्स, जिनकी मृत्यु हुई है और वह वर्कमेन कम्पेन्सेशन ऐक्ट के तहत में मुआवजे के मुस्तहक हैं। इसके अलावा केन्द्रीय सरकार

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

ने भी एनाउन्स किया है कि ४०० रुपया वेतन पाने वालों के लिये मुआवजा मिलेगा, हर माइनर की फेमिली को १०० रुपया दिया जायगा और मेनेजमेंट ने भी कहा है कि हफ्तेवार काम करने वालों को भी १०० रुपया पर फेमिली दिया जायगा और १५० रुपया उनको जो मंथली वर्क करते हैं। इस तरह से यह सब मसला देखा जा रहा है और उनको कम्पेंसेशन मिलेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—मंथली कंपेसेंशन की भी व्यवस्था की जा रही है या एकमुश्त १००-१५० रुपये से ही काम चल जाने वाला है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह तो गवर्नमेंट आफ इंडिया करेगी। क्या वह करेंगे यह बताना हमारे लिये तो मुश्किल है। लेकिन कम्पेंसेशन के ओवर ऐंड एबव यह एनाउंसमेंट किया है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी से भी हमने निवेदन किया था। जब यह घटना घटी थी, उसके दूसरे ही दिन और जैसा आप जानते होंगे हमने इस पर चाहा था कि एक शोक प्रस्ताव भी लाएं। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार—क्योंकि उत्तर प्रदेश के रहने वाले वह हैं, गोरखपुर और देवरिया की हालत बहुत ही खराब है, जहां तक आर्थिक परिस्थिति का सवाल है—क्या यह सरकार विचार करेगी कि उन परिवारों को कुछ आर्थिक सहायता प्रदान करे ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो अभी कुछ तय नहीं किया, क्योंकि वह काम गवर्नमेंट आफ इंडिया का था। उन्हीं की मातहती में सब लोग काम करते थे। कम्पेंसेशन ऐक्ट भी है, उसके मातहत जो कुछ ऐडवांटेजेज मिल सकते हैं, मिलेंगे। लेकिन हमसे, उत्तर प्रदेश से डाइरेक्टरली कोलियरीज से कोई वास्ता है नहीं। लिहाजा इस सरकार ने इस पर अभी कोई विचार नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष—(श्री राजनारायण तथा श्री उग्रसेन के खड़े होने पर) यह बहस की बात नहीं है।

श्री राजनारायण—हमारा केवल सुझाव है कि सरकार करे जरूर।

श्री अध्यक्ष—आप यह कह सकते हैं कि वह प्रयत्न करे। लेकिन आप केन्द्रीय सरकार को इतनी गरीब न समझें कि उत्तर प्रदेश की सरकार को भी इसमें मदद करने की आवश्यकता समझें। यह क्यों आप समझते हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यू० पी० सरकार केन्द्रीय सरकार से सिपारिश करेगी कि कुछ मंथली पेंशन गोरखपुर, देवरिया के मृत परिवारों को दी जाय ?

श्री अध्यक्ष—यह वह सोच लेंगे। हर एक प्रकार का प्रश्न सरकार से इसी समय नहीं हो सकता।

१९५८-५९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—विभिन्न अनुदानों के लिये समय विभाजन

श्री अध्यक्ष—यह मांगों का ग्रुप तीन दिन के वास्ते है। इसके बारे में सुझाव दें कि किस-किस पर कब विवाद हो।

*श्री सुरथ बहादुर शाह (जिला खीरी)—श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से अनुदानों के आज के कार्यक्रम के विषय में यह प्रस्ताव करना चाहता हूं कि आज अनुदान संख्या ५—फारेस्ट, ४२—एक्स्ट्रा आर्डिनरी चार्जेज, और ५१—स्कीम्स आफ स्टेट ट्रेडिंग—ये आज ली जायं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

१५—ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस, २१—ऐग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग ऐंड रिसर्च, २३—वेटरीनरी, ४५—कैपिटल आउटले आन ऐग्रीकल्चरल स्कीम—ये कल के लिये रखी जायं।

बाकी, मेडिकल और पब्लिक हेल्थ जो तीसरा दिन नियत हो उस दिन ली जायं।

इसके अतिरिक्त आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि विधान सभा की बैठक ३ और ४ मार्च, १९५८.....

श्री अध्यक्ष—यह समय निर्धारण के प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। मैं उसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री सुरथ बहादुर शाह—चूंकि तीन को छुट्टी की बात है।

श्री अध्यक्ष—वह दूसरी बात है।

नियम १० में यह दिया है :—

"After the commencement of a session, the Assembly shall sit on such days as the Speaker having regard to the state of business of the Assembly may from time to time determine."

एक नियम तो यह है। दूसरा इसके सम्बन्ध में नियम यह है कि :—

" The voting of demands for grants shall take place on such days (not exceeding twenty) before 10th of May every year as the Speaker may in consultation with the Leader of the House, allot for the purpose."

तो यह इसमें कहीं नहीं दिया है कि प्रस्ताव के द्वारा कोई दिन निश्चित होंगे। आप अपना सुझाव अगर देना चाहते हैं तो लीडर आफ दि हाउस, सदन के नेता और मुझसे बातचीत कर लें और फिर कोई निश्चय इस विषय में हो सकता है। लेकिन यह प्रस्ताव के रूप में नहीं आ सकता है। मैं प्रस्ताव के लिये इजाजत नहीं देता हूं।

श्री सुरथ बहादुर शाह—तो श्रीमन्, ३ तारीख को छुट्टी कर दी जाय, इस सम्बन्ध में मैं प्रस्ताव नहीं कर रहा हूं, मेरा सुझाव यह है.....

श्री अध्यक्ष—लेकिन जो तीसरा रोज होगा उस रोज के लिये बाकी जो अनुदान हैं १९ और २० वह तीसरे रोज के लिये रखे जायेंगे चाहे वह ३ तारीख हो चाहे ४ हो या होली के बाद हो, कोई भी दिन हो।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय वन मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आज वन विभाग का अनुदान पेश होने जा रहा है, लेकिन १९५७-५८ की वन विभाग की रिपोर्ट क्यों नहीं बंटी ?

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, पहले एक निश्चय हो जाने के बाद यह प्रश्न पूछा जा सकता है। बीच बीच में यह सवाल इस तरह से नहीं आ सकता है।

मैं समझता हूं कि आज यही तीन मांगें ली जावेंगी, वन का अनुदान, अनुदान संख्या ४२ असाधारण व्यय और तीसरा अनुदान संख्या ५१—राज्य व्यापार की योजनायें, इन्हीं पर विचार होगा। कल अनुदान संख्या १५, २१, २३ और ४५ होंगे। तो आज के अनुदानों के लिये समय के बंटवारे के सम्बन्ध में भी माननीय सुरथ बहादुर शाह जी, आप अपने सुझाव दे दें कि अनुदान संख्या ५ के लिये कितना समय और ४२ के लिये कितना समय और ५१ के लिये कितना समय आप चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि एक साथ तीनों ले लिये जायं ?

श्री सुरथ बहादुर शाह—मेरा तो विचार यह है कि यदि दो दो घंटे इन पर दिये जायं तो मुनासिब होगा।

श्री अध्यक्ष---दो-दो घंटे तो नहीं हो सकते। कुल पौने चार घंटे बाकी हैं। तो सवा-सवा घंटे हर अनुदान पर विवाद हो, या यह हो सकता है कि दो घंटे एक पर हो और बाकी दो पर एक साथ विवाद हो।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---श्रीमन्, लोगों की इच्छा यह है कि यह तीनों ग्रांट्स अगर एक साथ रख दी जायं तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, मुझे निवेदन यह करना है कि राज्य व्यापार के लिए तो ज्यादा समय चाहिए, क्योंकि यह राज्य सरकार की नीति से सम्बन्धित है, सौदा कैसे खरीदा जाता है, उसमें किस तरह से क्या बात है, उससे सम्बन्ध है, तो उस पर ज्यादा समय देकर के बाकी दोनों को आप बराबर-बराबर बांट दें।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---इसमें राज्य व्यापार की योजनायें और असाधारण व्यय जो हैं यह दोनों सिविल सप्लाइज से सम्बन्धित हैं और वन फारेस्ट डिपार्टमेंट से सम्बन्धित है। पहले वन को ले लें और उसके बाद राज्य व्यापार की योजनाएं और असाधारण व्यय को एक साथ ले लें।

श्री अध्यक्ष---तो वन के लिए आप कितना समय चाहते हैं, एक घंटा ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---पौने दो घंटे।

श्री अध्यक्ष---वन के लिए पौने दो घंटा चाहते हैं और बाकी दोनों के लिए दो घंटा चाहते हैं ? तो यह ठीक रहा कि तीन बजे तक वन का रहेगा और तीन बजे के बाद ५ बजे तक ये दोनों एक साथ लिये जायेंगे।

अनुदान संख्या ५---लेखा शीर्षक : १०---वन

न्याय मंत्री (श्री सैयदअली जहीर)---अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५---वन---लेखा शीर्षक १०---वन के अन्तर्गत २,३१,२२,९०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक वन विभाग का मामला है बदकिस्मती से आमतौर से जनता में वन विभाग की अहमियत का ऐहसास नहीं है। यही नहीं कि हमको अपने वनों के लिये इस बात की जरूरत है कि जहां तक हमारे वन हैं वह इस काम में आते हैं कि उनमें से हमको लकड़ी मिलती है, जिससे मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज चलती हैं, हमारे डिफेंस के लिये उनकी जरूरत होती है और बहुत से ऐसे काम हैं कि जिनकी जरूरत को पूरा करने के लिये हमको वनों को जाना पड़ता है, बल्कि उससे ज्यादा जो उसकी जरूरत है वह यह है कि अगर किसी देश में जितने वन होने चाहिए उतने अगर न हों तो रफ्ता-रफ्ता वह देश बिलकुल उजाड़ हो जाता है।

हमारे देश में राजपूताने का जो हल्का है जो रेगिस्तान हो गया है। तारीख देखने से पता चलता है कि उसकी वजह यही है कि उसके आस-पास के वन कट गये और उसका नतीजा यह हुआ कि पूरा हिस्सा बिलकुल रेगिस्तान हो कर रह गया है। आज भी यह रेगिस्तान आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रहा है। मेरे खयाल में कोई १०, १२ वर्ष में तकरीबन एक मील या दो मील का रकबा जो उसके करीब लगा हुआ है वह रेगिस्तान होता चला जा रहा है। अब भी इसका अंदेशा है कि अगर इसके रोकने का इंतजाम नहीं किया जायगा तो रेगिस्तान हो जायगा। हमारे यहां तो दो तरह के इलाके हैं। एक पहाड़ी और दूसरा मैदानी इलाका। उसूल यह है कि पहाड़ी इलाके में कम से कम ६० फीसदी वन होना चाहिये और जो मैदानी इलाके हों वहां कम से कम २० फीसदी वन होना चाहिये। यह एक जरूरी उसूल तसलीम किया गया है। लेकिन हमारे यहां पहाड़ी इलाके में २३ फीसदी इलाका ऐसा है जहां जंगल हैं और मैदानों में सिर्फ ५ फीसदी है, बजाय २० फीसदी के। बकिया जंगल

सब खत्म हो चुके हैं या खत्म होते चले जा रहे हैं। तो इस बात को हमें पेशेनजर रखना है और मैं यह कहूंगा कि जंगल एक बड़ी भारी नेशनल वेल्थ होती है, जिसका असर हमारी रोजमर्रा की जिन्दगी पर और देश की सुरक्षा पर और देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर बहुत पड़ता है। इन सब वजहों से इनका खयाल करना बहुत जरूरी है। इस दृष्टिकोण से हम इस मसले पर गौर करें कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा जंगलों को बचा सकते हैं और तबाही से रोक सकते हैं। हमारे यहां बदकिस्मती से कोयला होता है जरूर लेकिन वह इतना नहीं होता है कि हर शख्स की जरूरत के मुताबिक जलाने के काम में आ सके, क्योंकि कोयला अगर मिल जाय तो लकड़ी न जलानी पड़े। लेकिन ज्यादातर लोग लकड़ी जलाते हैं। बहरहाल कुछ न कुछ लकड़ी जरूर जलेगी और उसमें हमारे वनों का हिस्सा खर्च होगा। लेकिन उसी के साथ हमको इसका लिहाज रखना है कि जैसे भी हो सके वैसे हम अपने वनों को बचावें। इस सिलसिले में मैं यह अर्ज करूंगा कि अभी थोड़े अर्से में जो हमारे यहां बड़े-बड़े डैम्स बने या कुछ गांव आबाद किये गये उसमें ७५,७०० एकड़ जो जंगल की जमीन थी उसको कटवाकर इन कामों में लगवाना पड़ा। आइन्दा भी जो इस वक्त हमारे पास स्कीमें हैं उनमें भी तकरीबन ७५ हजार एकड़ हमको और भी अपने वनों का हिस्सा डैम्स के लिये और गांव आबाद करने के लिये लगाना पड़ेगा। इन सब बातों का लिहाज रखते हुए, और इसलिये कि ताकि हम अपने वनों से ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें, हमने सेकेंड फाइव ईयर प्लान में १४ स्कीमें तैयार की थीं और तैयार की हैं। जिनके जारिये से हम अपने वनों की हिफाजत करेंगे और उनको आगे तरक्की दे सकेंगे। मैं बहुत थोड़े में आपके सामने १४ स्कीमें रख देना चाहता हूं और अगर आप उनकी तफसील चाहते हैं तो जो आपके सामने ड्राफ्ट ऐनुअल प्लान आया है उसमें इसका एक चैप्टर है नंबर ४—फारेस्ट, उसके अन्दर इन सब स्कीमों का जिक्र किया गया है। बहरहाल जो खास-खास स्कीमें हैं उनका मैं इस समय जिक्र कर देना चाहता हूं।

पहली स्कीम यह है कि हम ५० हजार फलों के दरख्त सालाना लगाना चाहते हैं। ज्यादातर जो कुमायूं डिवीजन के फारेस्ट हैं वहीं पर इनको लगाना चाहते हैं। १९५६-५७ में ५०,७६४ दरख्त लगाये और दिसम्बर, १९५७ में २४ हजार दरख्त लग चुके हैं और उसके बाद और लगे होंगे।

दूसरी स्कीम यह है कि जो बहुत से प्राइवेट फारेस्ट्स हमारे पास आ गये थे उनमें कुछ मकान वगैरह नहीं हैं। फारेस्टर्स के रहने के लिये कोई ठिकाना उनमें नहीं है और पानी की भी कोई सुविधा नहीं है। उसके लिये सेकेंड फाइव इयर प्लान में कोई ५० इमारतें बनाने की स्कीम है।

तीसरी स्कीम यह है कि जो प्राइवेट फारेस्ट्स हमारे कब्जे में आ गये हैं तो फारेस्ट गार्ड्स और फारेस्टर्स की तालीम के लिये जो ४ स्कूल खुले हुए हैं उनमें इन्तजाम किया है। ये चार स्कूल कानपुर, गोरखपुर, मंदौली और हल्द्वानी में हैं। इन स्कूलों का उनकी तालीम के लिये और एक्सटेंशन किया जायगा।

इसी तरह से हमारे प्रदेश के वनों से लाख निकला करती थी, लेकिन उसकी पैदावार बहुत घट गयी थी। हमने फिर से स्कीम बनायी है कि लाख की पैदावार को अपने सूबे में मे बढ़ायेंगे। लाख बहुत मिकदार में बाहर मुल्कों में जाती है। इसकी बहुत मांग है और डालर भी काफी मिलता है। इसलिये इसे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं १९५६-५७ में ७ डिवीजन्स में लाख का काम शुरु हुआ था, जिनमें ११९ मन लाख पैदा हुई और १९५७-५८ में ७ डिवीजन्स में और ४४० मन लाख पैदा होगी ऐसी हमको उम्मीद है।

इसके बाद कुछ दरख्त खास-खास कामों में आते हैं जैसे दियासलाई, प्लाई वुड वगैरह। सेमल, हल्दू, फल्दू, कुरंग, गोटल, काजू, शीशम और सागौन ये तरह-तरह के दरख्त हैं जो

[श्री सैयद अली जहीर]

इंडस्ट्रियल परपजेज के लिये होते हैं, इनको हम बराबर तरक्की देना चाहते हैं। चुनान्चे १९५६-५७ में ८,५३६ एकड़ में हमने ऐसे दरख्त लगाये और १९५७-५८ में हमें उम्मीद है कि जो हमने १२,५०० दरख्त लगाये हैं, कुछ और लग जायेंगे।

फिर एक स्कीम है साल की। साल के जंगल बहुत कम हो गये हैं। साल की लकड़ी से ही हमारी रेलों के स्लीपर बनते हैं जिनकी हर साल लाखों की तादाद में जरूरत पड़ती है। बिजली के खम्भे भी अब जो लगाये जाते हैं वे साल के दरख्त के होते हैं। तो हमें जरूरत हुई कि हम साल को तरक्की दें और उसे आगे बढ़ायें। १९५६-५७ में हमने ९६० एकड़ जमीन में साल का प्लान्टेशन किया है और १९५७-५८ में ३,१०० दरख्त साल के और नये लगाये हैं।

कुमायूं के जंगलों की हालत को भी हमें दुरुस्त करना है। चुनान्चे १९५६-५७ में ७३ हजार एकड़ में हमने नये जंगल कुमायूं में लगाये हैं। सन् १९५७-५८ में १,२७,००० एकड़ में और नये दरख्त लगाये गये हैं, ताकि जानवरों की जो हालत खराब हो गयी और ज्यादा दरख्त कट गये थे, वह जंगल असली हालत पर आ जायं।

एक स्कीम हमारी स्वाइल कंजरवेशन की चल रही है, यानी यहां जो बाज-बाज बड़ी-बड़ी नदियां हैं उनके आस-पास की जमीन खत्म होती चली जाती है। चुनांचे ३ स्कीमें इसके मुताल्लिक हैं जिसके मातहत इस तरह के जंगल लग रहे हैं जो दरिया के किनारे की जमीन को कटने से रोकेंगे ताकि वह जमीन जाया न हो। एक तो सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में जो गंगा खोला है, रेवीन्स है, उनके किनारे अफोरेस्टेशन हो रहा है और दूसरे मेरठ और बुलन्दशहर में जहां गंगा और जमुना दोनों दरिया बहते हैं वहां पर एक स्कीम है। तीसरी स्कीम हमारी गढ़वाल और बिजनौर जिले में दरख्त लगाने की है।

इसके अलावा, जैसा मैंने जिक्र किया था राजस्थान में वहां बोर्डर पर एक बहुत बड़ी स्कीम है जिसके अनुसार हम ऐसे जंगल लगाते हैं कि जो रेगिस्तान बढ़ता चला आता है उसको रोका जाय। उसके लिए ३४,००० एकड़ में गुजिश्ता साल में हम जंगल लगा चुके हैं और बकिया और काम हो रहा है।

इसी तरह से चम्बल के रेवीन्स में दरख्त लगाये जा रहे हैं और घास भी लगायी जा रही है, वह इस किस्म की है कि जिसकी वजह से चूंकि वह जमीन को पकड़ती है, जमीन बह जाने से रुक जाती है। ५,००० एकड़ में यहां भी काम हो चुका है।

हमारी एक स्कीम यह भी है कि जिसके जरिये से हम सड़कों के किनारे दरख्तों का प्लांटेशन कर रहे हैं। चुनांचे आगरे में, मथुरा में, गिरि गोवर्द्धन और बहुत सी जगहों पर ६९ मील के करीब सड़कें ऐसी हैं जो वन विभाग ने ले ली हैं और वह अपने जंगल लगा रहे हैं।

एक स्कीम हमारी फारेस्ट कम्युनिकेशन को डेवलप करने की है, जिसके मातहत मोटरेबिल रोड हम जंगलों में बनाना चाहते हैं। बहुतसा हमारा सामान ऐसे हिस्सों में है जहां से अगर कोई जाकर काटे और लाने की कोशिश करे तो उसको निकालने की कोई सुविधा नहीं है। यह स्कीम पूरी हो जायगी तो हमारी आमदनी भी बढ़ेगी और ऐसा हिस्सा जंगलों का जहां कोई चीज ले जाने का रास्ता नहीं है, वहां पर रास्ता बन जायगा और वहां से सामान निकाला जा सकेगा और बाजार में जा सकेगा।

इसी के साथ साथ जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया जो प्राइवेट फारेस्ट हैं उनको भी दुरुस्त करने की हमारी स्कीमें हैं कि जो उनमें कमियां हैं और जो कट गये हैं या जो बेच लिए थे जमींदारों ने उनकी जगह पर और दरख्त लग जायं। फिर कुछ और स्कीमें हैं जैसे कि रेजिन के निकालने की या मेडीसनल हर्ब्स, दवाओं और जड़ी-बूटियों के लिए भी हमने मुख्तलिफ स्कीमें बनायी हैं, उनका भी डेवलपमेंट हम कर रहे हैं।

एक बहुत जरूरी काम जो हम कर रहे हैं वह वाइल्ड लाइफ प्रिजरवेशन है, यानी ऐसे जानवर जो जंगल में मिलते हैं, चिड़िया, चौपाये और जो गोश्तखोर जानवर हैं, वह बहुत से हमारे यहां से गायब होते जा रहे हैं और हमको मिलते नहीं हैं। बाहर से जो लोग आते हैं वह उनको देखना चाहते हैं तो उनके देखने के लिए सुविधाएं नहीं होती। चुनांचे इस वक्त तक ७ सैंक्चुअरीज बनायी गयी हैं जहां पर ये जानवर अपनी असली हालत में, जैसे कि उनकी जिन्दगी होती है, रहें और वहां उनका शिकार न हो। वह हैं कालागढ़ में कारबेट नेशनल पार्क, सहारनपुर में राजाजी सैंक्चुअरी, बनारस में चन्द्र प्रभा सैंक्चुअरी, मलान सैंक्चुअरी, गढ़वाल में, कंसराव सैंक्चुअरी, देहरादून में, नन्दा देवी गढ़वाल में और गोविन्द पशु बिहार, टौंस डिवीजन में। ये ७ सैंक्चुअरीज हमने इस वक्त तक बनायी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जगह जगह पर हम उन्हें बनायेंगे ताकि अपनी वाइल्ड लाइफ को हम बचा सकें। आपने अखबारों में देखा होगा कि हमारे यहां के शेर बिलकुल गायब हो गये, सिर्फ गिरि फारेस्ट में थोड़े से शेर बचे हैं। उनको पहले तो हमने वहां प्रिजर्व किया और अब उनकी तादाद पहले के मुकाबले में दुगुनी हो गयी है, करीब ढाई, तीन सौ के वे हो गये हैं। लेकिन हमने यह सोचा कि अगर एक ही जगह के ऊपर ये सारे शेर रहेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी कोई बीमारी वगैरह फैल जाय और ये सारे शेर खत्म हो जायं। इसलिये हमने यह सोचा कि इनको कई जगह रखा जाय। लिहाजा हमने बनारस के पास जो चन्द्रप्रभा सैंक्चुअरी बनायी है उसमें भी इनको रखा है। तो इस तरह से वन विभाग की तरक्की के लिये काम किया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि जो छोटी सी मांग इसके लिये की गयी है, इसे गालिबन आप लोगों को स्वीकार करने में कोई दिक्कत न होगी। इसके साथ ही साथ अगर आप इनकम साइड को देखेंगे तो जहां २,३१,५१,३०० रुपये का खर्च है वहां इस विभाग के जरिये से ४,८२,३३,३०० रुपये की आमदनी होती है। इससे यह जाहिर है कि इस विभाग में नुकसान नहीं है, बल्कि करीब ढाई करोड़ के फायदा होता है। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि इस ग्रांट को मंजूर किया जाय।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला ~~नैनीताल~~ अल्मोड़ा)—समय निर्धारित करने के सम्बन्ध में, श्रीमन्, अगर आप स्वीकार करें तो मूवर को १५ मिनट और बाकी को १२-१२ मिनट का समय दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—जब पौने २ घंटे का समय है तो उनको १० मिनट से अधिक समय मैं नहीं दूंगा और जो कट मोशन लायें वे अधिक से अधिक १५ मिनट ले लें।

श्री प्रताप सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं अनुदान संख्या ५—वन—लेखा शीर्षक : १० के अन्तर्गत १ रुपये की कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी के वक्तव्य को बड़े ध्यान से सुना। इस बात में दो रायें, नहीं हो सकती कि वन हमारी सम्पत्ति हैं और उसकी रक्षा होनी चाहिये। लेकिन श्रीमन् जब बजट की ओर हम दृष्टिपात करते हैं तो हम देखते हैं कि वनों से हमें ४ करोड़ ८२ लाख रुपये की आमदनी है और २ करोड़ ३२ लाख रुपये का खर्च है। इस प्रकार २ करोड़ ५० लाख रुपये की आमदनी हमको वनों से होती है और मंत्री जी भी इस बात को तसलीम करते हैं कि यह आमदनी का जरिया है। यही शिकायत हमें है। आज वनों के विकास में अगर कोई चीजी बाधक है तो यही कि सरकार ने एक आमदनी का जरिया इन्हें बना लिया है। माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि वे जंगलों को और बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वे इसके लिये कोई प्लान तो बनावें। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की ओर अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में कुमायूं को छोड़ कर ३ प्रतिशत जंगल हैं और हमारे प्लानिंग कमीशन के हिसाब से ३० फीसदी जंगल होने चाहिये। मेरी समझ में नहीं आता कि किस तरह से मंत्री जी समझ रहे हैं कि हमारे जंगल प्रगति कर रहे हैं।

[श्री प्रताप सिंह]

हमारा यह बुलेटिन स्टेटिस्टिक्स का निकलता है। उसके देखने से पता चलता है कि कुमायूं को छोड़कर हमारे पास जो यू० पी० में इस समय जमीन है और जिसपर जंगल नहीं है वह ५९८.२ लाख एकड़ है जो जंगल है वह इस समय ५६.६ लाख एकड़ पर है। इसमें कुमायूं को शामिल नहीं किया गया है। कुमायूं में ४७ लाख एकड़ जमीन में जंगल है। उस ४७ लाख एकड़ में जहां पर जंगल है, उसमें खेती नहीं हो सकती है। वहां पर खेती के लायक जो जमीन है वह १९ लाख एकड़ जमीन है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या जहां पर जंगल ज्यादा है वहां पर उनकी नीति जंगलों को बढ़ाने की है और प्रदेश में जहां पर जंगल नहीं है जैसे देवरिया, गोरखपुर, पिथौरागढ़ वहां पर जंगल को बढ़ाने की नहीं है? यह बात माननीय मंत्री जी के भाषण से स्पष्ट नहीं हुई। माननीय मंत्री जी को जहां पर जंगल नहीं हैं वहां पर प्लान्टेशन करने का प्रयत्न करना चाहिये था, लेकिन इस संबंध में उन्होंने कुछ नहीं कहा।

दूसरी चीज यह है कि जो कार्य विवरण हमें दिया गया है वह १९५५ के मुताल्लिक ही मिला है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस साल का कार्य विवरण हमें नहीं मिला है। एक ओर हमसे यह आशा की जाती है कि हम कांक्रीट सजेशन दें, लेकिन जब तक पूरा विवरण मालूम न हो तो किस प्रकार से सजेशन दिया जा सकता है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि उसने इस साल की रिपोर्ट क्यों नहीं बांटी। यह १९५५ की रिपोर्ट और साथ ही कुमायूं फारेस्ट कमेटी की रिपोर्ट जो कुमायूं की ग्रीवेंसेज के विषय में है और जो १३ अप्रैल सन् १९२१ की है, वह दोनों रिपोर्ट यह बतलाती हैं कि फारेस्ट बढ़ाने के साथ वांज और चराई का घास भी बढ़ाया जाय, लेकिन मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इसके ऊपर क्या ध्यान दिया गया? क्या पिछले एक साल के अन्दर बाज (oak) और घास को बढ़ाने के लिये कुछ किया गया या फारेस्ट बढ़ाने के लिये चीड़, साल, और बांस आदि के पेड़ों का प्लान्टेशन किया गया? मेरी यह शिकायत है लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

दूसरी चीज यह है कि दियासलाई भी फारेस्ट प्रोड्यूस से बनती है। मैं कहना चाहता हूं कि डेढ़ करोड़ रुपया भारत सरकार को हमारे प्रदेश से इसकी ड्यूटी से मिलता है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह भारत सरकार से दरख्वास्त करे कि इस डेढ़ करोड़ में से हमारे प्रदेश के विकास के लिये हिस्सा मिलना चाहिये। इसकी एक्साइज ड्यूटी से हमारे प्रदेश को कुछ नहीं मिलता है। यह बड़े ताज्जुब की बात है।

जहां तक कुमायूं का प्रश्न है, हरगोबिन्द सिंह जी जो पहले यहां पर शिक्षा मंत्री थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जो १९५१ में इस सदन में रक्खी, यह बतलाया कि कुमायूं में प्रमुख आमदनी का जरिया वन है। उनकी रिपोर्ट के अनुसार कुमायूं में प्रमुख आमदनी वन से होती है। इसलिये मैं मंत्री जी से कहूंगा कि कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार उस आमदनी का एक बटा चार हिस्सा वहां के जिला बोर्ड को दिया जाय जिससे उस इलाके का विकास हो सके। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सन् १९५१ से आज तक उस रिपोर्ट को कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया? आपने उस कमेटी से रिपोर्ट मांगी और उसके लिये खर्च किया गया, लेकिन जो उस कमेटी की सिफारिशें है उनको आज तक लागू नहीं किया गया है।

श्रीमन्, जब हम नये आइटम्स बजट में देखते हैं तो जो नान-प्लान्ड आइटम्स हैं और जो प्लान्ड आइटम्स हैं इन दोनों में नम्बर ५ ग्रान्ट नदारद है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वन विभाग की तरक्की पूरी हो गयी? क्या अब उसको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं कि प्लान्ड और नान-प्लान्ड आइटम्स में फारेस्ट डिपार्टमेंट के बारे में कोई चीज और कोई धनराशि वहां नहीं रखी गयी है, इसका क्या कारण है?

इसके बाद आप देखिये, अभी हाल में सूबे के सभी सरकारी कर्मचारियों का दो रुपया बढ़ाया गया। जब विरोधी दल की ओर से आवाज उठी और कहा गया कि फारेस्ट गार्ड को भी दो रुपया ज्यादा दिया जाय तो उधर के बैठे हुए माननीय सदस्यों ने कहा और हमारी सरकार

ने कहा कि यह तो सुपीरियर सर्विसेज के लोग हैं, लेकिन इसके बाद जब हमने कहा कि उनको वर्दी मिलनी चाहिए तो जबाब मिला कि यह तो इन्फीरियर सर्विस के लोग हैं, तो यह क्या है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि माननीय मंत्री जी की डिक्शनरी में इन्फीरियर और सूपीरियर सर्विस का मतलब क्या है ?

इसके बाद श्रीमन्, इस फारेस्ट डिपार्टमेंट को एक प्लान्ड विभाग बनाने के लिये मेरा यह सुझाव है कि एक फारेस्ट बोर्ड की स्थापना की जाय । इसकी आवश्यकता क्या है, इस ओर भी मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जितने लैंड एलाटमेंट, फारेस्ट यूटिलाइजेशन, फारेस्ट वर्किंग प्लान और प्लान्टेशन के सवाल हैं, वह सब इस फारेस्ट बोर्ड को तय करने चाहिये। यह इसकी आवश्यकता है ।

इसके अतिरिक्त जहां कम्युनिकेशन की बात है, उन्होंने कहा कि हम इनको बढ़ाना चाहते हैं । जंगल की प्रोड्यूस को बाहर लाने के लिये कम्युनिकेशन की बहुत जरूरत है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इस पूरे प्रदेश के लिये जो केवल ढाई लाख रुपया रखा गया है सड़कें बनाने के लिये, उससे क्या होगा ? टेहरी, गढ़वाल और पौड़ी आदि की हालत आप देखिये। हाउस में बात कहना आसान है, लेकिन आप इससे वहां कितनी सड़कें बना सकेंगे, इस बात को सोचिये।

श्रीमन्, मुझे खुशी है कि हमारे वन मंत्री न्याय मंत्री भी हैं। मैं न्याय की एक बात वन के साथ कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वन के पेड़ों के साथ भी न्याय की बात हो । कुमायूं में फारेस्ट पंचायतें बनायी गयीं, लेकिन ऐक्ट नदारद। रूल्स बना दिये गये। मैं माननीय वन मंत्री एवं न्याय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि यह रूल्स विदआउट ऐक्ट कैसे बने ? आज से चार साल पहले से कुमायूं फारेस्ट पंचायत ऐक्ट ड्राफ्ट के रूप में रखा हुआ है। क्या आफत है कि उसको सदन में नहीं लाया जा रहा है । मैं साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं कि अगर वन मंत्री ने अब उसको लाने में अधिक देर की तो हमको मजबूर होकर इसके लिये एक प्राइवेट मेम्बर्स बिल लाना पड़ेगा, क्योंकि हम और अधिक इस अनियमियता को बर्दाश्त नहीं कर सकते।

श्रीमन्, मैंने बजट को, जितनी मेरी मोटी बुद्धि है, उसके हिसाब से देखा और उत्तर प्रदेश की द्वितीय पंचवर्षीय योजना को भी पढ़ा। उसको देखने से मुझे ऐसा लगता है कि इसमें फारेस्ट के मजदूरों के लिये कहीं कुछ भी नहीं है । इसके पेज ६७ पर वन उपनिवेशन में से मैं कुछ आपकी आज्ञा से पढ़ कर सुना देना चाहता हूं। इसमें है : 'बांदा, मिर्जापुर और कुछ अन्य जिलों को वन श्रमिकों के लिये पानी की कमी वाले स्थानों में तालाबों का निर्माण।' माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इसमें इसके लिये धनराशि कहां है ? इसके लिये कोई धनराशि नहीं है । वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिये लाखों रुपया आपने रखा है, उन मजदूरों के लिये आपने कोई रुपया नहीं रखा है । मेरी समझ में नहीं आता कि इस बजट को कौन बनाता है, किस की राय से यह बनाया जाता है । माननीय मंत्री जी इस ओर विशेष ध्यान दें। यह पूरा का पूरा आइटम इससे गायब है ।

वाइल्ड लाइफ के लिये ७,५७,२०० रुपया रखा गया है। मैं चाहता हूं कि आप प्रायरिटी के आधार पर उसको खर्च करें। माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक कमेटी में यह सुझाव दिया था कि कुमायूं डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाय । मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि कुमायूं डेवलपमेंट बोर्ड और कुमायूं फारेस्ट कमेटी की स्थापना शीघ्रातिशीघ्र की जाय, जिससे जंगलों से अधिक लाभ उठाया जा सके। इसके अतिरिक्त जैसी कि कुमायूं फारेस्ट कमेटी ने सिफारिश की है, १३ अप्रैल, १९२१ को वहां के रहने वालों को लकड़ी, घास और टिम्बर के राइट्स मिलने चाहिये ।

फारेस्ट्स के दफ्तरों को नैनीताल से हटाने की बात कही जाती है। २३ अगस्त, सन् १९२३ को भी यह सवाल आया कि फारेस्ट के दफ्तर नैनीताल से हटा दिये जायं। इस पर बोर्ड ने कहा था—

"The Board considered that the office should remain in Naini Tal, as a move to the plains will entail un necessary expenses."

[श्री प्रतापसिंह]

एक ओर तो कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा फारेस्ट्स हों, लेकिन दूसरी ओर उसका एक दफ्तर इलाहाबाद में भेजा जाता है। मेरी यह मांग दक्षिण, उत्तर या पश्चिम को लेकर नहीं है, बल्कि इसलिये है कि जंगलों की उन्नति हो। आपने बिल्डिंग्स के लिये रुपया रखा है तो क्या फारेस्ट गार्ड या चौकीदार की चौकियों के लिये भी कोई रुपया रक्खा गया है? मैं पूछना चाहता हूं कि बड़े बड़े बंगलों मे कितना रुपया लगता है और इनकी चौकियों को बनाने में कितना रुपया लगता है।

आखिरी बात मैं मेडिकल सुविधा के बारे में कहना चाहता हूं। क्या आपने जो मेडिकल की सुविधा दे रखी है वह किसी फारेस्ट गार्ड या चौकीदार को भी है? उनको भी इसकी सुविधा मिलनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि कुमायूं डेवलपमेंट बोर्ड और स्टेट डेवलपमेंट बोर्ड की शीघ्रातिशीघ्र स्थापना की जाय। उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी मेरे सुझावों पर गौर करेंगे।

श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वन अनुदान पर मुझे भी बोलने की इजाजत आपने दी है, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीय मंत्री जी ने जो यह अनुदान पेश किया है उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं क्योंकि वन राष्ट्रीय संपत्ति है। वन की तरक्की राज्य और राष्ट्र की तरक्की है, यह निर्विवाद बात है। वनों से राष्ट्र की जिन्दगी है, इसलिये उस जिन्दगी को तरक्की देने के लिये वनों को तरक्की देना अनिवार्य है। जब हम वनों की तरक्की करते हैं तो हम मुल्क के इन्तजाम को सोचते हैं, लोगों की गुजर बसर कैसे होगी, इसको भी सोचते हैं। इस संबंध में मैं एक सुझाव यह देना चाहता हूं तथा मुझे जहां तक ज्ञान है, कुमायूं के बहुत से लोगों को, जो भूमिहीन हूं, भूमि मिलने का कोई साधन नहीं रहा है। जो आबादी के लिये नयी जमीन होती है, उसमें से कुछ तो पास-पड़ोस वालों के हक में चली जाती है बाकी जंगलात के अधिकारियों के हाथ में चली गयी है और चली जा रही है और जो बची-खुची जमीन हुई तो वह फारेस्ट पंचायतों के पास चली जा रही है। गांवों की तरक्की के लिये और आबादी के लिये कुछ स्थानों का फारेस्ट पंचायतों में होना भी अनिवार्य है। कुमायूं के अन्दर जो भूमिहीन हैं, उनमें ज्यादातर हरिजन ही हैं और उनकी हालत बहुत ही खराब है। हमने उनके लिये भूमि की मांग आज से नहीं बल्कि १० साल पेश्तर से इस सरकार के सामने पेश की है, लेकिन कई कारणों से इस वक्त तक उसमें कामयाबी नहीं हो सकी है, मालधन चौड़ में ३,००० एकड़ भूमि मिली है उसे आबाद करने के साधन अपर्याप्त हैं और थोड़ी सी जगह में आबादी हो भी नहीं सकती है। इसलिये वहां के लोगों का यह कहना है कि अगर पहाड़ी इलाके में हमको भूमि दी जाय तो हम बगैर सरकार की सहायता के उस भूमि को आबाद कर सकते हैं। दूसरी ओर मैदानी इलाकों में जहां दस-दस और बीस-बीस फीट लम्बी घास उग आती है, जिसमें हाथी भी गायब हो जाता है, वहां पर जिनके पास हल बैल नहीं है, गैंती और फरुए से खोद कर के उस भूमि को आबाद करना बहुत मुश्किल होता है। यदि वहां की जमीन को आबाद करना हो तो उसे पहले ट्रैक्टर से जोता जाय और तब उसे आबाद किया जाय तो लोग वहां पर अपनी गुजर कर सकते हैं। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि पहाड़ी हिस्से में जहां पर वे बसना चाहते हैं, उनको वह जगह दे दी जाय और मैं समझता हूं कि इससे जंगल का कोई विशेष नुकसान भी नहीं होगा, और न हम चाहते हैं कि जंगल का कोई नुकसान हो। इसके लिये बहुत दिनों से प्रार्थना की जा रही है, लेकिन वह कार्यान्वित नहीं हो सकी। मैं समझता हूं कि फारेस्ट कमेटी और वन विभाग के सामने भी इस प्रश्न को रखा जायगा तो मुझे आशा है कि वे भी इस पर विचार कर के इसको कार्यान्वित कर सकेंगे। मुझे इस आदरणीय सदन से केवल यही कहना है कि वहां के भूमिहीनों को आबादी के लिये इस दृष्टि से उपयुक्त जमीन दी जाय कि उससे जंगल का कोई नुकसान न हो। अगर जंगल का नुकसान हो जाता है तो राष्ट्र की तरक्की का बहुत ज्यादा नुकसान हो जायगा। तो हम यही चाहते हैं

कि आवश्यकता के अनुसार जंगलात की रक्षा करते हुए उनको आबादी के लिये जमीन दी जाय। आखिर जहां सड़कें बनती हैं, वहां भी जंगल तो काटे ही जाते हैं, जहां वन विभाग की कोई लाइन बनती है, तो उस वक्त भी १००, ५० या २० फीट, जैसी जरूरत होती है, जंगलों को काटना ही पड़ता है और उससे कुछ न कुछ नुकसान होता ही है। इसी तरह से बिजली की लाइन निकलती है तो उसकी वजह से भी जंगल काटना पड़ता है, लेकिन यह सब आवश्यकतानुसार वहां की जनता के सुख और सुविधा के लिये ही होता है। इसी तरह से वहां की भूमिहीन जनता की प्रार्थना है कि हमको भी ५० हजार एकड़ भूमि दी जाय, २५ हजार एकड़ पहाड़ी इलाके में और २५ हजार एकड़ मैदानी इलाके में। इसके लिये बहुत बार कहा जा चुका है और फिर मैं इस वक्त कह रहा हूं कि इस पर विचार होना चाहिए और उनकी रोटी के लिये, उनकी गुजर-बसर के लिये भी भूमि दी जाय। गरीब आदमियों के लिये जो कि वहां पर बसे हुए हैं उपर्युक्त साधन दिये जायं ताकि वे उस काम को कर सकें। इस प्रकार उनकी दशा काफी सुधर सकती है। चूंकि यह कृषि प्रधान देश है, इसलिये यहां खेती के अलावा कोई विशेष काम नहीं दिखायी देता है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि वन विभाग इन गरीब हरिजनों के लिये इस प्रकार की भूमि दे, जिसमें वे खेती कर सकें। मुझे आशा है कि मेरी इस प्रार्थना पर विचार किया जायगा और उनको भूमि मिलेगी जिससे उनकी गुजर-बसर हो सके। इस तरह से जो इस राष्ट्र का ध्येय है वह भी पूरा हो सकेगा। इसलिये मैं फिर आग्रहपूर्वक प्रार्थना करता हूं कि ५०,००० एकड़ भूमि का शीघ्रातिशीघ्र प्रबन्ध करके उसको आबाद करने के साधन सहित उन हरिजनों को दी जाय ताकि उनका जीवन-यापन हो सके।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जंगलात के संबंध में माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उससे यह मालूम पड़ता है कि मैदानी इलाकों में ५ प्रतिशत जंगल हैं और पहाड़ी इलाकों में २३ प्रतिशत हैं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि अभी जंगलों की वृद्धि की जरूरत है। लेकिन मैं आपके द्वारा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उनके यहां प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट जैसा कानून ही पेड़ों की रक्षा हेतु बना हुआ है परन्तु जिस ढ़िलाई के साथ उसका प्रयोग हो रहा है उसके रहते हुए उनकी वृद्धि की आशा नहीं की जा सकती। जब से यह एक्ट लागू हुआ है और जब से सरकार ने जंगल अधिकारियों के जिम्मे पेड़ काटने की इजाजत देनें का अधिकार दिया है, तब से मैं कह सकता हूं कि इतने अधिक फलदार पेड़, बगीचे और हरे पेड़ कटे हैं जितने पहले कभी नहीं कटे थे। अगर इस चीज को ठीक प्रकार से आंका जाय तो पहले से वनों का रकबा कागज पर चाहे बढ़ा हो लेकिन वह कम ही हुआ है। इसलिये मेरा सुझाव है कि प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट में आवश्यक परिवर्तन कर लिया जाय और हरे वृक्षों को काटने से रोका जाय, क्योंकि यहां की जनता हरे पेड़ों को बच्चों के समान पालती और मानती है।

दूसरी बात यह है कि इन जंगलों में केवल पेड़ ही नहीं हैं वरन् वहां बहुत से आदमी भी रहते हैं और वह ऐसी आबादी है कि जो पढ़ने-लिखने से महरूम है, आधुनिक जीवन की हर प्रकार की साज-सज्जा से महरूम है। न तो अखबारों से ही उनका संबंध है और न वह अन्य साधनों से अपने विचार ही प्रकट कर सकते हैं इसलिये उनका केस आंख से अब तक ओझल रहा है। जहां तक वहां के कर्मचारियों का सवाल है उसमें एक वर्ग वेलफैड और वेल पेड लोगों का है, लेकिन जितना नीचे का तकबा है वह वेतन कम पाने वाला है, चाहे उसको कुछ अगल-बगल की आय भले ही हो जाती हो, वह बात दूसरी है। इसके अलावा वहां पर टांगिया लोग होते हैं। यह लोग जिस भूमि के पेड़ पक जाते हैं उनको काटते हैं और उनके स्थान पर उस जमीन को खाली करके फिर से पेड़ लगाते हैं और पेड़ जब तक बढ़ नहीं जाते तब तक उनको खेती करके खाने का अधिकार दिया जाता है। इन टांगियों के प्रति दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में पिछले दिनों कई क्वार्टर्स से बहुत सी शिकायतें आई हैं और विभाग द्वारा उनके संबंध में जो ढ़ील बरती जा रही है उसके रहते हुए उनके साथ न्याय होना तो दूर उल्टे बहुत ज्यादती होती है।

[श्री मदन पांडेय]

हमारे गोरखपुर जिले में हड़िया कोट, गिरधरपुर और कुसमी के पास जो जंगल हैं उन की ओर मैं आप का ध्यान दिलाऊंगा। वहां पर टांगिया लोग अपने घर बार छोड़कर आते हैं और पेट के लिये मजबूरन वहां बसते हैं और उस खराब से खराब जलवायु में रहते हैं। इसलिये उनको जमीन मिलने की कुछ निश्चितता अवश्य रहनी चाहिये वर्ना एक जगह के पेड़ कटने से जगह जब खत्म हो जाती है तो वह मुश्किल में पड़ जाते हैं। उन को पेड़ लगाने के लिये दूसरी जगह जरूर देनी चाहिये तभी जंगलों की भी तरक्की हो सकती है और वह भी सुखी रह सकते हैं।

वहां से बहुत सी भ्रष्टाचार की भी शिकायतें आती हैं कि किस प्रकार वहां के कर्मचारी इन टांगिया लोगों से नाजायज रकमें वसूल करते हैं और घी दूध फ्री वसूल करते हैं। इस सम्बन्ध में माननीय शिब्बन लाल सक्सेना एम० पी० ने भी कई बार कहा है। इन कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतें भी की गयी हैं परन्तु कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। जब तक उन के खिलाफ कड़ा कदम नहीं उठाया जाता तब तक यह चीज दूर नहीं हो सकती। मैं चाहता हूं कि और किसानों की तरह आप टांगियों के सम्बन्ध में भी एक ऐसी नीति बरतें जिस से उन का भी एक तरह का शिफ्टिंग परमानेंट टेन्योर हो और वह किसी तरह से भयभीत न रहें। जब तक कोई खास शिकायत न हो, तब तक ऐसा तय न किया जाय कि उनको फिर से जमीन नहीं मिलेगी, यही मेरी मंशा है।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जंगल में टांगिया के अलावा एक और तबका भी है जो जंगल के अगल-बगल रहता है। ऐसी जातियां भर और मुसहर हैं। उनकी जीविका का प्रधान साधन, सूखी लकड़ियों और जड़ी-बूटियों, पीपल जैसी कीमती चीजें भी, लेकर बेच लेना था। इस तरह के छोटे-मोटे काम जो जंगल में हुआ करते थे उनसे अपनी जीविकोपार्जन करते थे। जब से प्राइवेट फारेस्ट्स सरकार में निहित हो गये ये दिक्कतें और भी बढ़ गयी हैं और उनकी जीविका के कुछ भी साधन नहीं रह गये हैं। ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, पिछड़े हुए हैं, मैं सरकार का ध्यान इस तरफ भी आकर्षित करना चाहता हूं। ऐसे लोगों के लिये कोई ऐसी व्यवस्था सोचें तथा उनकी आजीविका का प्रबन्ध करें।

जहांतक चिकित्सा और पढ़ाई-लिखायी का सम्बन्ध है टांगिया, भर और मुसहर जातियों की काफी संख्या है, उनके बच्चे हैं, जंगल से प्राप्ति के आंकड़े भी बढ़ा कर दिखा रहे हैं और वाकई हैं भी बल्कि जितनी आमदनी होती है उतना कागजों में नहीं है। फिर ऐसे लोगों की तरक्की पर जो खर्चा होना चाहिये, जो जंगलों की बदौलत खाते और जीते हैं, उनके लिये चिकित्सा का प्रबन्ध, शिक्षा का प्रबन्ध, स्कूल, फीस माफी और किताब आदि की कोई व्यवस्था क्यों नहीं है ?

इस बार सरकार ने जंगल के सम्बन्ध में कोई साहित्य नहीं बांटा है। लेकिन पिछले साल जो कुछ हम लोगों को देखने को मिला है, उसमें सरकार की तरफ से रेगिस्तान के सम्बन्ध में एक योजना थी। लेकिन जहां तक उधर के सदस्यों से बातचीत करने का मौका मिला है रेगिस्तान में जंगल लगाने की आवश्यकता जितनी जोरों से कागजों में तथा सदन में बतायी गयी, उसको देखते हुए सरकार की कोशिशें नाकाफी हैं। रेगिस्तान हमारी उपजाऊ जमीन को निगलता चला जा रहा है। कह दिया जाय कि इस मद से इतनी बचत हो गयी इससे संतोष होने वाला नहीं है। अगर उपजाऊ भूमि रेगिस्तान द्वारा हड़प ली जाय और दूसरी मदों में रुपया खर्च होता रहे, यह सरकार के ऊपर कलंक स्वरूप ही होगा। इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस मद में बचत मत दिखाइये। जंगल लगा कर हमारी उपजाऊ भूमि को हड़पने से रोकिये।

नदियों के किनारे जंगल लगाने की जो योजना है यह बहुत लाभदायक है। इस से दोनों मंशा पूरी होती हैं। एक तो जंगल का रकबा बढ़ाना और दूसरे नदियां जो हमारी मिट्टी को बहा कर ले जाती हैं, उसको बचा देना—ये दोनों मंशा पूरी होती हैं। यद्यपि इस सम्बन्ध में जैसा हम समझ रहे थे वैसी प्रगति नहीं हो रही है। मैं सीतापुर गया

था। वहां के लोगों से भी बातचीत हुई। वहां भी यह योजना कार्यान्वित हो रही है। जहां नदी काटती है उसको बचाने के लिये जंगल लगाया गया है। लेकिन उसको नजदीक से देखते हुए कोई संतोषजनक प्रगति नहीं मालूम पड़ती है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस तरफ ध्यान दें।

श्री सूरतचन्द रमोला (जिला टेहरी-गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, अनुदान संख्या ५ को प्रस्तुत करते हुए माननीय मंत्री जी ने जैसा कहा है कि बनों का मनुष्य के जीवन से बहुत गहरा सम्बन्ध है। उसके संरक्षण के लिये हमारी सरकार द्वारा कौन-कौन स्कीमें चल रही है इसका उन्होंने अच्छी तरह से विवरण दिया। जो स्कीमें चल रही हैं, उनका साहित्य नहीं बांटा गया है, मैं भी उसके प्रति दुख प्रकट करता हूं। विभाग की ओर से वह साहित्य जरूर बांटा जाना चाहिये था ताकि मेम्बर्स को उससे पता चलता कि सरकार इसके सम्बन्ध में क्या करने जा रही है और अब तक क्या-क्या हो चुका है। हम जो दिक्कतें महसूस करते हैं उन्हें मैं संक्षिप्त रूप से सदन के सामने पेश करता हूं।

जैसा कि कहा गया है हमारे पहाड़ी इलाके में करीब २३ परसेंट भूमि वनों से आच्छादित हैं और हमारे दैनिक जीवन से सम्बन्धित प्रोबलम्स वनों पर ही मुन्हसिर करती हैं। हमारे पहाड़ी इलाके में जैसा कि कहा गया है वन की उपज से ही हम लोग अपनी आजीविका कमाते हैं और उसी के सहारे अपने छोटे मोटे व्यवसाय चलाते हैं। वहां पर हमारे इलाके में जैसा कि माननीय मंत्री जी को भी विदित है बिलकुल आबादी से मिले हुए फारेस्ट पिलर्स हैं। कुछ दिन पहले मैं एक शिष्टमंडल के जरिये माननीय मंत्री जी से मिला था और उनको अवगत कराया था कि वहां पर बड़ी भारी दिक्कतें जंगल की वजह से हैं क्योंकि जो फारेस्ट के पिलर्स हैं वह आबादी से मिले हुए हैं और लोगों को बड़ी मुश्किल उठानी पड़ती है। महाराजा के वक्त में लोगों को बहुत सारी सुविधायें मौजूद थीं, वह जंगल से घास, लकड़ी इत्यादि बेरोकटोक काट सकते थे। लेकिन अब वह सुविधायें उनको प्राप्त नहीं हैं। इससे वहां का काश्तकार बड़ी मुसीबत में है। इस वक्त जो डिमार्केशन चलाया जा रहा है उस में भी जो कि ओरिजिनल पिलर है फारेस्ट डिपार्टमेंट का वह केवल १५० फुट हटाया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यह डेढ़ सौ फुट का स्पेस बहुत कम है और गांव के किसी भी काश्तकार को इससे फायदा होने वाला नहीं है। यह बेकार का खर्च कर रहे हैं। इससे किसी काश्तकार को न कोई घास लकड़ी इत्यादि का फायदा हो सकता है और न कोई बाग बगीचा का प्रबन्ध हो सकता है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यह फारेस्ट पिलर्स गांव की आबादी से इतनी दूर हटाये जायं कि उससे गांव के लोगों को कुछ लाभ मिल सके, वह घास, लकड़ी इत्यादि का कुछ उपयोग कर सकें।

अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से एक और अनुरोध करूंगा। हमारे जिले टेहरी में एक अलग टेहरी फारेस्ट सर्किल है। उसके अन्दर तीन चार डिवीजनल-फारेस्ट आफिसर्स हैं और कंजर्वेटर आफ फारेस्ट टिहरी सर्किल का आफिस नैनीताल में स्थित है। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे यहां लोगों को बड़ी भारी दिक्कतें इस बात से हो रही हैं कि फारेस्ट कंजर्वेटर का आफिस नैनीताल में है और डी० एफ० ओ० हमारी दिक्कतें समझ नहीं सकते हैं या मतभेद होता है तो कंजर्वेटर के पास पहुंचने में बड़ी दिक्कत होती है। मैं अपनी बात कहता हूं कि मैंने केवल एक ही दफे अब तक अपने कंजर्वेटर को देखा है, क्योंकि उनका आना-जाना भी बहुत कम होता है। मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि तुरंत ही इस आफिस को नरेन्द्रनगर या ऐसी ही किसी दूसरी जगह स्थानान्तरित कर दिया जाय। सरकार ने यह मान लिया है कि डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर टेहरी-गढ़वाल में अब नरेन्द्रनगर से टिहरी जा रहा है। इससे नरेन्द्रनगर की बहुत सी बिल्डिंग्स खाली हो जायंगी। मैं सुझाव दूंगा कि यह आफिस नरेन्द्रनगर में रखा जाय तो अत्युत्तम होगा।

[श्री सूरतचन्द रमोला]

अपोजीशन की तरफ से माननीय प्रताप सिंह जी ने जो यह कहा है कि फारेस्ट बोर्ड बन जाना चाहिये, मैं भी यह कहूंगा कि यह सुझाव अच्छा है और इस पर सरकार अमल करे तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि इस तरह से जो भी चीजें फारेस्ट डिपार्टमेंट में चलती हैं वह लाइट में नहीं आती हैं। मेरे खयाल से इस बोर्ड की स्थापना की जाय तो बहुत अच्छी बात है।

तीसरा सुझाव मेरा यह है कि जो फोरेस्टर और फोरेस्ट गार्डों का सेलेक्शन हुआ करता है वह डिपार्टमेंटल रूप से होता है और उसमें कोई सार्वजनिक कार्यकर्ता या नान-आफिशियल मेम्बर नहीं रखा जाता है। यह गलत सी बात है। यह जो डिस्ट्रिक्ट लेविल के चुनाव होते हैं इनमें अगर नान-आफिशियल मेम्बर रखे जायं तो ज्यादा डेमोक्रेटिक होगा। इसी सिलसिले में एक बात यह और कहनी है कि टेहरी सर्किल के फारेस्टरों का कोई सेलेक्शन किया जाता है तो वह नैनीताल में किया जाता है जिसमें टेहरी के बहुत कम लोग आ पाते हैं जिसकी वजह से टेहरी के लोग बहुत कम सर्विस में आ पाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मुझे एक और निवेदन मंत्री जी से करना है। वह यह कि कुमायूं फारेस्ट कमेटी के लिये मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कुछ दिन पहले दिसम्बर के महीने में यह कमेटी बनायी गयी उसमें टेहरी को कोई रिप्रेजेन्टेशन नहीं दिया गया। सरकार को मालूम है कि वन विभाग की आमदनी करीब ढाई करोड़ रुपये के है जिसमें से ५० परसेंट टेहरी सर्किल से होती है। तो टेहरी को चूंकि कोई रिप्रेजेन्टेशन नहीं दिया गया, इसलिये इसकी ओर मंत्री जी का ध्यान विशेष तौर से आकर्षित करता हूं, वह न्याय मंत्री हैं लेकिन उन्होंने हमारे साथ अन्याय किया है।

इसके अलावा मैं एक सुझाव यह भी देना चाहता हूं। कि हिल्स में लैंड से सम्बन्धित जितनी भी प्राबलम्स हैं वह फारेस्ट डिपार्टमेंट से भी सम्बन्धित हैं, वही प्राबलम्स हार्टिकल्चर की भी हैं। तो जितने भी हिल्स के एम० एल० एज० हैं उन सब को इस फारेस्ट कमेटी का मेम्बर हो जाना चाहिये और जो नान-आफिशियल मेम्बर इस कमेटी में रखे जाते हैं, वह अगर न रहें या उनकी तादाद कुछ कम कर दी जाय तो कोई विशेष हानि नहीं हो सकती।

अब फारेस्ट बाउन्डरीज के बाहर जो स्वयं जंगल हैं वह भी आजकल फारेस्ट डिपार्टमेंट के ही संरक्षण में हैं। लेकिन उनकी देखरेख ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है। मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि उनकी देखरेख वे उसी प्रकार से करें जैसे वन विभाग अपने वनों की करता है। अगर देख रेख ठीक ढंगसे नहीं हो सकती है तो यह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या किसी और को लिखें कि हम उसकी देख-रेख नहीं कर सकते हैं। देख-रेख न होने का नतीजा यह होता है कि उनका कटाव बड़ी तेजी से हो रहा है।

प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट हमारे जिले में भी लागू किया गया है। लेकिन इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हो पायी है और लोग अपने जंगलों को इस बुरी तरह से कटवा रहे हैं जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। लांचिंग भी दे दी जाती है। मैं अर्ज करूंगा कि लांचिंग जो दी गयी है वह बगैर उचित जांच के दी गयी है, यह गलत है।

अब हर्ब्स के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। आजकल यह देखा गया है कि हिल टाप्स पर जो हर्ब्स हैं वह खत्म होती जा रही हैं। जो लोग ठेका लेते हैं वह उनकी जड़ों तक को खोद कर ले जाते हैं। तो मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि हर्ब्स का कल्टीवेशन अगर लोगों को सिखाया जाय तो मैं समझता हूं कि वहां के लोग खुशी से उसको सीखना चाहेंगे, क्योंकि वहां खेती की उपज अच्छी नहीं होती है, अगर हर्ब्स का कल्टीवेशन लोगों को सिखाया जाय तो इससे उनको अच्छा रिटर्न मिल सकेगा।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १९ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

मुख्य मंत्री व कुछ अधिकारियों के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा, श्रीमन् । मैं एक प्रश्न विशेषाधिकार की अवहेलना से संबंधित आपकी सेवा में रखना चाहूंगा ।

श्रीमन्, इस सदन में कुछ समय पहले से एक हाउस स्कैंडल का मामला चल रहा है और मैंने अपने भाषण में यह आरोप किया था कि म्युनिसपिल बोर्ड से बिना नक्शा पास कराये हुए यहां के उच्च अधिकारियों ने मकान बना लिया । माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो जवाब दिया उसमें यह कहा कि नियमतः नक्शे पास थे और सब काम नियमतः हुआ है, नक्शा पास होने पर मकान बना । तब से मैं बहुत परेशान था । मैंने जाकर २५ तारीख को माननीय मुख्य मन्त्री को एक पत्र लिखा और उसमें निवेदन किया कि प्रदेश के उच्च अधिकारियों ने कब म्युनिसिपल बोर्ड से नक्शा पास कराया । उनको कोयले और सीमेंट का परमिट कब और कितना दिया गया ?

श्री उपाध्यक्ष---विषय क्या है, संक्षेप में कहिये ।

श्री राजनारायण---मेरा प्रश्न यह है कि सदन में सत्य को छिपाया गया और कुछ उच्च अधिकारियों ने, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय मुख्य मन्त्री को गलत सूचना दी । तो मेरा विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न मुख्य मन्त्री जी के ऊपर और जिन अधिकारियों ने गलत सूचना दी, उनके ऊपर है । चूंकि अर्लिएस्ट अपार्चुनिटी मुझको लेनी चाहिये, इसलिये आप से मैं निवेदन कर रहा हूं । मैं अभी म्युनिसिपल बोर्ड गया था और मैंने बाकायदा टिकट लिया , दरख्वास्त दी और श्री गोविन्द नारायण जी जो डेवलपमेंट कमिश्नर रहे हैं उनकी बिल्डिंग से संबंधित जो कागजात हैं उनको हमने इंसपेक्ट किया । तो देखा जाय श्रीमन्, गोविन्द नारायण जी का प्रार्थना-पत्र ६ दिसम्बर, १९५६ को गया है कि हमारा प्लान स्वीकार किया जाय । उसपर नजूल अफसर की तरफ से एक रिपोर्ट की गयी है कि---

" The lay-out of the Vivek Society is not yet sanctioned. The plans cannot, therefore, be passed. The construction should be stopped at once."

यह उन्होंने १० दिसम्बर, १९५६ को लिखकर भेजा है, इसका नम्बर है ३२५, एम० एस० ।

श्री उपाध्यक्ष---आपने ठीक कहा है कि नियमानुसार स्पीकर को अधिकार है कि अगर मैटर अर्जेंट हो तो किसी भी वक्त ले लेता है । तो यह मैंने इस वक्त लेना स्वीकार कर लिया, लेकिन नियमानुसार आपका लिखित नोटिस मुझे भी मिलना चाहिये और मुख्य मन्त्री जी के यहां भी लिखित नोटिस भेज कर आप इस कम्पलेंट पर कार्यवाही करें ।

श्री राजनारायण---इस सम्बन्ध में जो विशेष दिक्कत है वह यह है कि जब कि नजूल विभाग से १०दिसम्बर, १९५६ को यह लिख कर आ गया कि मकान को बनाना बन्द कर दिया जाय, उसके बाद ऐडमिनिस्ट्रेटर प्लान को पास तब करते हैं जबकि मकान आलरेडी कम्प्लीट हो जाता है । अफसर महोदय जा कर उसमें जबसे रहने लगते हैं वह तारीख है १६ दिसम्बर, १९५७ । यह दिसम्बर का महीना है जबकि 'नेशनल हेराल्ड' अखबार में १ दिसम्बर से इसकी कंट्रोवर्सी शुरू हो गयी थी ।

श्री उपाध्यक्ष---ठीक है, वह तो मैंने कह दिया कि यह सब तफसील दीजिये उसके बाद उस पर विचार किया जायगा ।

श्री राजनारायण---मगर, श्रीमन्, इन कागजात का क्या होगा ? मुझे डर है कि चूंकि अभी मैं म्यूनिसिपल बोर्ड .....

श्री उपाध्यक्ष—आप जितनी जल्द से जल्द पार्टीज़ कन्सर्न्ड को और मेरे पास नोटिस दे सकें उसी समय उस पर विचार किया जा सकेगा।

श्री राजनारायण—तो १० मिनट के बाद ही आपकी सेवा में उपस्थित कर सकता हूं ?

श्री उपाध्यक्ष—आप लिख कर लाइये, उसको देखेंगे कि इन आर्डर है या नहीं।

श्री राजनारायण—वह ठीक है, मैं इतना ही आप से निवेदन करूंगा .....

श्री उपाध्यक्ष—मैं किसी शर्त पर कोई काम नहीं करूंगा ।

श्री राजनारायण—मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करूंगा कि यह आदरणीय सदन है, इसमें किसी प्रकार से सत्य छिपाया नहीं जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—वह तो ठीक है। आप ने सब बात संक्षेप में कह दी। मेरे सामने कोई प्रापर नोटिस नहीं है। आप नोटिस दीजिये और जिसके खिलाफ प्रिविलेज का सवाल लाना है उसको भी उसकी नकल भेजिये।

श्री राजनारायण—लेकिन हमारी एक दिक्कत कैसे दूर होगी ?

श्री उपाध्यक्ष—वह उसके बाद ही दूर होगी। जब आप सब फार्मेलिटीज़ पूरी कर लेंगे उसके बाद ही इस सदन को अधिकार होगा कि उस पर विचार करे।

श्री राजनारायण—दूसरा रास्ता आप बता दें।

श्री उपाध्यक्ष—दूसरा कोई रास्ता है नहीं। इसीलिये मैंने कहा कि लिख कर दीजिये।

श्री राजनारायण—उस आज्ञा का पालन तो मैं करूंगा ही। लेकिन जो हमें डर है वह यह कि इसमें सर्वश्री एन० एन० चक्रवर्ती, एम० एस० बिष्ट, बी० बी० लाल, ए० एन० झा, गोविन्द नारायण आदि लोगों के कागजात हैं .....

श्री उपाध्यक्ष—अब काफी हो गया।

१९५८-५९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ५—लेखा शीर्षक : १०—वन

श्री टीकाराम (जिला बदायूं)—श्री उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं इस कटमोशन का समर्थन करने खड़ा हुआ हूं जो प्रतापसिंह जी ने पेश किया है। मेरे पास एक अखबार है इसमें जो सरकारी आंकड़े हैं उनके हिसाब से ४,०२,००,००० एकड़ जमीन काश्त योग्य है और जंगलात की जमीन ८६,४२,५६० एकड़ है और जंगलात का औसत मन्त्री जी ने बताया कि मैदान में ५ फी सदी और पहाड़ों पर २३ फी सदी है। आप यह भी बता रहे हैं कि पश्चिम से रेत बढ़ती चली आ रही है लिहाजा वहां जंगल लगाये जायं। अच्छा है पेड़ों का लगाना, लेकिन यह भी तो हमें सोचना है कि कितनी हमारे पास जमीन है और खाद्यान्न की स्थिति हमारी बड़ी खराब हो रही है फिर भी आप कह रहे हैं कि जंगल बढ़ाये जायं। पहले पेट भरने की फिक्र हमें होनी चाहिये। इसके अलावा जिस तरह से वन महोत्सव में पेड़ लगाये जाते हैं वह भी जरा देखिये। मैंने प्लानिंग आफिस में देखा कि पेड़ लगाये गये ४ हजार लेकिन वहां रहे ५ भी नहीं। मैं कुसाव गया, धनारी गया, कहीं कोई पेड़ नहीं और जो ३,१०० पेड़ आपने लगाये हैं वे भी इसी नमूने के हुए तो वे भी साफ हो जायंगे। पेड़ लगाना आसान होता है लेकिन उनकी परवरिश भी तो जरूरी है। मैं आपके जंगलात का खर्च देख रहा हूं। चार स्थानों पर सरकार काम कर रही है, विकास, स्थापना, संरक्षण और सामान्य संचालन। चार प्रकार के आपके जंगल हैं, पहाड़ पर, तराई भावर में, गंगा सागर में और नहर के किनारे।

अब जरा इसकी उपज के हिसाब को भी सोच लीजिये। उसकी आमदनी और खर्च का हिसाब इस प्रकार से है। सरकार को आमदनी ५०, १५,००० की हुई और खर्चा ४१,३५,००० रुपये इस ५८–५९ के लिये बताया गया है। दूसरी एजेन्सी के द्वारा जो जंगल में काम करती हैं उनसे ४,५०,२०,००० की आमदनी है और ८,८४,१०० उनके द्वारा खर्चा बतलाया गया है। इसको देखने से पता चलता है कि आप उस पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं। अब उस खर्चे की तफसील यह है कि आपने इमारती लकड़ी से ५५ हजार की आमदनी की और ६० हजार रुपया खर्च किया। जलाने की लकड़ी और कोयला लकड़ी का काम जो किया गया उससे १,७५,००० पैदा किया और २ लाख खर्च करने का अनुमान है। लीसा पर ३८,५०,००० का खर्च है और ४७,२०,००० रुपये पैदा किये, घास और अन्य उपज से ६५ हजार की आमदनी की और २५ हजार खर्चा किया। इस तरह से खर्च का टोटल ४१,३५,००० आता है। जो वहां से आमदनी का अनुमान लगाया गया है वह ५०,१५,००० है। दूसरी एजेन्सी से खर्चा ८,८४,१०० है और आमदनी ४,०५,२०,००० है। जिसमें इमारती लकड़ी, बांस, घास वगैरह सब शामिल है। इस तरह की आमदनी वे करते हैं। आपके महकमे ने जो आमदनी की वह इतनी की, जो काफी से कम है। आपके महकमे के अधिकारियों पर तनख्वाह, मकान का किराया, रहन-सहन, खेमे ले जाने पर खर्च जो हुआ है वह इस प्रकार है। ३४,१४,००० अधिकारियों की तनख्वाह है। २०,८०,००० रुपया टिकट तार वगैरह का खर्च है। अब इसमें एक आकस्मिक व्यय भी रखा गया है। यह समझ में नहीं आया कि उनको वेतन अभी दें और यह भी दें। यह आकस्मिक कौन सी चीज है? अगर आप विकास योजनाओं को देखें तो उनमें ३ से लेकर १४ मदें हैं जिसका टोटल १,६०,३०० है। आकस्मिक व्यय के लिये इसमें २,१६,३०० रखा गया है। आपका संरक्षण पर व्यय ५९ हजार है। लेकिन यह जो आपका आकस्मिक व्यय है यह समझ में नहीं आया। वकील के यहां जब जाते हैं तब वहां पर वह कुछ मुतफर्रिक खर्चा लेता है जो रिश्वत वगैरह के लिये दिया जाता है। जब और सब चीजों के लिए यह खर्चा दे दिया गया तो फिर आकस्मिक किस बात के लिये लिया है, कुछ समझ में नहीं आया। इस बात को समझाया जाय।

एक बात और देखें। इसमें तीन साल की जुर्माने की रकम भी दी हुई है जो १,५३,०००, १,३०,००० और १,३५,००० है। यह देखा जाय कि जुर्माना किस पर हो रहा है। अगर जंगल से कोई झाऊ भी लेने जाता है तो उस पर जुर्माना कर दिया जाता है। कछला के पड़ोस में पिपरोल का जंगल कहलाता है। वहां पर अगर कोई आदमी कुछ सामान लेने जाता है तो उस पर जुर्माना कर दिया जाता है। उसको जंगल का सामान नहीं लेने दिया जाता है। अगर जंगल में शिकार के लिये मदद करने के लिए गांव वालों को बुलाते हैं और जब वे हकारा भी दे देते हैं और वहां जंगल से कुछ सामान लाते हैं तब भी उनके ऊपर जुर्माना कर दिया जाता है। उनको घास भी लाने नहीं दिया जाता है। अगर कोई थोड़ा बहुत ले आता है तो उस पर जुर्माना कर दिया जाता है। इस आपके आकस्मिक व्यय की तफसील तो कुछ भी नहीं है कि कहां पर जुर्माना किया गया है। आपकी नीति है कि जंगल बढ़ें। मैं खुद चाहता हूं कि जंगल बढ़ाये जायं, लेकिन बढ़ायेंगे कहां? चूल्हे पर? जब खेती के लिये ही जमीन नहीं है, तो जंगल कहां बढ़ाये जायंगे? हम उपज बढ़ाने के लिये मोहताज हैं और जंगल बढ़ाने की बात करते हैं। करोड़ों रुपया इस मद में बेकार खर्च हो रहा है। मैं चाहता हूं कि जंगल तो खूब बढ़ाये जायं लेकिन साथ ही जमीन भी बढ़ाई जाय। यहां पर तो नहर की पटरियों पर भी जंगल लगा दिये गये हैं। मैं सुझाव देता हूं नहर की पटरियों पर पाकड़, पीपल, बरगद और ढाक के पेड़ लगाये जायं। उन पर लाख पैदा की जाय। इन पेड़ों से साया भी काफी मिल सकती है और उन पर लाख भी काफी पैदा हो सकती है।

[श्री टीकाराम]

इस बजट में १,०५,००० का खर्च जंगली जानवरों को पालने के लिये रखा गया है। १० हजार के जानवर हैं और उनके पालने के लिये बाकी का रुपया है, करीब ९० हजार के। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि जंगली शेरों की नस्ल बरबाद होती जा रही है इसलिये दो शेरनी और एक शेर चकिया में पाले गये हैं, उनके लिये एक भैंसा रोज कलेऊ में दिया जाता है। जंगल के शेरों को मरवाया जाय और यहां इस तरह से रुपया खर्च करके उनको पाला जाय! 'हंसब ठठाय, फुलाउब गालू।' यह क्या है?

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया। अगर किसी को एतराज न हो तो इस ग्रान्ट का समय जो ३ बजे समाप्त होने वाला है उसको ३.२० तक कर दिया जाय और बहस ३.२० तक चलने दी जाय।

[* * *]

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—मेरा प्रस्ताव है कि इस अनुदान पर बहस के लिये सदन का समय आधा घंटा बढ़ा दिया जाय और सदन बाद में साढ़े पांच तक बैठे।

श्री उपाध्यक्ष—तो आधा घंटा समय बढ़ गया, साढ़े तीन बजे तक यह चलेगा। जब पांच बजने को आवेगा तब दूसरी बात पर विचार हो सकता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—सवेरे तय हो चुका है कि इस अनुदान पर पौने दो घंटे और दूसरे पर २ घंटे दिए जायेंगे। दूसरे में से न काटा जाय।

श्री उपाध्यक्ष—समय बढ़ाने का जहां तक संबंध है, उस समय एक प्रस्ताव आना चाहिये, तभी प्रस्ताव आने पर समय बढ़ेगा।

न्याय उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—मैं सुझाव दूंगा कि आधे घंटे की जगह दोनों में १५, १५ मिनट बढ़ा लें।

श्री उपाध्यक्ष—इस समय एक बात तो तय हो चुकी है।

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुदान के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। २ करोड़ ३१ लाख रुपया जो वन विभाग के लिये रखा गया है बहुत कम है, खासतौर से जबकि इस विभाग से ४ करोड़ ४२ लाख रुपये की आमदनी भी होती है। बिजली या चूर्क सीमेंट फैक्ट्री इत्यादि का इनवेस्टमेंट देखें जिनसे वन विभाग का इनवेस्टमेंट ज्यादा पेइंग है। इस अनुदान में रुपया बढ़ाने का लाभ हमारी आनेवाली संतान भी सैकड़ों वर्ष तक उठाती रहेगी।

श्री प्रताप सिंह जी ने कहा कि जंगल विभाग की आमदनी का कुछ हिस्सा पर्वतीय प्रदेश की भलाई के लिये, वहां के विकास के लिये, खर्च होना चाहिये। मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं और इसी आधार पर सरकार ने वहां पर डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को आर्थिक अनुदान दिये हैं, जैसे २.५० लाख अल्मोड़ा और गढ़वाल को और १ लाख नैनीताल को दिया जाता है। मगर मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर और गौर करे क्योंकि वहां विकास का कोई और जरिया नहीं है। वहां वन ही एक ऐसी सम्पत्ति है। दूसरे, उन्होंने कहा कि २ रुपये व ५ रुपये छोटे कर्मचारियों के बढ़ना जो पास हुआ था वह सारे विभाग वालों को तो मिल गया मगर वन विभाग वालों को नहीं मिला। गर्म कपड़े, जूते वगैरह भी नहीं दिये गये। उनके लिये यह कहा गया कि वह सुपीरियर या इन्फीरियर सर्विस के हैं। मैं समझता हूं कि सरकार इन दोनों बातों पर ध्यान देगी।

श्री खुशीराम जी ने एक विचारधारा रखी कि हरिजन समुदाय पर्वतीय प्रदेश में बहुत पिछड़ा हुआ है, उनके पास कहीं जमीन नहीं है, क्योंकि वे हमेशा सवर्ण लोगों की खेती करते

नोट—[* * *]माननीय उपाध्यक्ष की आज्ञा से निकाल दिया गया।

रहे हैं। अगर कहीं बहुत थोड़ी सी जमीन है भी तो वह नाममात्र के लिये है। इसलिये यह मसला बहुत महत्व का है और इस पर गम्भीरता से विचार होना चाहिये। हरिजनों के लिये कुछ जमीन अवश्य होनी चाहिये। पर्वतीय प्रदेश में ज्यादा जमीन नहीं है, इसलिये तराई में भी उन्हें कुछ जमीन मिलना चाहिये।

मैं सारांश में अपनी बातों को कहूंगा क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम है। जैसा काश्मीर में होता है, हमारे यहां भी फारेस्ट विभाग में इंडस्ट्री का काम होना चाहिये। जैसे इसी में स्वायल कन्जर्वेशन तथा एफारेस्टेशन भी हैं। वैसे ही फारेस्ट से एलाइड उद्योग वहां खोले जावें। यह मुनासिब नहीं है कि पहाड़ों से रा मैटीरियल लाकर यहां एक्सप्लायट किया जाय, जैसे पहाड़ से चीजे लाकर क्लटरबकगंज में बाबिन या रेजिन का काम होता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार एक इंडस्ट्रियल कारपोरेशन बनाकर पर्वतीय प्रदेश में इस कार्य को चलावे। जब काश्मीर में ३०० मील से लकड़ी का बना हुआ माल पठानकोट लाया जा सकता है, तो कोई वजह नहीं है कि हमारे यहां भी वैसा ही न किया जा सके। काश्मीर में एक ज्वाइनरी मिल बनायी गयी है जिसमें दरवाजे, खिड़कियां वगैरह बना कर पठानकोट में लाई जाती है। बहुत सी छोटी-छोटी चीजें जम्मू में बनायी जाती हैं। यदि ऐसा हमारे यहां भी किया जाय तो बेरोजारी भी हल होगी। मैडिसिनल प्लान्ट्स और हर्ब्स का काम फारेस्ट विभाग को अपने हाथ में लेना चाहिये। इसे इंडस्ट्रियल कारपोरेशन के जरिये चलाने से काफी आय होगी। रेजिन का काम भी पर्वतीय प्रदेश में हो सकता है। इससे कई किस्म की चीजें बनती हैं। अगर कोआपरेटिव से काम कराया जाय तो भी काफी लोगों को रोजी मिलेगी।

कुछ दिन हुए, मैं कैलाश यात्रा के लिये गया था। मैंने देखा कि भोट के इलाके में स्वायल इरोजन बहुत अधिक हो रहा है। हमारा इण्डो-टिबटन इलाका है जहां फारेस्ट का कोई काम नहीं हो रहा है। पिथौरागढ़ में ५ रेंजेज के साथ २ और खोलने की जरूरत है जो कि रिवर रेन्जेज कहलावेंगी। काली नदी का एक रेंज हो और गोरी नदी का एक रेंज हो क्योंकि इन इलाकों में जंगल लगाने की बहुत आवश्यकता है। मैं जब कैलाश गया तो मैंने देखा कि टोला नामक गांव के आस-पास फर, स्प्रूस के बहुत ही कम पेड़ हैं। सारा इलाका वीरान पड़ा हुआ है। अगर हम वहां थोड़ी सी भी कोशिश करें तो काफी मात्रा में जंगलों को बढ़ाया जा सकता है। इस तरह से अगर दो रेंज और बढ़ा दिये गये तो उस इलाके का काफी उत्थान हो सकता है और भविष्य में इस प्रदेश को बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। काली नदी जहां से निकलती है वहां के जंगलों से हम तिब्बत में लकड़ी भेज सकते हैं। उस इलाके में बहुत से काम कंस्ट्रक्शन के हो रहे हैं, लेकिन उनको वहां पर लकड़ी नहीं मिलती है। अगर हम हिमालियन रेंज की लकड़ी को वहां भेज सकें तो हमें बहुत लाभ हो सकता है। आजकल उनको नेपाल से लकड़ी लानी पड़ती है। वहां की लकड़ी के बजाय हमारे यहां की लकड़ी उनको सस्ती पड़ेगी और हमारे लिये भी लाभ की चीज होगी। इसलिये यह जो काली नदी का एरिया है इसमें जंगल लगाने की बड़ी आवश्यकता है जिससे हम सीधे तिब्बत से अपना टिम्बर का बिजनेस चालू कर सकें।

आपने जो पिथौरागढ़ डिवीजन खोला है, उसकी हमें बहुत दिनों से आवश्यकता थी। उसके लिये सरकार बधाई की पात्र है। उस इलाके की यह एक बहुत ही जरूरी मांग थी। उसके बारे में मेरा यह भी कहना है कि उस डिवीजन में जो पांच रेंज आपने खोले हैं, उनमें अभी बिल्डिंग्स नहीं बनीं, आफिसेस नहीं बने, डिवीजनल आफिस की भी ठीक व्यवस्था नहीं है। यदि यह व्यवस्था ठीक हो जाय तो वहां का काम और भी ज्यादा अच्छी तरह से हो सकता है। इसी संबंध में मैं माननीय मंत्री जी को इस बात के लिये भी धन्यवाद देता हूं कि प्रथम श्रेणी के वनों के विकास के लिये आपने ६,२१,००० रुपये और कुमायूं में फलों के पेड़ों के विकास के लिये १,१३,००० रुपये मंजूर किये हैं। यह रुपया तभी अच्छी तरह से काम में लगाया जा सकता है जब कि आपके ये डिवीजन अच्छी तरह से फंकशन कर सकें।

[श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट]

इसके अतिरिक्त (फ्यूएल) ईंधन और (टिम्बर) इमारती लकड़ी वगैरह के बारे में वहां की व्यवस्था ठीक नहीं है । इसके बारे में वहां के लोगों को बहुत शिकायतें हैं । सरकार को उनकी शिकायतों की ओर ध्यान देना चाहिए ।

सरकार की ओर से जो फारेस्ट्स के डेवलपमेंट का काम हो रहा है, यह बड़े संतोष की बात है । सरकार वहां पर रोड्स को डेवलप कर रही है, यह ठीक है लेकिन इस संबंध में सरकार को और अधिक ध्यान देना चाहिए क्योंकि पी० डब्ल्यू० डी० जितने रुपये में वहां पर सड़कें बनाती है उससे बहुत कम रुपयों में वन विभाग द्वारा वहां पर सड़कें बन जाती है। इसलिये सरकार को फारेस्ट डिपार्टमेंट को रोड कंस्ट्रक्शन के लिये ज्यादा रुपया देना चाहिए । इनके होने से टूअरिस्ट ट्रैफिक भी बहुत बढ़ सकता है । आप टूअरिस्ट हटों को भी बनायें और यूटेंसिल्स भी वहां रखें तो टूअरिस्ट ट्रैफिक बहुत बढ़ सकता है ।

जैसा कि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि जंगलों का जो नीलाम हो वह टर्म बेसिस पर हो तो ज्यादा अच्छा होगा और आपको उसकी रायल्टी भी ज्यादा मिल सकती है और ठेकेदार उसमें ज्यादा पैसा भी अपना लगा सकता है । उसके अन्दर आधुनिक मिकेनिकल डिवाइसेज को काम में ला सकता है । आजकल जो फारेस्ट एक्सप्लायटेशन के नये-नये औजार हैं, जैसे कि कनाडा और काश्मीर में प्रयोग किये जाते हैं, उनको मंगवा सकता है और इस प्रकार के औजार हमारे देश में भी काम में लाये जा सकते हैं। जैसे वायर रोप वे, ट्रैक लाइन, लौग गेट सिस्टम, दरख्त गिराने की मशीन आदि । मुझे सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना है कि जंगलात में अभी जितने दरख्त काटे जाते हैं उसका ७० परसेंट वहीं वेस्ट हो जाता है । उनको यूटिलाइज नहीं किया जाता है । तो जो वेस्ट मैटीरिअल रह जाता है, उसको भी यूटिलाइज करने की ओर सरकार का ध्यान होना चाहिये ।

सरकार का ध्यान मैं इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि ग्राम पंचायतों को यह नहीं मालूम होता है कि कौन सा तरीका अख्तियार करें जिससे जंगलात को अच्छी तरह से विकसित कर सकें और ऐसे ही दरख्तों को काटें जो डेड डाइंग या डिकेइंग हो, और जो हरे पेड़ हों, secd bearer हों और जिन्दा रहने वाले हों, उनको रहने दें ।

जहां तक स्वायल इरोजन का संबंध है, सरकार से मेरा यह कहना है कि वह पर्वतीय प्रदेशों के लिये एक पाइलट प्रोजेक्ट बनावें जिससे वहां पर जो स्वाइल इरोजन हो रहा है वह रुक सके ।

एक और बहुत जरूरी बात की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । आजकल वहां पर सेटिलमेंट का काम हो रहा है, चार जिलों में सेटिलमेंट चल रहा है । तो मैं चाहता हूं कि फारेस्ट डिपार्टमेंट और सेटिलमेंट स्टाफ में कोआर्डिनेशन हो । वहां पर सेटिलमेंट आफिसर एग्रीकल्चरल लैंड और पासस्चर लैंड का सेटिलमेंट कर रहे हैं । अगर फारेस्ट डिपार्टमेंट सेटिलमेंट आफिसर के साथ मिल कर काम करे तो कुछ गावों को जो जंगल के पास हैं, इमारती लकड़ी और ईंधन की लकड़ी के मुहटया करने में असुविधा होती है, वह न हो। ऐसा होता है कि कुछ गांव वालों को ७, ८ मील तक जाकर जलाने के लिये लकड़ी लानी पड़ती है जब कि उसके गांव के पास ही दूसरा जंगल मौजूद है । तो इस तरह से जो पुराना नियम आज तक चला आ रहा है उसमें तब्दीली करने की जरूरत है । इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इन दोनों विभाग में कोआर्डिनेशन होना चाहिए ।

इसके अलावा मेडिसिनल प्लांट्स और हर्ब्स का काम भी ऐसा है जो हमारे प्रदेश में काफी उन्नत हो सकता है । अगर इस तरफ ध्यान दिया जाय तो फारेस्ट की काफी उन्नति हो सकती है । सरकार की तरफ से इस काम के लिये कोई एनकरेजमेंट नहीं है और न उसके एक्सटेंशन के लिये ही कोई स्कीम है । सरकार को चाहिये कि वह सोसाइटीज के द्वारा विलेजर्स को साईंटिफिक तरीके से काम करने की शिक्षा दे । फारेस्ट डिपार्टमेंट से मुझे यह भी कहना

है कि उस डिपार्टमेंट के जितने कर्मचारी हैं, उनको ग्रामीण जनता के साथ प्रेम और सद्भावना के साथ बर्ताव करने की आवश्यकता है। अंग्रेजी हुकूमत में सरकारी कर्मचारी ग्रामीण जनता को कई किस्म के कष्ट देते आये हैं, इसलिये वह उनसे दुखी रहती है और इसीलिये फारेस्ट डिपार्टमेंट से दुश्मनी करके वे जिद्द में आकर अक्सर जंगलात के दरख्त काट दिया करते हैं। सरकार को चाहिये कि वहां के लोगों को फारेस्ट माइंडेड बनाया जाय, क्योंकि फारेस्ट की बड़ी यूटिलिटी है, और यह राष्ट्र की एक बड़ी सम्पति है।

श्री उपाध्यक्ष---श्री गोविन्द सिंह बिष्ट, समय की कमी के कारण आपको ५ मिनट मिलेंगे।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट---श्रीमन्, एक बात मेरी भी सुन ली जाय कि केवल मेरा ही कटौती का प्रस्ताव है और कल भी मुझे ५ मिनट ही मिले थे।

श्री उपाध्यक्ष---समय ३५ मिनट ही शेष रह गया है, इसका भी सवाल है।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट---श्रीमन्, आधा घंटा समय तो बढ़ गया है।

श्री उपाध्यक्ष---लेकिन एक कुशल वक्ता के लिये ५ मिनट का समय कम नहीं होता है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---श्रीमन्, पहले स्पीकर साहब ने १० मिनट का समय रखा था। हम लोगों को भी उतना ही समय मिले।

श्री उपाध्यक्ष---अध्यक्ष को १० या ५ मिनट बढ़ाने का विशेषाधिकार शुरू से ही रहा है। शायद आपको उसकी जानकारी नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---मैं चाहता हूं कि मुझे १० मिनट दे दें।

श्री उपाध्यक्ष---१० मिनट तो नहीं लेकिन ७ मिनट का समय आपको मिलेगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---उपाध्यक्ष महोदय, श्री प्रताप सिंह और श्री नरेन्द्र सिंह जी ने इस संबंध में जो ठोस सुझाव दिये हैं उनका मैं ए से जेड तक समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---आपने आधे मिनट में ही २० मिनट की बात कह दी।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट---श्रीमन्, मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी सहृदयता के साथ उन सुझावों पर गौर करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, कहा गया है कि वनों में बहुत अधिक पेड़ काटे जा रहे हैं। इसमें दो रायें नहीं हो सकती हैं कि बलिया और प्रान्त के दूसरे हिस्से में जो बाढ़ आती रहती हैं उसकी जड़ में यही चीज है। उसका कारण यह है कि पहाड़ों में बहुत अधिक पेड़ काटे गये हैं और वहां पर अब पानी अधिक बरसता है और वह सब एक दम से नीचे आ जाता है। मैं चाहता हूं कि मरोड़ा या सरयू की तंग घाटियों में बड़े-बड़े डैम बनाये जायं और एफोरेस्टेशन कराया जाय ताकि पानी वहां रुके और नीचे न आ सके। अगर हमें किसी मर्ज को दूर करना है तो उसकी जो जड़ है उसको पहले खत्म करना चाहिये। यहां पर भी दामोदर वेली जैसे प्रोजेक्ट की जरूरत है उससे हमें सस्ती बिजली भी मिल सकेगी और हमारा प्रदेश बाढ़ से भी तबाह न होगा।

दूसरी बात यह है कि वन महोत्सव जो होता है वह आप माफ फरमायें, केवल एक सेलीब्रेशन जैसे होता है। कुछ आम वगैरह के बड़े-बड़े फल बड़े-बड़े आदमियों को बुला कर खिला दिये, बस हो गया। जो पेड़ लाखों की तादाद में लगाये जाते हैं वह अधिकतर सूख जाते हैं। लाखों की तादाद वाले पेड़ हजारों में भी नहीं हो पाते। उनकी मारटेलिटी बहुत ज्यादा है।

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

तीसरी बात यह है कि हमारे यहां के पेड़ों में कुछ ऐसी बीमारी हो गई है कि साफ, सीधा चीड़ नहीं पैदा होता बल्कि घुमावदार होता है और एक ड्वार्फ बौना पौधा रह जाता है। यह चीड़ एक ऐसा पेड़ है जो टिम्बर के बहुत काम का है और उसकी बहुत यूटिलिटी है। पता नहीं कि चीड़ की तरक्की के उपाय की तरफ क्यों गौर नहीं किया गया ?

इसके अलावा मैं यह भी अर्ज करूंगा कि फारेस्ट मैनुअल बहुत पुराना हो गया है और फारेस्ट डिपार्टमेंट का कार्य उसके द्वारा संचालन करने में बहुत कठिनाई हो रही है इसलिये उसका नया संस्करण निकलना चाहिये। रूल्स कमेटी बनाई गई थी लेकिन उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। उसमें ठेकेदारों से सील करने आदि के पूरे रूल्स होने चाहिये।

इसी तरह से जो गृह उद्योग हैं, दियासलाई, कागज, लीसा, आदि के उनके कारखाने कल्क्टर-बकगंज में न होकर अल्मोड़ा, गोरखपुर और नैनीताल में होने चाहिये। इसका उद्योग फारेस्ट विभाग की ओर से होना चाहिये।

इसके अलावा यह भी कहा गया कि हमारी इस सरकार की नीति से हमारे यहां शेर खत्म हो गये और सरकार को अच्छे शेर बाहर से लाने पड़े। मैं तो सरकार से कहूंगा कि वह यहां के शेरों को पनपने दे (जंगली व जंगल के बाहर वाले, दोनों तरफ के) ताकि उसे शेर बाहर से न मंगाने पड़ें।

यह भी कहा गया कि वन विभाग से संबंध रखने वाला स्कूल कानपुर में खोला गया। मैं समझता हूं कि उद्योग के केन्द्र में, जहां पर जंगल नहीं है, वहां पर यह स्कूल रखना उचित नहीं था, कहीं पहाड़ पर जंगल के पास में ही खोलते तो ठीक था। मैं प्रार्थना करूंगा कि उसको उठाकर किसी जंगल के करीब के स्थान में ले जायं।

कुमायूं में लोगों के पुराने हकूक जंगलों से लकड़ी, घास आदि लेने के हैं, वह मिलने चाहिये, क्योंकि पहाड़ों में जाड़ा अधिक होता है और लकड़ी की जरूरत बहुत ज्यादा होती है और वहां पर गुरबत सारे देश से ज्यादा है। इसलिये उनके वह हकूक न छीने जायं। जहां तक जंगली जानवरों के संरक्षण का प्रश्न है, मैं मंत्री जी से कहूंगा कि सब से ज्यादातर वन विभाग के अफसरों की ही शिकायत सुनने को मिलती है कि वह सब से अधिक शिकार खेलते हैं और सारे हिरन, पाढ़े, चीतल वह मारते हैं और उन्हीं पर इसकी जिम्मेदारी है।

एक तरफ मैं और तवज्जह दिलाऊंगा कि आज जिस विभाग को हमारे Liberal स्वभाव के मंत्री व उपमंत्री सुशोभित करते हैं उनके नीचे अधिकारियों में घोर साम्प्रदायिकता फैल गई है। कहते हैं इधर सेक्रेटेरियेट में कुछ पदों के हेरफेर होते ही नैनीताल से चीफ कंजरवेटर का दफ्तर हटकर लखनऊ आ जायगा। यह गलत बात होगी। कार्यालय जंगलों के नजदीक है वह ठीक है। एक बात जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि रामनगर में लाखों स्लिपर (sleeper) पकड़े गये, बिना मोहरवाले। एक रूप किशोर के नाम कोई ठेका बनाया गया। उसके नाम पर कोई ठेका नहीं निकला। ये स्लीपर सौनी व धोलछीना (अकोड़ा) के जंगलों से लाये गये थे। मैं जंगल विभाग के उन अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने स्लिपर पकड़े, लेकिन इसके लिये मैं उनको मुबारकबाद नहीं दे सकता हूं कि उनको छोड़ क्यों दिया गया। माननीय मंत्री जी इस पर पूरे विस्तार से किसी उच्च अधिकारी से, जो वन विभाग का न हो, उससे इसकी तहकीकात करायेंगे, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है जिसकी हद नहीं है, खासकर कुमायूं डिवीजन में।

अन्त में एक तवज्जह और दिलाना चाहता हूं कि ऐसे अफसर हैं जो जिन्दगी भर चीड़ के जंगल में रहे। ऐसा नहीं है कि उनको किसी दूसरे चीड़ के जंगल में नहीं भेजा जा सकता। आज वे साल के जंगलों में फेंके जा रहे हैं और साल के जंगल वाले चीड़ के जंगल में फेंके जा रहे हैं। इस तरह से नहीं होना चाहिए। इस तरह से न उनका पैनलाइजेशन ही होता है बल्कि बहुत ज्यादा टी० ए० के रूप में भी देना पड़ता है। इस चीज को रोका जाय।

श्री उपाध्यक्ष—श्री श्रीकृष्ण गोयल, मुझे अफसोस है कि मैं पांच मिनट से ज्यादा न दे पाऊंगा।

श्री श्रीकृष्ण गोयल (जिला बदायूं)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि तीन चार दिन की कोशिश के बाद मुझ पर आप की नजर पड़ी और आपने चन्द मिनट देने की कृपा की।

माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है उसके समर्थन के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

आज सबेरे से वन विभाग पर बहस हो रही है। उसको मैं सुनता रहा। दोनों तरफ के सदस्यों ने कहा कि वन विभाग के विकास की आवश्यकता है और वन हमारी नेशनल वेल्थ है। लेकिन एक माननीय सदस्य मुंशी टीकाराम जी, जो हमारे जिले के रहने वाले हैं, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जमीन को बढ़ाया जाय और बनों को कम किया जाय।

इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि वन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, हाउसिंग, ऐग्रीकल्चर, हर किस्म की प्रगति के लिए और सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक हैं। पता नहीं हमारे मुंशी जी किस तरह से बात कह रहे थे कि जमीन बढ़ायी जाय। मेरी समझ में नहीं आया कि किस तरह से जमीन बढ़ायी जाय। एग्रीकल्चर के लिए वनों की आवश्यकता है, बरसात के लिए वनों की आवश्यकता है, हर किस्म के वनों की आवश्यकता है।

मैं चन्द बातें अपने जिले की माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं। हमारे जिले के अन्दर जो कुछ भी जंगलात का एरिया है ज्यादातर मेरी ही कांस्टीटुएंसी में है। वह भी जमींदारी एबालिशन के बाद आया है। गंगा के किनारे जो खास एरिया था, जो पहले बंजर के रूप में था वह जमींदारी खत्म होने के बाद वन विभाग ने ले लिया। वहां के आदमी जो वहां से झाऊ, लकड़ी या पत्ते लेते या कैटिल का ग्रेजिंग करते थे उनके लिए बड़ी असुविधा हो गयी है। यहां तक होता है कि ग्रेजिंग के लिए ठेका दिया जाता है। ठेकेदार मनमानी रकम चराई की लेता है। झाऊ भी वहां के लोगों के लिए खास चीज है। उससे वे छप्पर और कुएं बनाते हैं। आज उनकी यह हालत हो गयी है कि उनके कुएं वैसे ही पड़े हुए हैं और वह छप्पर भी नहीं बना सकते हैं।

हमारे क्षेत्र में सैलाब तीन साल से बहुत नुकसान कर रहा है। इसकी तरफ जिले के अफसरों का भी ध्यान आकर्षित किया गया, लेकिन मुझे अफसोस है कि कोई कार्यवाही नहीं हुई। एक पिपरौल गांव है जिसमें बहुत बड़ा बंधा था। वह किसी समय में रेलवे विभाग ने बनाया था। लेकिन अब शायद रेलवे विभाग को उस बंधे की जरूरत नहीं है इसलिए उसने उसको छोड़ दिया है। उस पर जितनी वेजीटेशन थी वह वन विभाग ने ले ली। १९५० में जब सैलाब आया तो उसमें दो बड़े-बड़े ब्रीचेज हो गये। उससे कितने ही गांवों को नुकसान हुआ। जिलाधीश और हम लोगों ने सरकार से लिखा-पढ़ी की, लेकिन उस बंधे का कोई मालिक बनने को तैयार नहीं हुआ। वेजीटेशन तो वन वभाग ने ले ली, लेकिन उसकी देखभाल के लिए वे तैयार नहीं हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि उस बंधे को वन विभाग के अन्तर्गत मान कर जल्दी से जल्दी ठीक करवाने का कष्ट करें।

इसके अलावा मान्यवर, मेरे क्षेत्र के अन्दर जो एरिया जंगलात के लिए लिया है उसके अन्दर ब्ल्यू बुल्स, नीलगाय बहुत हैं। उनकी वजह से बहुत जबर्दस्त हानि काश्तकारों को होती है। दिन में तो वह जंगलात में छिपे रहते हैं और रात को वह निकलकर सैकड़ों बीघे फसल का नुकसान कर देते हैं। तो मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह जिलाधीश को आदेश दें कि उस क्षेत्र के लोगों को ज्यादा लाइसेंस दिये जायं जिससे कि वह अपनी फसलों की रक्षा कर सकें। यही दो मेरे सुझाव हैं जो मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी की सेवा में पेश करता हूं और फिर इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—उपाध्यक्ष महोदय, अनुदान संख्या ५ में जो माननीय प्रताप सिंह जी ने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वैसे तो मैं ऐसे क्षेत्र से आया हूं जहां पर कि जंगल नहीं हैं, लेकिन अब जंगल का जो नया विस्तार होने जा रहा है उसमें हमारे क्षेत्र पर भी कुछ असर पड़ेगा। इसलिए मैं अपने कुछ सुझाव माननीय मन्त्री महोदय को देना चाहता हूं। हमारे जिले उन्नाव में, वैसे जिले भर की फिगर [illegible] मेरे पास नहीं है, लेकिन बहुत काफी तादाद में आराजी जंगलात विभाग द्वारा ली गई है। तहसील हसनगंज में २२,४०८ एकड़ परती जमीन जंगलात विभाग को दे दी गई है। इस जमीन का गजट सन् १९५२ में हो चुका था लेकिन उस गजट में नम्बरान की तफसील वगैरह नहीं है बल्कि गावंवार रकबा उसका दे दिया गया है। उसका डिमार्केशन अब हो रहा है। इस दौरान में उस जमीन में कुछ गांव सभा ने, गांव समाज ने, कुछ आराजी के इन्तजाम कर दिए, पट्टे कर दिए और उन पर काश्तकारों ने उनकी रजामन्दी से अपने खेत बना लिए। उस पर वह आज चार पांच साल से काश्त कर रहे हैं। ऐसी जमीनों के बारे में अभी कल मैंने एक प्रश्न के सिलसिले में पूछा तो माल मन्त्री जी ने उत्तर दिया कि ऐसी जमीन जो कि वन विभाग को चली गई है उसमें से अगर किसी हिस्से को काश्तकार जोतते थे तो उनको अदालत जाना होगा और अगर अदालत में राइट इस्टैब्लिश हो जाता है तब वह उनको मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। तो मेरा सुझाव यह है कि जिस जमीन पर खेती हो रही है और गल्ला पैदा हो रहा है, आज गल्ले की खराब परिस्थिति को देखते हुए ऐसी खेती योग्य जमीन में जंगल लगाना कोई वाइज स्टेप नहीं होगा। मेरा सुझाव है कि उन आराजियों पर जो कि काश्तकारों के कब्जे में थीं, और जिनको वह जोतते थे, उन पर उनको टेनेंसी राइट्स जरूर दिये जायं।

हमने देखा है अपने जिले में कि जितनी जमीन ली गई है उसमें से करीब-करीब ५० प्रतिशत ऐसी है जिसमें ऊसर है, वहां रेह हो जाती है और उसमें किसी किस्म की घास या पेड़ नहीं उग सकता है जब तक कि रेह का बनना बन्द न कर दिया जाय और जमीन की फर्टिलिटी न बढ़ाई जाय। इसलिए हमारा सुझाव है कि डिमार्केशन करने से पहले, जिसमें कि जमीनों और लेखपालों पर व्यर्थ का वेस्टेज हो रहा है, कम से कम उसको एग्जामिन कर लिया जाय कि आया वह इस काबिल है, उसमें पेड़ लग सकता है या नहीं। तब उसका डिमार्केशन किया जाय। वरना जितना पैसा लगाया जायगा, वह सब वेस्ट हो जायगा और जंगल भी उसमें पैदा नहीं हो सकेंगे। साल भर के बाद सरकार को यह एलान करना पड़ेगा कि हमने यह जमीन छोड़ दी।

दूसरी बात यह है कि कुछ गांव ऐसे हैं जहां कि बिलकुल आबादी के पास से जंगल विभाग ने हदबन्दी कर दी है। अब वह निलकते हैं तो जंगल की जमीन पर, उनके जानवर भी निकलते हैं तो जंगल की जमीन पर, तो उनके आने जाने के लिए, रहने के लिए क्या सुविधा दी जायगी? इन बातों की बाबत मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी सफाई कर दें।

श्री प्रताप सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का, इस तरफ बैठने वाले और उस तरफ बैठने वाले, दोनों तरफ के सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने कि मेरे सुझावों का समर्थन किया और कटौती के प्रस्ताव का भी समर्थन किया। मुझे अन्त मे यही निवेदन करना है, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, इस विभाग में प्लांड तरीके से काम होना चाहिए। अभी नैनीताल की जो तराई है, जिसको हल्द्वानी डिवीजन कहते हैं, उसके बहुत से हिस्से सुरई रेंज में मिला दिये गये हैं। और कई वर्षों से वह लोग हल्द्वानी डिवीजन से लकड़ी लाते रहे। अब उनको कठिनाई हो रही है। मैं चाहता हूं कि पीलीभीत में ज्यादा जंगल बढ़ाया जाय न कि किसी का हिस्सा काट कर दूसरी जगह मिला दिया जाय। मैं समझता हूं यह सही नीति नहीं है।

अभी २४ तारीख का एक वाकया है कुमायूं में रहने वाले जो लोग हैं, जिनको लकड़ी या गिरी हुई पत्तियों और घास को लेने का हक है जंगल से, जिसको वह बेच भी सकते हैं, वह

उनका हक छीना जा रहा है । तो मैं डी० एफ० ओ० से मिला । लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि डी० एफ० ओ० महोदय ने उस मांग को सुनने के बाद जनता से बात करना पसन्द नहीं किया । एक, दो लाइन में इस सिलसिले में पढ़ना चाहूंगा । यह हमारी ग्रीवांसेज हैं । फारेस्ट ग्रीवांसेज कमेटी की जो रिपोर्ट है कहती है कि लकड़ी और घास जंगल से लेकर अपने इस्तेमाल के बाद ट्रैवलर्स को बेच सकते हैं । तो मैं चाहूंगा कि जो हमारा पुस्तैनी हक है और जिसे जो फारेस्ट बोर्ड १९२३ में बना था उसने भीमाना था, तो जो हमारे हक हैं उनके लिये मैं चाहूंगा कि माननीय वन मन्त्री, न्याय मंत्री भी होने के नाते, उनको न्याय से देखेंगे ।

जैसा अभी नरेन्द्र सिंह विष्ट जी ने कहा, रेजिन फैक्टरी जो है उसको सरकार दुगुना करने की सोचती है । लेकिन मैं चाहता हूं कि बजाय इसके कि कई जगह का माल एक जगह इकट्ठा किया जाय, अगर दो, तीन जगह पर, प्रत्येक जिले में काटेज इंडस्ट्री की तरह से स्टार्ट किया जाय इस काम को तो ज्यादा अच्छा होगा । यह मानना पड़ेगा कि कुमायूं में प्रदेश की वन सम्पत्ति है और इसकी रक्षा जरूर करनी चाहिये । लेकिन उसके साथ ही साथ फारेस्ट ग्रीवांसेज कमेटी इस बात की राय देती है कि नेसेसिटीज को नजरअंदाज न किया जाय जो वहां के लोगों की हैं और जिनका उपयोग वह लोग अब तक करते चले आये हैं ।

अन्त में मैं चाहूंगा कि जो मैंने कुमायूं डेवलपमेंट बोर्ड और स्टेट फारेस्ट बोर्ड के सुझाव मंत्री जी के सामने रखे हैं उसको वह स्वीकार करें ।

श्री सैयदअली जहीर—उपाध्यक्ष महोदय, मैं तमाम माननीय सदस्यों का बहुत ही आभारी हूं । उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान में बहुत से ऐसे सुझाव दिये जो वन विभाग के लिए काफी वैल्यूएबिल हैं और उनके ऊपर हम बहुत अच्छी तरह से गौर करेंगे । उनमें से कितने हम पूरे कर सकेंगे, यह तो दूसरा सवाल है, मगर बहरहाल, हमारी यही कोशिश होगी कि जितने भी सुझाव हैं, जिनसे इस विभाग का फायदा होगा, उनको माना जाय ।

एक-एक बात का जवाब मैं नहीं देना चाहता क्योंकि इतना वक्त नहीं है और न जरूरत ही है । लेकिन चन्द मुख्य बातें जो हैं, और जो एतराजात हुए हैं उनके मुताल्लिक कुछ अर्ज करना चाहता हूं ।

एक एतराज यह हुआ था कि जंगलों में लोगों के लिये पीने के पानी का इंतजाम करने की जो स्कीम थी वह अब शायद छोड़ दी गई है । मैं तवज्जह दिलाऊंगा जो ड्राफ्ट ऐनुअल प्लान छपा है उसकी स्कीम नम्बर २ पर माननीय सदस्य देखें तो मालूम होगा कि स्कीम नम्बर २ जो है वह "Accommodation and water supply for the staff engaged to look after the private forest." यह सब पूरा ब्योरा दिया हुआ है । इस स्कीम के मातहत वहां पर कुछ न कुछ पानी पीने का इंतजाम किया जायगा । इसके अलावा भी जो और स्कीम्स थीं जैसे बुन्देलखंड वगैरह के लिये, जहां पानी की कमी है, उसका प्लानिंग विभाग के जरिये से इंतजाम हो रहा है और वह फारेस्ट डिपार्टमेंट से अलग हो गया है, यह नही है कि पानी का इंतजाम न किया जाय । बाज, बाज ऐसे हिस्सों में जहां पानी की बहुत असुविधा है वहां यह काम हो रहा है ।

एक तजवीज यह भी आयी कि प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट को जरा सख्त कर दिया जाय क्योंकि बावजूद इसके बहुत से जंगल कटते चले जा रहे हैं । इसका अहसास सरकार को भी है । हमको अहसास हो रहा है कि प्राइवेट फारेस्ट में जो दरख्त थे वे बहुत बड़ी तादाद में जमींदारी एबालिशन के बाद कट गये और बावजूद इस ऐक्ट के, अब भी जहां जहां पर वापस कर दिया है वेलिड लीज की वजह से, वहां पर भी जंगल कटते चले जा रहे हैं । हम इसकी अहमियत को महसूस करते हैं । या तो कानून को बदलना पड़ेगा या कोई तरीका निकालना होगा कि जो जंगल है उसको किस तरह से बचा सकेंगे, कैसे उसका कटना

[श्री सैयद अली जहीर]

रोक सकेंगे। बहरहाल दिक्कत यह आती है कि बहुत सी जगहों पर ऐसे लीजेज हैं जो कहा जाता है कि पहले से लिखे हुए थे। अदालत में वह मामला तय होता है। उसकी बुनियाद पर उसे वे वापस मांगते हैं। हम उनको रोकते हैं। जरूरत पड़ी तो शायद इसके लिये कोई कानून लाना पड़ेगा ताकि यह वापस न हों। अगर हो भी जायं तो जिस तरह से जंगलात का हिसाब होता है कि किसी एक खास किस्म के जंगल काटे जाते हैं और फिर वहां दूसरे दरख्त लगा दिये जाते हैं वही प्रोसीजर वहां अख्तियार करने को कहा जाता है। एक प्लान के मुताबिक जंगल काटे जायं, अन्धाधुन्ध काट कर जंगल खत्म न कर दिये जायं।

श्री शिब्बन लाल जी ने किसी रेंजर की शिकायत की थी, उस पर कोई खयाल नहीं किया गया। मुझे मालूम है कि जो शिकायत की गयी, उसकी तहकीकात की गयी और गालिबन वह मामला अदालत में दे दिया गया। वहां क्या नतीजा हुआ यह खबर मेरे पास नहीं है।

यह कहा गया कि जो टोंगिया फारेस्ट होते हैं उनमें लड़कों की पढ़ाई का और पानी का इन्तजाम नहीं होता। लेकिन मेरी इत्तला यह है कि जहां-जहां इस तरह के काम हो रहे हैं वहां पर उनके बच्चों की पढ़ाई का इन्तजाम भी होता है और पानी की जो सुविधा, मुमकिन है वह, उनके लिये मुहइया की जाती है।

कुछ शिकायत यह की गयी कि फारेस्ट पिलर्स सिर्फ ५० फीट हटाये जाते हैं, यह काफी नहीं है। इसके साथ यह भी किया गया है कि जिन जंगलों के किनारों पर आबादियां हैं वहां करीब १५० गज जंगल का हिस्सा उनके लिये छोड़ दिया जाता है जिसमें कि फल वगैरह के दरख्त वे लगा सकते हैं और उसमें जो सुविधायें गांव वालों को पहले से हासिल थीं वे उनको हासिल कर सकें। तो ५० फीट के बाद यह हिस्सा होगा। यह हर जगह नहीं है कि ५० फीट के बाद जंगल शुरू समझा जाय। जहां तक कम हो सकेगा वह जरूरत के लिहाज से किया जायगा। अगर ज्यादा बढ़ा देंगे तो उतनी ही हमारी फोरेस्ट वेल्थ कम हो जायगी, उस घाटे को रोकना है। लेकिन ऐसी बात नहीं होगी जिससे वहां के रहने वालों को कोई खास तकलीफ या जहमत हो।

यह भी तजवीज आई है कि कंजरवेटर का दफ्तर नरेन्द्रनगर या देहरादून में कर दिया जाय। इस पर गौर करेंगे कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर दिक्कत नहीं होगी तो अमल किया जायगा।

यह भी शिकायत हुयी कि टेहरी का कोई आदमी कुमायूं फारेस्ट कमेटी में नहीं है। माननीय सदस्य को इत्तला नहीं है कि सूरत चन्द रमोला जी को इस कमेटी का मेम्बर नामजद किया जा चुका है, वे गालिबन टेहरी के ही हैं।

श्री सूरतचन्द रमोला—सिर्फ एक ही तो है।

श्री सैयद अली जहीर—बहरहाल टेहरी का रिप्रेन्जेटेशन तो है। मेरे खयाल में तो सब जगहों को मिला कर आप अकेले टेहरी की नुमाइंदगी कर लेंगे।

यह भी शिकायत हुयी कि २ रुपया महंगाई बढ़ी वह फारेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को नहीं मिली। मेरी इत्तला यह है कि १०० रुपये से जिनकी कम तनख्वाह है उनकी भी सैलरी में ५ रुपये मंहगाई के बढ़े हैं। ५ रुपये की वृद्धि हुई है, २ रुपये की अगर हुई तो मुझे मालूम नहीं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—पहले दो रुपये की, फिर ५ रुपये की हुई। इस तरह ७ रुपये बढ़ने चाहिये।

श्री सैयद अली जहीर––अब जैसा कि और डिपार्टमेंटों के साथ होता है वैसा ही फारेस्ट डिपार्टमेंट के साथ होगा । मैं देख लूंगा । इस मद में १,७२,००० रु० सन् १९५७–५८ में रखा हुआ है और इस साल १९५८–५९ के लिये नहीं लिखा है । यह तनख्वाह जो बढ़ गयी है वह अलग-अलग लिख दी गयी है, इसलिये अलग प्रावीजन नहीं है; लेकिन दूसरी जो डिमांड्स हैं उनके ऊपर गौर हो रहा है और वह ठीक हो जायंगी ।

जहां तक सेटिलमेंट का ताल्लुक है, जंगलों के सेटिलमेंट कराने का इरादा है और जहां पहले से हो रहा होगा वहां के ऊपर गांव वालों का, वही रहेगा । सवाल यह उठता है कि अक्सर जगहों पर हकूक के बारे में कंट्रोवर्सी फैल जाती है । इस काम के लिये खर्चा ज्यादा न हो, इस खयाल से अलग सेटिलमेंट स्टाफ के मातहत नहीं रखा गया है, बल्कि जिलों के एस० डी० ओज० को इस काम के लिये नामजद कर कर दिया जाता है । अलग कोई कार्यवाही नहीं हो रही है और थोड़े ही जमाने में यह काम खत्म हो जायगा और जो-जो हकूक गांव वालों के हैं वह लिख दिये जायंगे और उनको हासिल रहेंगे । इसी सिलसिले में हमने कई जी० ओ० भी जारी किये हैं और उनमें यह लिखा है कि जो हकूक उनके पहले से हों वही रहें; मगर इसके साथ यह होता है कि हकूक अगर तसलीम किये जाते हैं तो लोग यह कोशिश करते हैं कि उससे नाजायज फायदा उठायें और इस सिलसिले में फारेस्ट आफिसर से क्लेश होता है । लेकिन हमारे डाइरेक्शंस हैं कि पुराने हकूक में कमी न होने पाये । मजरूआ जमीन, जो जोती बोई जा रही है और वन विभाग की है, अगर गलत तरीके से जोती बोई जा रही है तो वह ली ही जायगी । जो वाकई लीज हो चुकी है और पहले जंगल थी, जंगल कट गया है, तो जाहिर है कि उसके जोतने बोने में हम हायल नहीं होंगे ।

एक सवाल उठाया गया कि नैनीताल में कोयले और लकड़ी की कीमत बढ़ गयी है, अब साढ़े पांच रुपया कर दी गयी है कोयले की कीमत । उसकी वजह यह है कि हलद्वानी में पहले से ही साढ़े पांच रुपया थी और वहां के ऊपर नैनीताल से कोयला पहुंचता था, इस वास्ते मिल जाता था और मसूरी में कोयले की कीमत ८ रुपया है । अब तो खैर, नैनीताल में साढ़े चार रुपया कर दी गयी है । लकड़ी की कीमत वही १ रुपया ७ आने है, वह नहीं बढ़ायी गयी । कोयला जो आता है, तो पहले तो लकड़ी कटी मिल जाती थी, लेकिन वह रफ्ता-रफ्ता कम हो रही है और लकड़ी दूर से चलकर आती है, ट्रांस्पोर्ट के चार्जेज बढ़ गये हैं, इसलिये कोयले की कीमत बढ़ गयी । जहां तक गरीबों का मामला है उनके लिये लकड़ी ज्यादा मिल जाती है और काफी मिकदार में मिल जाती है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी––कुमायूं डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में भी कह दें ।

श्री सैयदअली जहीर––उस पर समय पर विचार किया जायगा । अब इस वक्त थोड़े ही आप से वादा कर लूंगा ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट––इमारत के लिये टिम्बर नहीं है ।

श्री सैयदअली जहीर––यह तो जलाने वाली लकड़ी की बहस है ।

श्री प्रताप सिंह––फारेस्ट बोर्ड बना दीजिये ।

श्री सैयद अली जहीर––उस पर विचार किया जायगा ।

इसलिये जो कट मोशन है उसका मैं विरोध करता हूं और दरख्वास्त करता हूं कि यह ग्रांट मंजूर की जाय ।

श्री प्रतापसिंह––श्रीमन्, यदि माननीय मन्त्री जी इस बात का आश्वासन दें कि वे कुमायूं डेवलपमेंट बोर्ड और स्टेट फारेस्ट बोर्ड का निर्माण करेंगे तो मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेने को तैयार हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५—वन—लेखा शीर्षक: १०—वन के अन्तर्गत १ रुपये की कटौती की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५—वन—लेखा शीर्षक: १०—वन के अन्तर्गत २,३१,२२,९०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४२—लेखा शीर्षक: ६३—असाधारण व्यय तथा अनुदान संख्या ५१—लेखा शीर्षक: ८५—क—राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर पूंजी की लागत

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि अगर माननीय न्याय मंत्री जी अनुदान संख्या ४२ और अनुदान संख्या ५१ दोनों को एक साथ पेश कर दें तो सहूलियत होगी ।

श्री सैयदअली जहीर—जी हां । उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४२—असाधारण व्यय—लेखा शीर्षक: ६३—असाधारण व्यय के अन्तर्गत ३५,९५,६०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५१—राज्य व्यापार की योजनायें—लेखा शीर्षक: ८५—क—राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत ११,४२,१९,९०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

इन दोनों मांगों का एक दूसरे से बहुत करीबी सम्बन्ध है ये फूड ऐंड सिविल सप्लाइज डिपार्टमेंट की मांगें हैं । ग्रांट नम्बर ४२ इसलिये है कि सिविल सप्लाइज स्टाफ, उसके सुपरविजन और फूडग्रेन्स स्टोरेज चार्जेज को मीट कर सकें । उसकी तफसील बजट में दी हुई है । लेकिन जो दूसरी ग्रांट नम्बर ५१ है वह ज्यादातर इस गरज से है कि अपने सूबे में जो हमको गुजिश्ता सालों से तजुर्बा हुआ वह यह कि बाज वक्त ऐसा आ जाता है कि एकदम से अनाज की कमी हो जाती है और उसके निर्ख चढ़ने लगते हैं तो उसके लिये हम अपना कुछ अनाज सेंट्रल गवर्नमेंट से खरीद करके रखें ताकि उसे हम फेयर प्राइस शाप्स या और जरिये से जनता तक पहुंचा सकें । आपको मालूम होगा कि गुजिश्ता साल के बजट में हमने इसके लिये करीब साढ़े ६ करोड़ रुपये के रखा था और यह समझते थे कि यह काफी होगा, लेकिन पूर्वी जिलों में एकदम से हालत खराब हो गयी और पश्चिमी जिलों में भी बाढ़ वगैरह से काफी नुक सान हुआ जिसकी वजह से तकरीबन १३ करोड़ रुपये का अनाज हमको खरीदना पड़ा । इस सिलसिले में जो सरकारी दूकानें हैं वे जनवरी, १९५८ में २४ जिलों में चल रही थीं । पहाड़ों के इलाके को छोड़कर हमारी २,११५ फेयर प्राइस शाप्स खुली हुई थीं । हमने ५२ लाख ३१ हजार मन गेहूं महज इन दूकानों के जरिये से बेचा और लोगों को दिया । मगर अब की दफा जो फसल है वह कुछ अच्छी है । इसके अलावा जो भी हमने मुख्तलिफ तरीके अख्तियार किये, जैसे कि हमने अपने सूबे से गेहूं बाहर जाने पर रोक लगा दी और चावल भी पूर्वी १४ जिलों से बाहर जाना रोका गया । इसकी वजह से निर्ख अब घट रहा है । इस वजह से हमारी दूकानों से गल्ले की मांग रफ्ते-रफ्ते कम होती चली जाती है । आप अगर मुकाबला करेंगे तो यह मालूम होगा कि पार साल जो कीमतें थीं उनके हिसाब से अब कीमतें बाजार में बहुत कम हैं ।

इसके साथ-साथ आपको यह भी अन्दाजा होगा कि जो हमारी दूकानों से गल्ला बिकता था, जो मोटा अनाज था उसकी भी कीमत हमने सस्ती कर दी है, लेकिन बावजूद इसके इसकी मांग इस वक्त ज्यादा नहीं है ।

पहाड़ों के ऊपर हमारी ३९४ दुकानें खुली हुई हैं । पहाड़ों के ऊपर यह है कि जो हम अनाज भेजते हैं उसके ऊपर यह है कि ३ रुपये तक तो जो खर्चा पड़ता है वह दूकानदार देते हैं और इसके ऊपर जो ज्यादा खर्चा पड़ता है वह सरकार अपने पास से देती है जो सब्सीडी की शक्ल में होता है । पहाड़ों के बाज हिस्से ऐसे हैं जहां पर अनाज का खर्चा ५,६,८ और १० रुपये तक फी मन पड़ता है, यह सब खर्चा सरकार खुद बरदाश्त करती है । अब इस वक्त पोजीशन यह है कि, जैसा आप सब जानते हैं कि, गुजिश्ता फसल एक के बाद दीगर काफी खराब हुई । लेकिन अब की दफा जो फसल है, बावजूद इसके कि बारिश कम हुई है और जाड़ों में जितनी बारिश होनी चाहिये थी उतनी नहीं हुई है लेकिन फिर भी फसल इस साल काबिले इतमीनान मालूम होती है । ७० हजार टन गल्ला हमारे पास मौजूद है और ५६ हजार टन मोटा अनाज हमारे गोदामों में है । इस वक्त हम यह समझते हैं कि अगर कोई आपत्ति न आई, और फसल तो अभी मालूम नहीं, क्योंकि डेढ़ महीना बाकी है, लेकिन अगर कोई मसीबत नहीं आई तो जितना अनाज हमारे पास है वह काफी है । जब अनाज बाजारों में कुछ दिनों के बाद आना शुरू हो जायगा तो कीमत और घटनी शुरू हो जायगी । जो हमारी तकलीफ हैं वह दूर हो जायंगी ।

सिविल सप्लाइज डिपार्टमेंट में, जैसा कि आप जानते हैं, चन्द खास-खास चीजें हैं । इसके जरिये से, जिन चीजों की कमी है, उन चीजों का इन्तजाम हम करते हैं । उसमें एक तो लकड़ी है । पिछले जमाने में लकड़ी की कमी थी । जो जलाने की लकड़ी होती है वह काफी मिकदार में नहीं थी लेकिन बाद को जब हालत कुछ दुरुस्त हो गयी तो सिर्फ दो बड़े-बड़े शहरों में कानपुर और लखनऊ में कंट्रोल बाकी रखा गया है । वहां जंगलों में लकड़ी प्रिजर्व करते हैं और वहां से यहां आती है और वह कंट्रोल के भाव पर बिकती है । इसके साथ साथ लोगों को यह भी आजादी है कि अगर वह चाहें तो लकड़ी मंगा सकते हैं । इसकी मुमानियत नहीं है । दाम बढ़ने न पायें और लोगों को तकलीफ न होने लगे इस वजह से थोड़ा सा कंट्रोल इन दो शहरों में लगा हुआ है । इससे ज्यादा नहीं । कोयले को भी हम पूरा करने की कोशिश करते हैं । साफ्ट कोक, जिसे जलाने का कोयला कहते हैं उसके लिये हमारे सूबे में साढ़े ६ सौ डिपो खुले हुये हैं । लेकिन मुश्किल यह है कि उसकी मांग बहुत ज्यादा है । लोगों को कोयला जलाने की आदत हो गयी है और इसलिये जितना वह चाहते हैं उतना कोयला मिल नहीं पाता । कोयले की कमी नहीं है लेकिन असल मुश्किल है वैगन्स की मुगलसराय ही एक ऐसा प्वाइंट है कि जहां से हमारे यहां कोयला आ सकता है । और वहां से जितने वैगन्स पास हो सकते हैं, हमारे सूबे में आ जाते हैं । इसीलिये यह कमी है । इसी तरह की वजह स्लैक कोल की कमी की भी है । यह कोयला ईंट फूंकने के काम में आता है । हम बार-बार सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पास जाते हैं और कहते हैं, लिखते हैं । वह रेलवे को लिखते हैं, लेकिन यह कमी पूरी नहीं हो पाती है । मैं आपको बतलाऊं कि गुजिश्ता साल में जब कि पूर्वी और पश्चिमी जिलों में बहिया आयी और बहुत से घर बेकार हो गये, हमने दिल्ली जाकर कोशिश की । उन्होंने कहा कि हम इस साल फ्लड रिलीफ के लिये १०,००० वैगन्स और देंगे । लेकिन कुल साढ़े चार सौ वैगन्स अब तक आ सके हैं और बाकी सब कागज पर लिखे हुए हैं जो हमारा असली कोटा है वह भी हमारे पास तक नहीं पहुंच पाता ।

इसी तरह से लोहे की बात है । १९५७–५८ में जो हमने हिसाब लगाया तो हमको ७२ हजार टन लोहे की कुल जरूरत थी, लेकिन इसमें से ४२,४९३ टन ही हमको मिला और उसकी वजह से, जाहिर है कि हमारे सूबे में लोहे की कमी रही । जितनी मांग है उसको हम पूरा नहीं कर सके ।

[श्री सैयद अली जहीर]

कोयले के लिये जो मैंने अभी बताया वह स्पेशल कोटे की बात थी। मामूली कोटे के लिये हमको ५० हजार वैगन्स की जरूरत है और उसमें से ३२ हजार वैगन्स एलाट किये गये हैं और इसका भी ५० फीसदी ही हमारे यहां पहुंच सका।

सीमेंट की हालत कुछ दिनों पहले तक काफी खराब थी और बहुत कम सीमेंट मिल पाती थी, लेकिन थोड़े दिनों से कुछ सहूलियतें हो गयी हैं और गवर्नमेंट आफ इंडिया इसके लिये तैयार है कि जितनी भी जरूरत हमको है, वह हमको देंगे। लेकिन इस वक्त दिक्कत यह है कि जितनी सीमेंट आ रही है उसको लोग खरीद डालें तो और आ जाय, लेकिन वह इतनी जल्दी बिक नहीं पा रही है।

कुछ सदस्य--नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है।

श्री उपाध्यक्ष--एक साथ ही कई माननीय सदस्य बोलेंगे तो काम कैसे चलेगा। आप लोग बाद में बोलियेगा।

श्री सैयदअली जहीर--आप मेरी बात सुन लीजिये। मुमकिन है कि बाज जगह वैगन्स की कमी की वजह से सीमेंट पहुंच न रहा हो लेकिन सूरत यह है कि इस वक्त गवर्नमेंट आफ इंडिया हम से कह रही है कि तुम कंट्रोल ही हटा दो और जितनी भी सीमेंट की जरूरत होगी वह हम तुमको देंगे। लेकिन मुश्किल यह है कि, जैसा आप लोगों ने कहा, मैं भी यही कहता हूं कि बाज जगहों से यह सुनने को मिलता है कि सीमेंट मिल नहीं रही है। उसकी वजह यह है कि सीमेंट, जितना उन्होंने वायदा किया है, पहुंच नहीं रही है, लेकिन मुल्क में काफी है और हमारे सूबे के लिये भी काफी एलाट कर दी गई है। ५५ हजार तो अलग से दे दी है हमारे एडहाक कोटे से और २९ हजार के बजाय ३२ हजार आपको फी महीने वह दे रहे हैं। यह मुमकिन है कि आज नहीं तो कल वह आप लोगों के यहां पहुंचे। तो इस तरह से जो सीमेंट की कमी है वह पूरी हो जायगी।

दूसरे और जो कंट्रोल हैं उनमें मकानों का कंट्रोल भी है। उसमें यह सूरत है कि जो मेरे पास नकशा है उससे यह मालूम होता है कि सन् १९५६ तक हमारे पास तकरीबन २१,४७५ मकान थे जिन्हें हम लोगों को एलाट किया करते थे। सन् १९५७ में उनकी तादाद घट कर १७,८८७ रह गई और मांग कम से कम सन् १९५६ में ५९हजार मकानों की थी और सन् १९५७ में ५८ हजार मकानों की मांग अभी तक हमारे पास मौजूद है। यह सही है कि जो मकान सन् १९५१ के बाद बने हैं, वह हमारे कन्ट्रोल में नहीं हैं और उनके बनने की वजह से ही शायद यह मांग घटी है, लेकिन जो मकान हम एलाट करते थे, उनकी तादाद घटी है, इसीलिये दिक्कत है। यह खुली हुई बात है कि लोगों को कोयला, सीमेंट और लोहा के न मिलने की वजह से मकान बनाने में दिक्कतें हैं और जब तक ये दिक्कतें रहेंगी तब तक मकानों की भी दिक्कत रहेगी। एक सवाल बराबर पूछा जाता रहा है, और कौंसिल में भी पूछा गया था कि क्या सरकार रेंट कंट्रोल ऐक्ट को बदलने का विचार रखती है या वापस लेना चाहती है? मुमकिन हो सकता है कि इसमें थोड़ी बहुत तरमीमें हों, लेकिन जो उसूली बातें हैं वह बदस्तूर रहेंगी।

सिर्फ दो बातें और बतानी हैं। जहां तक नमक का सवाल है वह भी इस वक्त काफी मिकदार में मिल रहा है। सिर्फ हालत यह है कि जिस जगह के साल्ट को हम चाहते हैं वह बाज जगह नहीं मिल पाता। हमारे यहां चार जगह का साल्ट आता है--सांभर, धारंगधरा, खारागोदा और कांधला से। इसमें भी कभी कभी वैगन्स की दिक्कत पड़ जाती है। इसमें भी हम थोड़ी सी तरमीम करने जा रहे हैं। साल्ट को ज्यादा फ्री कर दिया जायगा कि जो शख्स चाहे बेचे।

एक चीज नयी है, जिसकी मैं इत्तला देना चाहता हूं हमारे यहां मीट्रिक सिस्टम शुरू होने वाला है। जिस तरह से १६ आने के बजाय १०० पैसे का रुपया हमारा हो गया है उसी तरह से हमारा नाप जोख का तरीका भी होगा। सब चीजों के लिये हम मीट्रिक सिस्टम लागू कर रहे हैं और यह गालिबन अक्टूबर से होगा। शायद माननीय सदस्यों ने यह किताब देखी होगी। इत्तफाक से उसकी ज्यादा कापीज नहीं आयीं, इसलिये सिर्फ पार्टी के दफ्तरों में ही उसको भेज दिया गया है। आपको मालूम होगा कि हमारे मुल्क में मुख्तलिफ किस्म के बांट काम में लाये जाते हैं, नापों के तरीके भी मुख्तलिफ हैं, जिससे बड़ी जहमत होती है। कहीं ४० सेर का मन है तो कहीं ५० सेर का मन है और कहीं ६० सेर का मन है। जिले-जिले और गांव-गांव में फर्क पाया जाता है। इसी तरह मुख्तलिफ तरह की नाप भी चलती है। इसलिये तमाम दुनियां में जो मीट्रिक सिस्टम चालू है उसको हम अपना रहे हैं। ओलम्पिक गेम्स में भी मीट्रिक सिस्टम से ही काम होता है। दवाई वगैरा की नाप भी उसी सिस्टम से होती है। इस वजह से गवर्नमेंट आफ इंडिया ने यह फैसला किया है और गालिबन अक्टूबर से मीट्रिक सिस्टम लागू किया जायगा। इन चन्द अल्फाज के साथ मैं इस अनुदान को पेश करता हूं।

श्री मदन पांडेय---उपाध्यक्ष महोदय, आप कटौती का प्रस्ताव मूव करने के लिये ५ मिनट का मौका लारी साहब को दे दें और अनुमोदन करने का मौका मुझे दे दें।

श्री उपाध्यक्ष---दोनों सहूलियतें आपको एक समय नहीं दी जा सकतीं। जब आप लारी साहब को पेश करने का अधिकार देंगे तो आपको कोई राइट नहीं रह जाता है। आपको अवसर देने के बारे में बाद को देखा जायगा।

श्री मदन पांडेय---जैसी भी आपकी मंशा हो, लेकिन लारी साहब को ही मूव करने दें।

श्री उपाध्यक्ष---क्या आप दोनों कटौती के प्रस्ताव एक साथ ही मूव करेंगे? अलग चाहें तो अलग-अलग भी मूव कर सकते हैं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---मैं एक ही साथ दोनों अनुदान प्रस्तुत कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं अनुदान संख्या ४२ और ५१ की धनराशि में एक-एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने अनुदान पेश करते हुए जो बातें कही हैं उनको मैंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना है। श्रीमन्, ये अनुदान बहुत ज्यादा सरकार की नीति से ताल्लुक रखते हैं। एक बात की तो आज मुझे खुशी हुई कि माननीय मंत्री जी ने अनुदान पेश करते हुए यह कहा कि अभी फस्ल की तैयारी में एक महीना समय बाकी है, कोई दैवी प्रकोप नहीं हुआ तो गल्ला अच्छा पैदा होगा। मुझे भली भांति याद है कि इस सरकार ने तीन चार साल पहले चैलेंज करते हुए यह कहा था कि हम एक साल में गल्ले के मामले में सेल्फ सपोर्टिंग हो जायेंगे। और मैं कहूंगा कि इसी का नतीजा यह रहा कि दुनियां भर का रुपया कृषि की पैदावार बढ़ाने, गल्ले की पैदावार बढ़ाने पर खर्च करने के बावजूद हमारी हालत बद से बदतर होती जा रही है। बावजूद सरकार के इस चैलेंज के कि किसी को भूख से नहीं मरने देंगे, ज्यादा से ज्यादा आदमी भूख से मरने लगे हैं, सड़कों और लाइनों के किनारे लोग बेहाल अवस्था में गिरे पड़े मिलने लगे हैं और मरने भी लगे हैं। तो अब मुझे इस बात की जरूर खुशी है कि सरकार को इस तरह का ज्ञान हुआ है कि वह भूख और जनता के बीच में परमात्मा को भी दखल देने लगी है। और आज माननीय मंत्री जी ने परमात्मा को भी पैदावार होने में दाखिल किया है।

[श्री अब्दुल रऊफ लारी]

जहां तक सिविल सप्लाई का ताल्लुक है, मैं यह कहूंगा कि यह ४५,९५,६०० रु० की रकम अब फिजूल खर्ची सी है। अभी माननीय मंत्री जी ने सिविल सप्लाई का जिक्र करते हुए, जहां लकड़ी का, लोहे का, कपड़े का जिक्र किया, करीब-करीब वे खुद मानते हैं कि अब इसके ऊपर कंट्रोल की कोई विशेष जरूरत नहीं रह गयी है। सिर्फ वैगन्स की थोड़ी बहुत कमी है जिसके नाते दिक्कत होती है। नमक के कंट्रोल की हालत भी वही है। नमक इफरात है लेकिन सरकार इस पर कंट्रोल रख करके भ्रष्टाचार कराती है और मैं दावे के साथ यह कहने के लिये तैयार हूं कि आज नमक पर से कंट्रोल हटा लिया जाय तो हर जगह नमक सस्ता से सस्ता बिक सकता है। उसकी कोई कमी नहीं होगी।

श्रीमन्, हमारे मंत्री जी ने कहा है कि अब सीमेंट की कमी नहीं है। मुझे तो हैरत हुई यह सुन कर कि हमारे यहां सीमेंट काफी मात्रा में है, जब कि सीमेंट १०, १० रु० और १२, १२ रु० बोरी तक हमारे यहां ब्लैक मार्केट में बिक रही है। आखिर वह सीमेंट आती कहां से है? सरकार की जो चीजें बनती हैं, सरकार के जो बंध बनते हैं, चाहे नहर विभाग की कोई चीज हो, चाहे पी० डबल्यू० डी० की कोई चीज हो, चाहे जहां का भी निर्माण कार्य हो, वहां से सीमेंट लेकर ज्यादा दामों में बेचा जाता है और उन बनने वाली चीजों में सीमेंट के बदले विशेष मात्रा में बालू मिला दिया जाता है। इसलिये श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि सीमेंट पर से कंट्रोल हटा लिया जाय और लोगों को मौका दिया जाय कि वे जहां से भी चाहें आसानी से सीमेंट ले सकें। आज सीमेंट मौजूद अवश्य है लेकिन किसानों को ब्लैक के जरिये ही सीमेंट मिल पाती है। अगर कंट्रोल हट जाय तो लोगों को आसानी से सीमेंट मिलने लग जायगा। इससे एक लाभ यह भी होगा कि जो बंध वगैरह बनाये जाते हैं, जिनमें आजकल ज्यादा बालू मिला कर सीमेन्ट निकल जाती है, उनमें सीमेंट लगने लगेगा और इस तरह से जो नेशनल लास और राष्ट्र की हानि होती है, वह खतम हो जायगी। और ब्लैक मार्केट व भ्रष्टाचार खतम हो जावेगा। मैं आज बहुत ही खुश होऊंगा और आपके द्वारा नम्र निवेदन करूंगा कि इस शुभ घड़ी में कम से कम मंत्री जी इतना मौका दें कि वह सीमेंट के कंट्रोल को खत्म करें ताकि तमाम इस तरह की बुराइयां दूर हो जायं।

श्रीमन्, यह जो ५१ नम्बर का अनुदान है वह अपने प्रदेश की गल्ले की कमी की पूर्ति के लिये है। मंत्री महोदय ने बताया कि गल्ला इसलिये स्टाक किया जाता है कि बाजार की दर सस्ती रहे। यह चीज बहुत ही अच्छी है, लेकिन इसका जो व्यावहारिक रूप है वह कितना खराब है, यह मैं आपके द्वारा सदन को और मंत्री जी को बताना चाहता हूं। पिछली बार आप ने देखा होगा कि फेयर प्राइस शाप्स के द्वारा गलत ढंग से गल्ला बिक्री किया जाता है और ब्लैक के तमाम केसेज होते हैं। मैंने तो इस विषय को ऊंचे अधिकारियों के सामने रखा था, प्लानिंग की एक मीटिंग में, हमारे यहां के कलक्टर साहब ने कहा कि इस बुराई को मिटाने के लिये बार-बार कहते हो लेकिन हमारे पास ऐसा कोई कानून ही नहीं है कि जिसके द्वारा इन फेयर प्राइस शाप्स वालों को ब्लैक आदि करने पर सजा दे सकें। इसके लिये मैं मंत्री जी से मिला और मेरी हैरानी की हद न रही जब मंत्री जी को भी इस विषय में नाजानकार पाया। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, जरूर होगा; लेकिन जब उन्होंने सेक्रेटरी को बुलाकर पूछा तो सेक्रेटी ने कहा कि नहीं, कुछ भी नहीं है सिवा इसके कि कन्ट्रैक्टर जो २००रु० जमानत के जमा करता है वह रोक लिये जायं और उसका कंट्रैक्ट खत्म कर दिया जाय। उसके बाद भी कोई उपाय नहीं हुआ और इस तरह की शिकायतें बढ़ती गयीं। उसके बाद मैंने माल मंत्री जी से जिक्र किया और उन्होंने उस पर इस विभाग के सब लोगों को बुलाया और चौधरी साहब पी० एम० ओ० भी बुलाये गये और उन्होंने कहा कि इसका कोई नियुक्त कन्ट्रैक्ट फार्म भी नहीं है जिससे उनको पाबन्द ठहराया जा सके। उसके बाद सरकारी एडवोकेट जनरल बुलाये गये और उसका एक प्रेसक्राइब्ड फार्म बना। आप देखें कि इस मद में जहां १४-१४ करोड़ खर्च किया जाता हो उसमें कितनी लापरवाही बरती जाती है। यह देश की जनता के

साथ खिलवाड़ नहीं तो क्या है ? फिर जब किसी क्षेत्र में गल्ले की जरूरत होती है, हल्ला मचता है, दरख्वास्तें पड़ती हैं तब कहीं सरकार के कान पर जूं रेंगती है और उसके बाद माल उस वक्त पहुंचता है जब उसकी जरूरत ही नहीं रहती या नई फसल आ जाती है और किसानों के घर में खाने पीने का ठिकाना हो जाता है । और गल्ला स्टेशनों पर पड़ा रहता है, बरसात में भीगता रहता है, देवरिया में और चौरी-चौरा में दो-दो सौ, चार-चार सौ बोरा गल्ला प्लेटफार्म पर पड़ा रहा और बरसात में भीग कर खराब होता रहा और उसके बाद जब वह गल्ला दूकानों पर दिया गया तो सड़ चुका था, यह सस्ते गल्ले के नाम पर किसानों को मिलता है । मंत्री जी ने अभी जिक्र किया कि कोर्स गल्ला सस्ता कर दिया गया, लेकिन जहां तक कोर्स गल्ले का सवाल है, मुझे यह कहना पड़ेगा, नमूना नहीं है मेरे पास नहीं तो मैं दिखला देता, आज खुले बाजार साढ़े ३ सेर का चना बिक रहा है जब कि मंत्री जी कहते हैं कि हमने ४ सेर का कर दिया है । बाजार का बहुत अच्छा चना साढ़े ३ सेर का है, जो इन दूकानों पर है, वह खराब है, घुना रहता है इसलिये बिक नहीं पाता । यह बात नहीं है कि लोग कोर्स गल्ला लेते नहीं, लेकिन जो मिलता है वह अच्छी हालत में नहीं होता । जनता के पास पैसा नहीं है वह गुठली खाकर गुजर करती है । टेस्ट वर्क्स खुलने की जरूरत है ताकि लोग कुछ कमा सकें । कोर्स ग्रेन बिक सकता है, जरूरत व्यवस्था की कमी है । खाने वाले उसके मौजूद हैं । फिर मैं माननीय मंत्री जी से और सदन के माननीय सदस्यों से यह कहूंगा कि यह रुपया जो इस अनुदान पर दिया जा रहा है यह सुव्यवस्थित ढंग से खर्च किया जाय, मनमाने ढंग से न खर्च किया जाय । श्रीमन्, इन गल्ले की दुकानों में काफी भ्रष्टाचार चलता है । दुकानदारों से मैंने मालूम किया, उनका यह कहना है भाई अगर ब्लैक नहीं की जायगी, तो खर्चा किसी तरह से पूरा नहीं हो सकता । एक रुपया बोरा या जो भी कमीशन मिलता है दुकानदारों को, लेकिन इसका नियम बहुत बेढंगा है । रुपया जमा करने के लिये ट्रेजरी जाना पड़ता है, वहां से आकर उसका फार्म पास कराना पड़ता है उसके बाद गोदाम जाना पड़ता है । आठ जगह उसको घूमना पड़ता है । तीन चार दिन लग जाते हैं । जब इसके लिये आर० एफ० सी० विभाग अलग है तो मेरा खयाल है कि इसका सीधा-सीधा हिसाब वहीं से रहना चाहिये । तहसील में रुपया जमा कर के तहसीलदार का वाउचर ले ले और उसको दिखा कर आर० एफ० सी० के यहां गल्ला ले लें । बीच में जो उसको इतनी जगह जाना पड़ता है न जाना पड़े । इस तरह से उसको काफी पैसा बरबाद करना पड़ता है । यह जाहिर सी बात है कि कभी भी कोई महाजन अपने घर से नहीं देगा । अगर वह चार पैसे चन्दा भी देता है तो चौदह पैसे नफा ले लेता है जिसकी मिसाल मुंधड़ा कांड मौजूद है । उसने एक लाख रुपया सरकार को चन्दा दिया और करोड़ों रुपया मार लिया । महाजन यही करेगा, वह कभी भी अपने घर से नुकसान देकर रोजगार नहीं करता है । नियम सरकार इतने आसान बनाये कि उनको ज्यादा खर्च न करना पड़े । जब वह सस्ते दाम पर माल ले जायगा तो आसानी से वह चीज किसानों को मिल सकेगी ।

सस्ते गल्ले की दूकान, श्रीमन्, के बारे में मुझे चन्द सुझाव माननीय मंत्री जी को देने हैं । अभी १८ तारीख को हमारे जिले में मीटिंग हुई थी डी० एम० साहब के यहां । उन्होंने यह कहा कि दूकानों की मांग ज्यादा है । डिप्टी आर० एफ० सी० साहब मौजूद थे । उनसे डी० एम० ने कहा कि अगर आप कहें तो दुकानें ज्यादा खोल दें । कांग्रेस के और विरोधी दल के विधायक मौजूद थे । सर्वसम्मति से सबने कहा कि हर पंचायत पर एक दुकान खोली जाय । डी० एम० साहब ने डिप्टी आर० एफ० सी० साहब से पूछा । उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का एक डेफिनिट आर्डर है कि दो पंचायतों पर एक गल्ले की दुकान हो । मैं इससे सहमत नहीं हूं । तब विधायकों ने कहा कि ऐसी सूरत में अगर दो पंचायतों पर फी दूकान पर पचास मन गल्ला देते हैं तो एक पंचायत पर २५ मन फी दुकान कर दीजिये । इसमें गवर्नमेंट का क्या हर्ज है ? लेकिन डिप्टी आर० एफ० सी० ने कहा कि गवर्नमेंट का डेफिनिट आर्डर है मैं दखल नहीं दे सकता । तब डी० एम० भी मजबूर हो गये । श्रीमन्, दो

[श्री अब्दुल रऊफ लारी]

पंचायती अदालतों पर एक दूकान का नतीजा क्या है ? उसका मतलब यह है कि दस मील लम्बा और दस मील चौड़ा १०० स्क्वायर मील का एरिया है एक दूकान एक किनारे पर खोल दी जाती है और एक काश्तकार जो दिन भर मजदूरी करता है दस मील दूर जा कर गल्ला कैसे लायेगा ? उसमें हम लोगों का सुझाव था कि जो बड़े बड़े मार्केट हैं जहां किसान बाजार करने के लिये जाता है, कम से-कम हफ्ते में एक रोज, वहां पर दूकानें रहनी चाहिये । उस पर भी पाबन्दी हो गयी । वहां भी दूकान नहीं खोली गई । एक गुमनाम गांव के किनारे पर दूकान दे दी जाती है । जब लोग वहां पहुंचते हैं तो मालूम होता है कि वह दूकानदार गोरखपुर गये हैं या तहसीलदार के पास गये हैं । एक मर्तबा गल्ला लेने के लिये कितनी ही परेशानी उठानी पड़ती है । उसको बाजार से एक रुपये में ज्यादा से ज्यादा आठ छटाक गल्ला बेसी मिलता है । उसमें दो दिन बरबाद हो गये तो गल्ला क्या करेगा ? अतः मेरा सुझाव यह है कि जितना रोजना बिक्री का कोटा है आधा वह भले ही कर दिया जाय लेकिन हर पंचायत सेंटर में एक दूकान अवश्य हो । पांच मील का पंचायत सेंटर है । उसके बीच में दूकान खोली जाय ताकि दो-दो मील पर आसानी से गल्ला मिल जाय ।

दूसरे यह कि लोकल दूकानदार होने चाहिये । कहा यह जाता है कि लोकल दूकानदार मिलते नहीं हैं ? वह इसलिये नहीं मिलते हैं कि जो आदी भ्रष्टाचारी हैं, घूस देते हैं ऐसे लोगों को दूकानों दी जाती हैं । अगर लोकल दूकानदार हो तो उनको उनसे छिपे तरीके पर पैसा नहीं मिल सकता । हो सकता है कि वह पकड़वा दे । इसलिये नाजानकार आदमी को अधिकारी यह काम देना नहीं पसन्द करते हैं । उनको क्लीअर आर्डर होना चाहिये कि लोकल दूकानदार को दिया जाय । अगर दूकानदार नहीं मिले तो वहां के एम० एल० ए० से कांटैक्ट किया जाय । एम० एल० ए० लिखकर इनकारी दे दे तब भले ही किसी और को दिया जाय । हम तो यों पहले कहने के लिये तैयार नहीं होते हैं और कोई भी एम० एल० ए० नहीं चाहेगा क्योंकि उससे अधिकारियों को यह शक हो जायगा कि यह उससे कुछ हिस्सा लेना चाहते हैं, और हम जब कहते नहीं हैं तो अधिकारी यह कह देते हैं कि कोई मिला नहीं इसलिये गोरखपुर के आदमी को दे दिया । जरा सोचने की बात है कि ५० मील का दूकानदार, उसको दिया गया, और वहीं का आदमी उसके लिये तैयार है उसको नहीं दिया गया । तो यह भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन नहीं देना है तो और क्या है ? मैं तो यह कहूंगा कि सरकार द्वारा नियम ऐसे आसान बनाये जायं जिससे भ्रष्टाचार रोका जा सके । अगर नियम के गड़बड़ी के जरिये भ्रष्टाचार बढ़ता है तो मुझे मजबूरन यह कहना होगा कि यह सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ाती है, वह खुद नहीं बढ़ता है ।

श्री उपाध्यक्ष---मैं माननीय सदस्यों को एक सुझाव देना चाहता हूं कि चूंकि समय कम है इसलिए १० मिनट की अवधि को कम करके ५ या ७ मिनट रख दें तो काफी सदस्य बोल सकेंगे ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो अनुदान है यह बहुत महत्व का अनुदान है और पिछले अनुदान में आधा घंटा समय बढ़ाया गया है इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि इसमें समय आधा घंटा बढ़ा दिया जाय और सदन का समय ६ बजे तक रख दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---आधा घंटा तो साढ़े पांच बजे तक ही हुआ ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---साढ़े पांच तक तो वैसे हुआ श्रीमन्, उसके बाद आधे घंटे.....

श्री उपाध्यक्ष---एक ही वक्त में आप दो बात नहीं कह सकते । आधे घंटे के समय के बारे में मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि आधा घंटा चूंकि पहले समय बढ़ गया है इसलिए कोई एतराज तो इसमें नहीं होना चाहिए अगर साढ़े पांच बजे तक सदन बैठ जाय ।

अनुदान संख्या ४२--लेखा शीर्षक: ६३--असाधारण व्यय तथा अनुदान संख्या ५१--लेखा शीर्षक: ८५-क- राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर पूंजी की लागत

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--श्रीमन्, मुझे कोई एतराज नहीं है साढ़े पांच बजे तक अगर कर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--तो साढ़े पांच बजे तक यह चलेगा और मैं समझता हूं कि ५ मिनट आम तौर पर और सात मिनट खास-खास लोगों के लिए रख दिया जाय, तो सहूलियत होगी। वैसे जो भी व्यवस्था आप करेंगे...

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--श्रीमन्, यह बहुत प्रमुख विषय है। दस मिनट इस पर मिलना चाहिए। वैसे आप जिसको चाहें सात मिनट, पांच मिनट दें.....

श्री उपाध्यक्ष--कम से कम आप रख दें, उसको बढ़ाने के लिए मैं सोच लूंगा। मैं समझता हूं कि सात मिनट काफी होगा।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी--ठीक है। सात मिनट रख दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--सात मिनट काफी है और अगर आप लोग समय का ध्यान रखते हुए भाषण करें तो कोई कठिनाई नहीं होगी।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--श्रीमन्, अपोजीशन को तो दस मिनट दिया जाय क्योंकि हमको ही कहना है....

श्री उपाध्यक्ष--बजट में अपोजीशन को बल्क आफ दि टाइम मिलना चाहिए, इसलिए हमने हमेशा इसको ध्यान में रखा है। अपोजीशन को कांग्रेस पार्टी से ज्यादा समय मिला है, किसी भी ग्रान्ट में आप हिसाब लगा कर देख लें तो यही मिलेगा।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी--उपाध्यक्ष महोदय, यह अनुदान संख्या ४२ और ५१ उत्तर प्रदेश के ऐसे विभाग से सम्बन्ध रखते हैं जिन पर विशेष वाद-विवाद होना चाहिए था और इस पर मैं सभी माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यह पूरब औ पश्चिम का मसला आ जाता है। १४ जिले पूरब के हैं। अशोक मेहता कमेटी ने इसकी चर्चा की है और इस माननीय सदन में भी चर्चा हुई है कि १४ जिले जिनमें गोरखपुर डिवीजन, बनारस डिवीजन का मिर्जापुर जिला छोड़कर, और फैजाबाद के ६ जिले, यह पूरब के जिले कहलाते हैं। कुछ अभाव-ग्रस्त पहाड़ी इलाके भी इसमें आते हैं जिनमें कि कुमायूं और गढ़वाल के जिले हैं, जब भी खाद्य की दृष्टि से अभाव-ग्रस्त हैं। इस दृष्टि से करीब २० जिले ऐसे हैं हमेनकी आबादी भी ज्यादा है, और यह उत्तर प्रदेश के प्रमुख अंग हैं जिनमें खाद्य का संकट हमेशा रहता है। १९४३ से ५८ तक खाद्य की समस्या प्रमुखरूप से हमारे सामने विद्यमान है। जैसा कि अशोक मेहता कमेटी ने अपनी इन्क्वायरी रिपोर्ट में लिखा है कि पिछवले १४, १५ वर्ष के अन्दर खाद्य-स्थिति ऐसी डावांडोल रही कि हमेशा एक न एक समस्या खड़ी रही और इसमें कभी-कभी बाढ़ें आयीं, कभी-कभी सूखा पड़ा, कभी प्रकृति का प्रकोप हुआ, और इस तरह से यह समस्या बहुत बढ़ गई। सन् १९५४ को छोड़ कर इसके पूर्वी जिलों में हमेशा जो पैदावार रही वह औसत से नीचे रही। वैसे भी प्रदेश खाद्य की दृष्टि से ऐवरेज है, सरप्लस नहीं। साथ ही साथ यह १४ जिले पूर्व के अभाव-ग्रस्त हो जाते हैं जिससे अन्न का ढांचा प्रदेश का अस्त व्यस्त हो जाता है। उस समय भाग दौड़ मचती है। श्रीमन्, खाद्य समस्या ऐसी है जो प्रत्येक व्यक्ति से जो इस भूतल पर है सम्बन्ध रखती है। जब कभी ऐसी असाधारण अवस्था आयी तो भाग दौड़ करके अन्न पहुंचाया जाता है, कभी-कभी जब आवश्यकता होती है उसके बाद पहुंचता है, केन्द्र से मांगा जाता है, केन्द्र बाहर से मांगता है, बड़ी कठिनाई होती है। तो यह ऐसी समस्या है जिस पर हमें सोचना चाहिये कि क्या करें। इस प्रदेश की अर्थ व्यवस्था तभी ठीक होगी जब हम इन जिलों की खाद्य समस्या को ठीक कर सकें।

[श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी]

जैसा अशोक मेहता कमेटी ने सुझाव दिया है कि यहां पर एक स्थायी फूड एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिये, यह बहुत जरूरी है। जैसा माननीय सदस्यों ने कहा स्पोरेडिक ढंग में जब कोई इस तरह की समस्या खड़ी हो जाती है काम किया जाता है तो वह भी ठीक से हो नहीं पाता है। जब लोग मर चुके तब दूकानें खुलीं। तो यह बात ठीक है। इसका कारण यही है कि अन्न की समस्या का ठीक तरह से समाधान नहीं हो पाता। अशोक मेहता कमेटी ने कहा है कि हमारे प्रदेश की खाद्य स्थिति अभी निकट भविष्य में ठीक होने की नहीं है। जब तक हम यह समझते हैं और स्थायी रूप से इसकी कोई व्यवस्था नहीं करते तब तक स्टेट की अर्थ व्यवस्था में गड़बड़ी रहेगी। पिछले १४, १५ वर्षों से, १९५४ छोड़ के, ऐसी ही परिस्थिति रही है। इसलिये यहां एक स्थायी फूड एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिये जो गांवों में पंचायतों के द्वारा, सहकारी समितियों के द्वारा खाद्यान्नों का पूरा भंडार रखे और जहां जरूरत पड़े वह फौरन पहुंचाया जा सके। नहीं तो कभी बैगनों की दिक्कत होती है, कभी कुछ हो जाता है। इसलिये स्थायी फूड एडमिनिस्ट्रेशन जरूर इस प्रदेश में होना चाहिये।

अब जो दूकानें खोलने की बात कही गई तो दूकानें किसको गल्ला बेचें इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गयी। गल्ला ब्लैक में जाता है, जो लोग कुछ तेज भाव पर भी गल्ला खरीद सकते थे उन्होंने ही इन दूकानों से गल्ला खरीदा, होर्ड किया और ब्लैक किया। होना यह चाहिये था कि जो गरीब थे उनकी लिस्ट बनती, उनको कार्ड दिये जाते जिससे वह गल्ला खरीदते, सुपत ही सही। इससे प्राइसेज भी कंट्रोल होतीं। और प्राइस का कन्ट्रोल करने के लिये यह भी जरूरी है कि १०, १५ गांवों की एक यूनिट होनी चाहिये और गवर्नमेंट भी उसको सब्सीडाइज करे। पहले १४ करोड़ की व्यवस्था थी, इस वर्ष ११ करोड़ की व्यवस्था है। मेरा विश्वास है सब्सीडी देकर सरकार उनको प्रोत्साहित करती तो गल्ले का स्टाक रहता और स्थिति का समाधान होता।

दूसरी बात है जोनिंग की। कुछ जिलों में चावल बहुतायत से होता है और कुछ में गेहूं। अलग-अलग जोन हों। बनारस जिले से हमने देखा कि बम्बई को चावल जाता है। वह हमारा ऐसा जोन है जहां गल्ला आता जाता है। सरकार ने चार जोन बनाये लेकिन स्थायी रूप से नहीं। इसलिये कठिनाई होती है। पूर्व के जिलों को गल्ला भेजा गया। बस्ती और देवरिया में गोदाम नहीं थे जिनमें वह डाला जाता। बरसात आई, ७ दिन तक गल्ला सड़ता रहा। नतीजा यह हुआ कि उसे कोई खरीदता नहीं। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि हमारे यहां फूड एडमिनिस्ट्रेशन स्थायी रूप से हो। अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट है। उसमें आंकड़े उपलब्ध हैं। कितनी बंजर भूमि है, किस तरह की सिंचाई हो, किस तरह से फर्टिलाइजर की कमी है यह सब उसमें दिया हुआ है। इसलिये स्थायी रूप से व्यवस्था करनी चाहिये। इन सुझावों के साथ मैं खाद्य मंत्री महोदय के इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--उपाध्यक्ष महोदय, यह अनुदान बहुत ही महत्व का है। मैं समझता हूं कि इस विभाग के जो मंत्री हैं वे चाहें तो इस अनुदान के जरिये किसी को जिन्दा रखें और चाहें तो मार डालें। जब हम इस अनुदान को इस कसौटी पर कसते हैं तो, श्रीमन्, आपको याद होगा कि ४-५ साल पहले एक मर्तबा इस हाउस में हमने कहा था कि जो गल्ला पैदा होता है उसकी कीमत का संतुलन सरकार कर नहीं पाती। व्यापार की योजना क्या है यह कुछ समझ में नहीं आता। बहुत शोर मचता है कि लोग भूखों मर रहे हैं तो कुछ गल्ला बाहर से मंगा लिया जाता है। उस गल्ले के मंगाने से मैं समझता हूं कि कोई समस्या हल होने वाली नहीं है।

असल सवाल जो है यह है कि किसान जो गल्ला खेत में पैदा करता है और महाजन जो कारखाने में सामान तैयार करवाता है, उन दोनों की कीमतों का संतुलन क्या है? मैं

समझता हूं कि अगर सरकार कुछ कदम इस ओर बढ़ा पाये तो हम विरोधी दल में जो बैठते हैं शायद किसानों के सम्बन्ध में उनका विरोध खत्म हो जाय।

श्रीमन्, आप देखें कि किसान के खेत में जौ होता है जो वैशाख के महीने में ८-९ रुपये मन बिकता है, गेहूं १०-११ रुपये मन बिकता है। चावल की भी वही गति होती है। आज कल गन्ना पेरा जा रहा है। गुड़ कोल्हू में बनने लगा है। एक रुपये का ४-५ सेर वह बिकता है, लेकिन जहां किसान की ईख खत्म हुई और जेष्ठ-असाढ़ का महीना आया साढ़े ५ सेर का गुड़ २ सेर का बिकेगा। ९-१० रुपये मन का जौ ढाई, तीन सेर का बिकेगा। आखिर सरकार की यह क्या व्यवस्था है? सरकार इतनी भी व्यवस्था नहीं कर पाती है कि किसान की जो पैदावार है उसे उसकी कीमत ठीक से दिला सके।

बहुत से देश और प्रदेश हैं जो कारखानों में पैदा होने वाले सामानों और खेत में पैदा होने वाली चीजों की कीमतों का संतुलन करते हैं और अगर हमारी सरकार यह काम कर पाये, हर गांव में कोई सोसाइटी कायम कर दे कि खाने पीने से जो गल्ला बचता है उसे किसान सोसाइटी में जमा कर दे और जो सामान किसान खरीदता है कोयला, सीमेंट, लोहा वह उसके बदले में उसे मिल जाया करे तो समस्या हल हो सकती है। कीमतों में जो अन्तर होगा वह थोड़ा सा होगा। नौकर चाकर जो रखे जाते हैं उनके वेतन आदि में खर्च के कारण थोड़ा सा अन्तर हो सकता है। आज क्या हालत है? महाजन जो गेहूं खरीदता है ११-१४ रुपये में, वह किस भाव से बेचता है, चावल किस भाव से खरीदता और बेचता है और गुड़ किस भाव से खरीदता और बेचता है? उसी प्रकार से कपड़े की कीमत आज कल क्या है? दिन पर दिन इन सब की कीमत, जो अनाज हैं, घटती चली जा रही है और चीनी और सीमेंट, लोहे और कोयले की कीमत जिसको कि सरकार तय करती है और मिल-मालिक की राय से तय होती है, उसकी कीमत आज क्या है? जरा इस ओर सरकार नजर करे तो मेरा खयाल है कि किसान को राहत मिलेगी। आज जो ढाई सेर और तीन सेर का गुड़ बिक रहा है इस पर भी रोक लगेगी। श्रीमन्, आपको खयाल होगा कि जब एक रुपया, पांच आने मन ईख बिकती थी तो चीनी का भाव २९ रुपया मन था और आज एक रुपया पांच आने मन ईख का भाव है तो चीनी बाजार में ३८ रुपया मन बिक रही है। क्या सरकार इन्तजाम करती है? गत वर्षों में गुड़ के भाव को स्थिर करने के लिये पश्चिमी जिलों की कुछ मंडियों में सरकार ने खरीदारी की, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा दिया था। इस साल इस रिपोर्ट में लिखा है कि गुड़ और चीनी का भाव संतोषजनक है। देहात के रहने वाले हमारे ऐसे जो किसान वर्कर हैं उनसे जरा पूछ लीजिये, यदि रिपोर्ट लिखने वाले नहीं जानते और माननीय मंत्री जी भी नहीं जानते, क्या गुड़ का भाव है? वह नहीं बता सकते हैं और रिपोर्ट में है कि संतोषजनक है। इसलिए आवश्यक है कि चीनी के भाव, कारखानों के सामानों के भाव और खेती के सामानों की कीमतों का संतुलन कीजिये, इससे किसानों को बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। इसी तरह से स्वीडन इत्यादि देशों में इस प्रकार की परिपाटी है कि किसान के सामान और कारखाने के सामान का भाव संतुलित हो।

अनुदान संख्या ४२ में अर्दलियों को निकालने से कुछ पैसा सरकार को बच गया। यह नीति कैसी है? राज भवन का खर्चा बढ़ जाय, मंत्रियों का खर्चा दिन प्रति दिन बढ़ता जाय, मंत्री ११ के बजाय ३६ हो जायं तो उसमें खर्च की कमी नहीं है, लेकिन चपरासियों के निकाल देने से कमी हो जाती है। मैं समझता हूं कि इस परिपाटी को सरकार को बन्द कर देना चाहिये।

इसमें ईंधन और साफ्ट कोक और काले कोयले की बात है। श्रीमन्, एक बात कहूंगा कि साफ्ट कोक की दूकान, ईंधन की दूकान शहर में खुलती है, मगर देहात में एक भी नहीं है। किसान उस गोबर से जो सोना है और सबसे बढ़िया खाद है उससे रोटी पकाता है। कई

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

मर्तबा हाउस में कहा गया कि सरकार कोई ऐसा पेड़ तो बताये, उसका देहातों में प्रचार करे जिससे लोग लकड़ी का इस्तेमाल करना सीखें। इस जमाने में जब बिजली का इतना प्रबन्ध कर दिया गया है, इतना विज्ञान बढ़ा हुआ है तो चूल्हे के लिए भी ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये कि उसमें गोबर न जलाना पड़े। शहर के लिए ईंधन की और कोयले की कीमत ठीक होगी, देहात के लिए कुछ नहीं किया। कहा गया है कि साफ्ट कोक की बड़ी मांग आई है। मैं अपने जिले की बात जानता हूं कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि दो दूकानें उसकी बढ़ने वाली हैं और उसी में बढ़ेंगी जो अब तक दिया जाता था और कहा जाता है बार-बार कोयले और साफ्ट कोक के लिए और सीमेंट के लिए कि वैगन नहीं मिलते। क्या बहानेबाजी है? यहां भी वही एक ही पार्टी की सरकार है। श्रीमन्, केन्द्र और प्रदेश में खाद्य मंत्री ने एक बयान दिया है कि पूर्वी जिलों की हालत बड़ी खराब है। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि सीमेंट बहुत पड़ी हुई है। लखनऊ में पड़ी होगी, लेकिन बहुत से जिले ऐसे हैं जिनमें सीमेंट बिल्कुल नहीं है।

कहा गया कि मकानों की समस्या हमने हल कर ली। शहरों में हल कर ली गयी होगी, लेकिन देहात में आपने क्या किया? देहात में किसी हरिजन परिवार का घर देखने का मौका माननीय मंत्री जी को नहीं हुआ होगा। उसकी एक ही कोठरी है, उसी में वह रहता है, उसकी बीबी रहती है, उसकी पतोहू भी उसी में रहती है, उसी में उसका खाना भी बनता है, सब कुछ उसी में होता है। देहात के मकानों की समस्या की ओर आपने कुछ भी नहीं खयाल किया।

कहा जाता है कि गल्ले की कीमत हमने काबू में कर ली। चावल की कीमत क्या है? बढ़ी है या घटी है? परसाल आज कल चावल की कीमत १८ रुपये मन थी, लेकिन इस साल २१ रुपये मन है।

कोयले के लिये कहा जाता है कि हमने भट्ठे का कोयला दिया है। उसको देने का क्या आधार है? कोई आधार नहीं है। डी० सी० एफ० वाले व्यापार करते हैं और जो लोग कोयला चाहते हैं उनको मिलता ही नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार दिखावटी रूप में राज्य व्यापार की योजनायें न करे बल्कि इस प्रदेश की ८७ फीसदी देहात की रहने वाली जनता के हित की बात करे।

श्री नागेश्वरप्रसाद (जिला जौनपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जिन अनुदानों को उपस्थित किया है मैं उनका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, वास्तव में जनता को जिन वस्तुओं के लिये कठिनायी पड़ती है उनको सुलभ करने के लिये सरकार समय-समय पर हर सम्भव प्रयत्न करती है। लड़ाई के बाद देश में जो स्थिति पैदा हुई उसके कारण सरकार को कंट्रोल करना पड़ा, राशनिंग चालू करनी पड़ी। यही नहीं, सरकार ने इस दिशा में उत्पादन बढ़ाने के लिये भी काफी प्रयत्न किया और आज हम देख रहे हैं कि कंट्रोल हटा, राशनिंग हटी। यह बात सही है कि सरकार ने वादा किया था कि हम फलां-फलां चीजों में स्वावलम्बी हो जायंगे, खासतौर से खाद्यान्नों के मामले में, लेकिन आज तक वह वादा पूरा नहीं हो सका। उसमें सरकार की तरफ से ढिलाई हुई हो ऐसी बात नहीं है। सरकार ने पूरा प्रयत्न किया और उसमें काफी सफलता भी मिली, लेकिन दैवी आपत्तियां जिनके सम्बन्ध में कोई भी कल्पना नहीं कर सकता वे आयीं जिनके कारण वह वादा पूरा नहीं हो सका। फिर भी उत्तरोत्तर यदि हम देखें तो इस दिशा में काफी प्रगति हुई है। आज नहीं तो कल समय अच्छा रहा तो भविष्य में ये समस्यायें हल हो जायंगी।

दो, तीन चीजें हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि अब भी कठिनाइयां हैं, खासतौर से सीमेंट और कोयले के लिये। गल्ले की समस्या का जहां तक सम्बन्ध है पिछली बार इस

बारे में जब कठिनायी आयी तो मालूम होता था कि गल्ले का भाव बड़ी तेजी से बढ़ेगा, लेकिन सरकार ने दूकानें इतनी मात्रा में खोलीं कि बाजार में उससे काफी दाम गिरे। करीब-करीब हालत ऐसी पैदा हो गई है कि कंट्रोल की दूकानों पर गल्ला जिस भाव से मिलता था उसी भाव पर बाजार में खुलेआम मिलने लगा। मैं और जगह की बात तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन पूर्वी जिलों में जौनपुर भी है वहां की बात कह सकता हूं कि वहां पर हालत ऐसी पैदा हो गई है कि इस माघ के महीने में गल्ला दूकानों पर बहुत कम बिक रहा है। दूकानदार यह कहते फिरते हैं कि हमारी दूकानें इस समय बिलकुल ठप्प हैं। पता नहीं और जिलों की क्या हालत है, लेकिन जब से मटर और आलू की फसल तैयार हुई तब से काफी कमी सरकारी दूकानों पर ग्राहकों की हुई है। आगे की फसल अगर अच्छी हो जाय तो लोगों को बहुत सन्तोष होगा।

एक बात मैं कहूं कि सीमेंट के विषय में अभी भी कठिनाई बनी हुई है। हमारे यहां इस बारे में काफी परेशानी है। खासतौर से देहातों में बहुत परेशानी रहती है। लोग बराबर चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनको सीमेंट नहीं मिलती है। उनके लिये सीमेंट की समस्या हल नहीं हुई है। इस बारे में माननीय मन्त्री जी को प्रबन्ध करना चाहिये।

जहां तक कोयले की बात है इस बारे में भी बड़ी परेशानी है। काफी मात्रा में कोयला कोआपरेटिव भट्टे वालों को दिया जाता है। वह करीब २ शहरों के आस पास सड़कों के नजदीक अपने भट्टे चलाते हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि नदी के किनारे वाले लोग जिनके मकान बार-बार गिर जाते हैं वे चाहते हैं कि छोटा सा ही सही पक्का मकान बना लें। कुछ इसलिये भी पक्का मकान बनाना चाहते हैं क्योंकि कुछ आर्थिक स्तर ऊंचा हुआ है। अन्य लोग भी कुछ मकान पक्का बनाना चाहते हैं और कुछ विकास योजना के कारण पक्का मकान बनाना चाहते हैं, उनको ईंटों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उनको भट्टे से ईंटा नहीं मिलता है। उनको कोयला नहीं मिल पाता है जिससे वह खुद तैयार कर लें। इस परेशानी की वजह से लोगों को काफी तकलीफ होती है। मैं प्रार्थना करूंगा कि इस तरफ ध्यान देकर इस बारे में उचित प्रबन्ध करने की कृपा करें। जहां तक दूकानों की बात है इस बारे में मेरा यह सुझाव है कि इस समय या कभी अगर उचित समझा जाय तो इन दूकानों को आम तौर पर वहां खोला जाय जहां पर कभी-कभी बाजार लगते हैं और जहां पर लोग ज्यादातर खरीदारी करने जाते हैं। जहां पर छोटे मोटे बाजार हों उसी अनुपात से वहां पर दूकानें खोली जायं। अगर बड़ा बाजार हो तो बड़ी दूकानें खोली जायं, अगर अधिक संख्या में खोलने की जरूरत हो तो अधिक संख्या में खोली जायं जिससे लोगों को सहूलियत रहे।

एक बात और इस सिलसिले में कहूं कि जो उनमें दूकानदार गल्ला लेने जाते हैं उनके लिये काफी मजबूरी हो जाती है। कई दूकानदारों की शिकायत मुझे मिली है। वहां पर सड़ा गला गल्ला उनको मिलता है। उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। नतीजा यह होता है कि जो कमीशन के तौर पर उनको मुनाफा मिलता है उससे वह वंचित हो जाते हैं और उनको काफी घाटा उठाना पड़ता है। तो जाने या अनजाने जो कुछ भी हो, मैं समझता हूं वे घाटे को पूरा करने का उपाय सोचने लगते हैं। इसी प्रकार से शिकायत आ जाती है, मुझे शिकायत नहीं मिली, लेकिन फिर भी शिकायत हो जाती है। इसकी तरफ ध्यान दिया जाय। ऐसा न हो कि दूकानों पर ऐसा माल दिया जाय जो खाने लायक न हो और जिसे लोग लेना पसन्द न करें और मजबूरन लेना पड़े। आम तौर पर पता नहीं क्यों ऐसा गल्ला आता है कि लोग उसको लेने में नाक भौं सिकोड़ा करते हैं और उसको वे फेर देते हैं। अगर सावधानी बरती जाय और इस तरह के गल्ले को पहले देख लिया जाय तो इससे आसानी हो सकती है और जो सड़ा गला गल्ला है वह किसी तरह से दिया न जाय।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बोलने की बिलकुल इच्छा नहीं थी और शायद मैं आचार्य जी की इच्छापूर्ति कर देता परन्तु मैंने ऐसा सुना कि मुझ से पहले से जो माननीय सदस्य बोले उन्होंने कहा कि जौनपुर में बड़ी खुशहाली है मैं तो कह रहा हूं कि खुशहाली नहीं है ।

(व्यवधान)

अगर उन्होंने नहीं कहा तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है ।

मैं दूसरी बात कहूं । अभी हमारे मंत्री जी ने कहा कि मैट्रिक वेट्स मेजर्स को लाने का प्रयास हो रहा है । और इसका कारण उन्होंने बताया कि एक तो देश और इस प्रान्त के अन्दर भिन्न-भिन्न तौलें चलती हैं । यह तो सही है, कहीं मन ४० सेर का है, कहीं ५० सेर का है और कहीं ६० का है । लेकिन अगर ऐसा है तो उसको आप स्टैंडर्डाइज कर देते। इसके माने यह तो नहीं हैं कि अगर भिन्न-भिन्न तौलें हैं तो उनको समाप्त करके दूसरी कोई तौल रख दी जाय जिसको कि हमारे गांव वाले समझ ही न सकें । इससे उनको बड़ी परेशानी होगी । हो सकता है कि हमारे मंत्री जी और उनका चपरासी समझ ले, लेकिन गांव वालों की समझ में आने वाली यह चीज नहीं है । इसको समझने में बड़ा समय लगेगा । यह भी कहा गया कि ओलेम्पिक गेम्स में मैट्रिक मेजर्स हैं दौड़ आदि में । मेरी समझ में नहीं आया कि क्यों केवल इस कारण ही अपने देश में साधारण खरीद फरोख्त में यह काम में लाये जायं । यह कहां का तर्क है ? मैं समझता हूं कि यह एक आश्चर्यजनक तर्क है । इसका परिणाम यह होगा कि हमारे यह देहात के गरीब लोग परेशानी में पड़ जायगें। अंग्रेजी में कहूं तो "कंफ्यूजन वर्स कम्फाउन्डेड" जो आज ४०, ५० का झगड़ा है उससे ज्यादा यह हो जायगा । आवश्यकता यह थी कि इन वेट्स ऐन्ड मेजर्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया जाता , लेकिन मेरी समझ में यह बात आयी नहीं जोकि की गई है ।

सस्ते गल्ले की दूकानों की बात कही गयी, सही है, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता, लेकिन जितनी आवश्यकता है उसके अनुरूप दूकानें हैं नहीं । आप से छोटा प्रान्त है बिहार, लेकिन वहां आप से ज्यादा दूकानें हैं । आपका बड़ा प्रान्त है और इसमें जिस प्रकार हर जगह जरूरत और लोगों को खाने की कमी है, उसको देखते हुए दूकानें होनी चाहिए, वह नहीं हैं । आपने ही कहा है कि एक पंचायती अदालत पर एक दूकान होनी चाहिए, लेकिन आपने नहीं कीं । आपकी जो चीप ग्रेन शाप्स हैं वह एक तरह से रिलीफ शाप्स हैं, लेकिन उन पर भी आप टैक्स लेते हैं । यह आप के लिये उचित नहीं है । यह अन्याय है । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूं आपके द्वारा कि जब भारत सरकार के खाद्य मंत्री जी गोरखपुर गये थे,उस समय लोगों ने उनसे पूछा था इसके बारे में और उन्होंने कहा था कि मुझे आश्चर्य है कि यहां की रिलीफ शाप्स पर भी टैक्स लगा हुआ है । मैं नहीं जानता कि कैसे एक मंत्री को आश्चर्य होता है और दूसरे को हर्ष । आश्चर्य नहीं कि उनको हर्ष ही होता हो, क्योंकि जब आप बीमारी में और जुकाम में आम की गुठली खिलाते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है । मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा कि रिलीफ शाप्स से इस टैक्स की व्यवस्था को हटाना चाहिये क्योंकि आप का स्वयं का क्लेम है कि यह रिलीफ शाप्स हैं ।

सीमेंट के लिये जो कहा गया कि पोजीशन ईज़ हो गई है, यह मेरी समझ में नहीं आया, देहातों में तो आज भी वही दिक्कत है । जौनपुर में सीमेंट का अकाल सा पड़ा हुआ है । बरसात के महीनों में लोग दौड़-दौड़ कर गये लेकिन उनको अपने मकानों की छत मरम्मत करने लायक भी सीमेंट नहीं मिला । ब्लैक में सीमेंट जरूर मिला है और वह कहीं भी मिल सकता है । दो रुपये से चार रुपये बोरी तक सीमेंट ब्लैक में कहीं भी मिल सकता है, लेकिन कहीं भी इस ईज़मेंट की बात मुझे देखने में नहीं आयी । कागज पर आपने भले ही सीमेंट की पोजीशन आसान करली हो, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है ।

नमक के कंट्रोल की आज जरूरत नहीं है। अनुभव बताता है कि जिस-जिस पदार्थ पर कंट्रोल लगा उसमें भ्रष्टाचार बढ़ा। मैं नाम नहीं लूंगा मगर जब पिछली बार जौनपुर में बाढ़ आई तो जिन सज्जन के पास नमक का परमिट था उन्होंने २ और ३ रुपये बोरा ब्लैक किया। नमक पर्याप्त मात्रा में है इसलिये उस पर से कंट्रोल हटना चाहिये। यह कहना कि वह आवश्यक वितरण के लिये जरूरी है, उचित नहीं है। मंत्री जी ने कहा और इस पुस्तिका में भी है कि वैगन नहीं मिलते हैं। मान लिया आपको इसमें दिक्कत है परन्तु वैगन प्राप्त करने के लिये आपने कौन से उपाय किये, यह कहीं नहीं बताया गया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अपनी अयोग्यता या कमजोरी को छिपाने के लिये सरकार ऐसा कहती है। वरना उसे बताना चाहिए था कि उसने भारत सरकार से कुछ कहा और उसने क्या उत्तर दिया या जो कुछ भी हुआ। सरकार को इसके लिये प्रयत्न करना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इन बातों पर ध्यान देकर कार्य करने की कृपा करेंगे।

*श्री व [illegible] (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मैं श्री लारी की कटौती का समर्थन करता हूं। सरकार ने जो ११ करोड़ रुपया मांगा है इससे कुछ हल नहीं होगा। देखा गया है कि जहां सरकारी दूकान है उसके पास ही उससे सस्ता गल्ला बिना कंट्रोल की दूकान पर बिकता है। जैसा राम सुंदर पांडेय जी ने कहा, आप इसका कारण ढूंढिये। जब तक आप साल भर के लिये गल्ले की कीमत मुकर्रर नहीं करेंगे तब तक आप अनाज की कमी दूर नहीं कर सकते। जिस समय किसान की फसल का मौका आता है उस समय अनाज सस्ता होता है। ७० फीसदी आदमी अपना अनाज उस समय बेच देते हैं और फिर २ महीने बाद उसे मंहगा लेते हैं। इस तरह से देश में भूख होगी ही। इसलिये सरकार को सबसे बड़ी बात यह तय करनी है कि जो भाव फसल के अवसर पर हो सरकार इस बात की गारंटी दे कि सालभर तक अनाज की कीमत वही रहे। वरना सरकार कुनबी पकड़ कर हो, सिर्फ प्राइस कंट्रोल की दूकान खोलकर यानी सिविल सप्लाइज के जरिये से, जनता की भूख नहीं मिटा सकती है। अगर आप समझते हैं कि ११ करोड़ रुपया कम है तो उसे २०, २५ करोड़ कीजिये। अगर आप करोड़ों किसानों को यह राहत दिला दें कि साल भर तक अनाज की कीमत यह रहेगी तो आज जो लोग अनाज सस्ता खरीदते हैं और अपने गोदामों में डालकर सड़ाते हैं इस इंतजार में कि जब वक्त आयेगा, जब अनाज मंहगा होगा उसको बेंचेंगे। इसलिये अगर आप साल भर तक एक ही कीमत की गारंटी कर देंगे तो गरीब किसानों को राहत मिल जायगी। इसके लिये आपको कानूनन वह करना होगा जिससे यह जुआ बंद हो। आज हालत यह है कि अनाज फसल के वक्त सस्ता हो जाता है और दो महीने के बाद ही तेज हो जाता है। इसलिये सरकार को इतनी गारंटी देनी चाहिए कि ऐसा न होगा। इस वक्त गुड़ चार सेर का है, लेकिन दो महीने बाद ढाई तीन सेर का हो जायगा। फिर चाहे आप रिलीफ शाप्स खोलें या ११ सेर का गुड़ मोल लें उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिये आपको चोटी पकड़ना है। जो जनता आज गुठली चाकर रहती है, जिसको रोटी नहीं मिल पाती उसके लिये आपको यह करना है कि साल भर तक अनाज की कीमत न बढ़ने पाये।

दूसरी चीज मुझे यह कहना है कि मिल और देहात की चीजों में कोई संतुलन अवश्य होना चाहिए। सीमेंट, लोहा, सीसा, तांबा, आदि जो भी मिलों में बनाये जाते हैं उनके दामों में खेतों में पैदा होने वाले गेहूं, जौ, चना और मटर आदि के दामों में अवश्य ही कुछ संतुलन होना चाहिए। आज लोहा कितना मंहगा हो गया है, सीमेंट कितनी मंहगी हो गयी है, कपड़ा भी कितना मंहगा हो गया है। आज अगर आप कानपुर में जायं तो आप देखेंगे कि गोदामों में कपड़ा सड़ रहा है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वह २–१ महीने में सस्ता हो जायगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलवानसिंह]

यह कभी नहीं होगा कि नवम्बर, दिसम्बर में अगर आठ आने गज मिलता है तो मार्च, अप्रैल में ४ आने गज मिलने लगे, लेकिन अगर आज गुड़ साढ़े चार सेर का है तो तीन महीने बाद वह २ सेर का हो जायगा। इसलिये सबसे पहले आपको इस प्राइसेज के फलक्चुएशन को रोकना है क्योंकि किसानों की इससे कमर टूट जाती है। अगर सरकार उन करोड़ों किसानों को सहूलियत देना चाहती है तो उसको पैरिटी आफ प्राइसेज और फिक्जिटी आफ प्राइसेज पर ध्यान देना होगा।

जहां तक सरकारी शाप्स का संबंध है, वह हमेशा डैफिसिट एरिया में होनी चाहिए और वह भी बरसात के पहले-पहले खुल जानी चाहिए। बरसात के पहले-पहले अनाज को खरीद कर वहां पर इकठ्ठा कर देना चाहिए नहीं तो होता यह है कि बरसात में अनाज सड़ता है और ट्रान्सपोर्ट मिलता नहीं है, इसलिये जहां आवश्यकता होती है वहां अनाज नहीं पहुंच पाता। आप कहते हैं कि ट्रान्सपोर्ट की कमी से कोयला और नमक नहीं जा पाता है, लेकिन कानपुर के जो गल्ले के व्योपारी हैं वह मद्रास, बंबई और कलकत्ता के लिये जब और जितने वैगन्स चाहते हैं, हासिल कर लेते हैं। दो सौ, चार सौ रुपया प्रति वैगन स्टेशन मास्टर को देकर ले लेते हैं, लेकिन जब सरकार को वैगन्स की जरूरत होती है तो वैगन्स नहीं मिलते हैं। सीमेंट, कोयला और नमक के लिये सरकार को वैगन्स नहीं मिलते हैं। गांवों के सैकड़ों और हजारों मकान कीचड़ और गारे के बने हुए हैं। गावों के लोग हजारों दरख्वास्तें सीमेंट और लोहे के लिये देते हैं, सैकड़ों और हजारों किसान हमारे पास आते हैं सीमेंट और लोहे के लिये। जब हम उनसे कहते हैं कि सीमेंट पर से तो अब कण्ट्रोल हट गया है तो वे हंसते हैं। क्यों हंसते हैं, इसलिये हंसते हैं कि जहां भी चले जाइये, किसी भी तहसील में सीमेंट डिपो पर चले जाइये, तो कहीं भी सीमेंट नहीं है। इसलिये आपका यह कहना कि वैगन्स हमको नहीं मिलते हैं, जब कि किसी भी जगह जाकर आप देखिये कि स्टेशन मास्टर को रुपया देने पर व्यापारियों को वैगेन्स मिल जाते हैं, सही नहीं है। रिश्वत देने पर एक दो नहीं बल्कि दस-दस वैगन्स तक मिल जाते हैं। इसलिये इस बात का बहाना करना कि हमको वैगन्स नहीं मिल पाते हैं जिसकी वजह से जनता को मकान बनाने के लिये हम सीमेंट नहीं दे पाते, सही नहीं है। आखिर कानपुर से तिल और गेहूं मद्रास कैसे पहुंच जाता है? इसलिये मैं सरकार से कहता हूं कि वह जनता के हित को लेकर अगर वैगन्स चाहती है तो वह उन चीजों पर निगाह रखे। जैसा कि मैंने सी० आई० डी० के लिये भी कहा था कि वह सी० आई० डी० बैठावे और देखे कि किस तरह से प्राइवेट बिजनेस मैन और सेठ लोगों को रिश्वत देने पर वैगन्स मिलते हैं। केवल हाउस में इस तरह की बात कह देने से कि हमको वैगन्स नहीं मिलते हैं, गांव के किसान सन्तुष्ट नहीं हो सकते हैं।

दूसरी बात मुझे गल्ला खरीदने के संबंध में यह कहनी है कि माननीय मंत्री जी रीजनल मार्केटिंग आफिसर वगैरह की जो एजेंसी है उसके जरिये जो गल्ला खरीदवाते हैं उसको बन्द कर दें और उस डिपार्टमेंट को ही तोड़ दें। क्योंकि वे लोग दो सेर का गल्ला खरीदते हैं और पौने दो सेर का दिखलाते हैं और इस तरह से लाखों रुपये का लाभ ये आफिसर लोग उठाते हैं। इसलिये मेरा सजेशन यह है कि अगर आपको गल्ला खरीदना हो तो कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जरिये खरीदवायें, कलेक्टर या तहसीलदार लोग जायं और वे ही गल्ले को खरीदें। आज होता यह है कि रीजनल मार्केटिंग आफिसर हापुड़, मुजफ्फरनगर या और दूसरी मंडियों में स्वयं जाकर डेरा जमा लेते हैं और उनको सेठों की तरफ से सहूलियतें मिलती हैं। इसलिये मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप गल्ला खरीदना चाहते हैं तो कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जरिये ही खरीदवायें। आपका जो यह रीजनल मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, इसको छोड़ दीजिये, इसकी क्या जरूरत है? अगर आप समाजवादी व्यवस्था लाना चाहते हैं तो ब्यूरोक्रेसी को तोड़ दीजिये। अगर सरकार किसानों को किसी किस्म की मदद देगी, पैसा देगी तो किसान

अपना बीज और अनाज भी सरकार को देने के लिये तैयार हो जायगा बशर्ते कि सरकार भी उससे ले। अगर सरकार कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये गल्ला ले और किसानों से वह गल्ला खरीदना चाहे तो वे अपना सब गल्ला सरकार को दे सकते हैं। वे किसी दूसरे को गल्ला नहीं दे सकते हैं क्योंकि उनको और कहीं किसी किस्म की सहूलियत नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया।

मुख्य मंत्री व कुछ अधिकारियों के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (क्रमागत)

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाना चाहता हूं। आपकी आज्ञानुसार उसकी एक कापी मैंने आपके पास और एक कापी माननीय मुख्य मंत्री जी के पास भी भेज दी है। अगर इसमें विलम्ब होगा तो वह फाइल म्युनिसिपल बोर्ड से इधर-उधर हो सकती हैं और सत्य तक पहुंचने में दिक्कत हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष—किस नियम के अनुसार आपका यह प्रस्ताव है ?

श्री राजनारायण—श्रीमन्, प्रक्रिया नियमावली के नियम ४७ के अनुसार है। इसमें यह है "यदि नियम ४४ के अन्तर्गत अध्यक्ष अपनी सम्मति दे तो शिकायत करने वाला सदस्य प्रश्नों के अनन्तर तथा कार्यक्रम आरम्भ होने से पूर्व अपनी शिकायत पढ़ेगा और उससे सुसंगत एक संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेगा। यदि शिकायत किसी लेख्य पर आधारित हो तो शिकायत करने वाला सदस्य, अथवा, यदि अध्यक्ष ऐसा निर्देश दे तो सचिव उसे पढ़ेगा। अध्यक्ष किसी अन्य सदस्य को, यदि आवश्यक हो सुनने के उपरान्त विनिश्चय करेगा कि शिकायत नियमित है या नहीं।

परन्तु अध्यक्ष यदि विषय की आपातिकता के बारे में संतुष्ट हो जाय, तो वह किसी अन्य समय भी विशेषाधिकार के प्रश्न उठाने की अनुज्ञा दे सकता है"।

यानी नियम में आपको पूरा अधिकार है कि अगर आप इससे संतुष्ट हैं कि यह विषय इतना महत्वपूर्ण है कि यदि इसमें विलम्ब हो तो गड़बड़ी हो सकती है तो आप किसी भी समय विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की आज्ञा दे सकते हैं। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि आप अब मुझे आज्ञा दें कि तो जिन ७ अफसरों के नाम मैंने पहले भी सुना दिये थे अब भी सुनाये देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—वह ठीक है लेकिन इसमें नियमानुसार २ बातें जरूरी हैं। एक तो यह कि मैं संतुष्ट हो जाऊं कि शिकायत ठीक है या नहीं और दूसरी यह कि माननीय मुख्य मंत्री को भी इसकी सूचना मिलना जरूरी है। यदि आप नियम ५८ देखें तो उसमें है कि "सदस्य को सूचना, जिसके विरुद्ध शिकायत की गई हो जब किसी सदस्य के विरुद्ध शिकायत करनी हो तब शिकायत करने वाले, याचिका देने वाले अथवा सचिव अथवा समिति द्वारा, यथास्थिति, उस सदस्य को शिकायत की पूर्व सूचना दी जानी चाहिये। कोई पूर्व सूचना न दिये जाने की दशा में सदन विषय का उस समय तक विचार स्थगित कर सकता है जब तक कि संबद्ध सदस्य को सूचना न दे दी जाय अथवा वह (सदन) शिकायत को विचारार्थ लेना अस्वीकार कर सकता है।"

श्री राजनारायण—इस संबंध में मुझे इतना ही निवेदन करना है, सदन विचार स्थगित कर सकता है। तो मैंने जो नोटिस दिया है वह मैं श्रीमन्, की सेवा में प्रस्तुत कर दूं। माननीय मुख्य मंत्री जी .. ...

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जिस माननीय सदस्य के खिलाफ शिकायत है वह उपस्थित नहीं हैं, ऐसी हालत में सदन के ऊपर यह प्रश्न आ जायगा कि वह इसको स्थगित करना चाहता है या नहीं। परन्तु मैं यह जानना चाहूंगा कि आप ने जो मुख्य मंत्री जी को नोटिस दिया उसमें यह लिखा है कि आप इस प्रश्न को किस समय उठायेंगे ?

श्री राजनारायण—मैंने सवा २ बजे अर्लिएस्ट आपरचुनिटी अवेल की।

श्री उपाध्यक्ष—आप ने माननीय मुख्य मंत्री की प्रतिलिपि में कोई समय भी नोटिफाई किया था कि आप इसको किस समय उठायेंगे ?

श्री राजनारायण—उसमें तो श्रीमन्, नहीं लिखा, जो मैंने आप को लिखा है उसकी ही नकल उनको भेज दी थी।

श्री उपाध्यक्ष—संबंधित सदस्य जिनके खिलाफ शिकायत है वह सदन में नहीं हैं।

***श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आज्ञा हो तो मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं। मुझे अभी श्री राजनारायण जी ने उसकी प्रतिलिपि दिखला दी है। यह मामला बहुत गम्भीर है, लेकिन अभी मैं इसके मेरिट्स में नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं ब्रिच आफ प्रिविलेज कमेटी का सदस्य हूं। राजनारायण जी ने जो मांग की है वह यह नहीं चाहते हैं कि आप फैसला कर दें, वह केवल यह चाहते हैं कि आप म्युनिसिपल बोर्ड से सम्बन्धित कागजात अपने पजेशन में ले लें ताकि सदन किसी नतीजे पर आ सके क्योंकि वहां से नकल वगैरह लेने का कोई तरीका नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं आप का ध्यान मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पेज १३८-१३९ की तरफ दिलाऊंगा जिस में है कि—

"When complaint is made of something published in a newspaper or book, a copy of the newspaper or book, and when complaint is made of a letter sent to a Member, the original of the letter said to have been written, must be delivered in at the table by the Member who makes the complaint and the passages complained of read aloud by the Clerk for the information of the House before any further proceedings are had in relation to the complaint."

और आगे है कि—

" When complaint is made of an alleged libel on the House or on a committee or a member of the House, it is usual, after the document upon which the complaint is founded has been read by the clerk, for the House, before taking any further steps in the matter, to determine whether the document complained of is of the particular character alleged. The reason for this is that unless the writing is defamatory it does not call for any action on the part of the House."

अब नियम के अनुसार सर्टिफाइड कापी लेना चाहिये, लेकिन बोर्ड में कोई सर्टिफाइड कापी देने का नियम नहीं है। अब सिवा इसके कोई और तरीका नहीं है कि आप फाइल तलब कर लें और उसको हाउस की टेबिल पर रखा दें।

श्री राजनारायण—मेरा प्रस्ताव है कि जब तक यह प्रश्न चलें, समय बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—समय तो साढ़े ५ तक पहले से ही बढ़ गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--इसका जवाब तो जब तक माननीय मुख्य मन्त्री खुद न हों नहीं हो सकता। सवाल यह है कि रूल ४४ में--

"A breach of privilege, either of a member or of the House or of a Committee thereof, may, with the consent of the Speaker, be brought to the notice of the House :

Provided that if the breach is committed in actual view of the House, the House may take action without any complaint."

उसके बाद ४५ में यह है--

" A member wishing to make a complaint of a breach of privilege shall give notice in writing to the Secretary before the commencement of the sitting on the day on which it is proposed to be made."

श्री उपाध्यक्ष--नियम ४७ में यह बात खत्म हो जाती है क्योंकि यदि अर्जेन्ट विषय हो तो स्पीकर को किसी भी वक्त लेने का अधिकार है। यह जरूरी नहीं है कि सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले यह प्रश्न लाया जाय।

श्री सैयद अली जहीर--

"Provided that the speaker may, if he is satisfied about the urgency of the matter, allow a question of privilege to be raised at any other time."

अर्जेन्सी आफ दी मैटर का सवाल यहां आता नहीं। वह तो एक स्टेटमेंट था जो खत्म हो गया। उसको खत्म हुए भी दो या तीन दिन हो गये। जो उसके मुताल्लिक कम्प्लेंट है उसमें कोई अर्जेन्सी नहीं हो सकती। अर्जेन्सी उस वक्त हो सकती है जब हाउस बैठा हुआ है, फौरन किसी ने ब्रीच की, कोई बात खिलाफ कायदा कानून हुई जिसमें ब्रीच हुआ, उसमें अर्जेन्सी हो जाती है--

In that case you may allow it at that very time; even you may take up the complaint without any notice.

लेकिन माननीय मुख्य मन्त्री जी का जो बयान हो चुका उसके मुताल्लिक कम्प्लेंट जो है उसके लिये यह लागू होगा कि--

" before the commencement of the sitting of the House."

रेज करें।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय न्याय मन्त्री जी ने यह प्रश्न उठाया है कि कैसे अर्जेन्सी हो गयी ?

श्री राजनारायण--उसी अर्जेन्सी के बारे में निवेदन करूंगा कि २१ तारीख को जब हमने अपना बजट भाषण किया था उसमें बिलकुल डेफिनिट क्वेश्चन पूछा था वित्त मन्त्री जी से। जो हमारे पास कापी है उससे मैं पढ़ देना चाहता हूं--

"माननीय वित्त मन्त्री जी इसका जवाब दें कि क्या इन लोगों ने मकान म्युनिसिपैलिटी से नक्शा पास हो जाने के बाद बनवाया ?" मैंने मुख्य मन्त्री जी से इसको पूछा कि "क्या आपने इस बात की जानकारी की ?" उन्होंने कहा कि "इसकी जानकारी नहीं की।"

यह हमने कहा था। माननीय मुख्य मन्त्री ने २५ को यह कहा था कि--

"राजनारायण जी ने मुझसे यह कहा। उस समय मैंने इंक्वायरी नहीं की थी ? मगर अब हमने इंक्वायरी कर ली है कि नक्शा पास हुआ था।" उस समय हमने उनको टोका नहीं। उनके बयान के बाद मैंने उनको एक पत्र लिखा जो इस प्रकार है--

"प्रदेश के उच्चाधिकारियों ने म्युनिसिपल बोर्ड से कब नक्शा पास कराया ? उनको कितना टन कोयला-सीमेंट का परमिट दिया गया और किन-किन ने कहां-कहां से ईंटा लिया ?

[श्री राजनारायण]

कृपया मुझको सब ब्योरा बताने का कष्ट कीजियेगा। मैं इन सब बातों को इसलिये जानना चाहता हूं ताकि मैं भी सत्य पर पहुंच सकूं और अब तक मुझे जो जानकारी करायी गयी है, यदि वह गलत है तो मैं यह भी समझूं कि मुझे गलत खबर क्यों दी गयी ?

कृपया आप शीघ्र सब मैटर मेरे पास भेजियेगा। इनके अतिरिक्त भी आपके पास जो कुछ इस सम्बन्ध में हो उसे भी भेजियेगा। कष्ट के लिये--धन्यवाद।"

यह २५ को पत्र लिख कर उनके पास भेजवा दिया। माननीय मुख्य मन्त्री जी आज भी आये। वह काउंसिल में इस सम्बन्ध में भाषण किये। मगर उन्होंने अपना उत्तर मेरे पास नहीं भेजा। तो इस समय मैं स्वतः म्युनिसिपल बोर्ड गया और वहां जाकर चार आने का टिकट खरीदा, हमारे साथ इस सदन के माननीय सदस्य श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे भी थे और एक पत्रकार मिस्टर तिवारी भी थे। इन लोगों को साथ ले कर मैं गया। वहां एग्जीक्यूटिव आफिसर को बाकायदा टिकट लगाकर दरख्वास्त दी। फिर उन्होंने असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव आफिसर को दिया। वह भी नहीं थे। हम लगातार बैठे रहे। एडमिनिस्ट्रेटर आये। उनकी सेवा में हाजिर हुए। किसी न किसी प्रकार से श्रीमन्, गोविन्द नारायण जी के मकान की फाइल को देख पाये। इसमें भी एक कागज को हमने मांगा कि जो रिपोर्ट आयी है वह दी जाय। श्री गोविन्द नारायण जी ने अपने प्लान को पास करने के लिये प्रार्थना-पत्र दिया है ६-१२-५६ को और १० दिसम्बर, १९५६ को नजूल अफसर ने लिखा है--

"The layout of the Vivek Society is not yet sanctioned. The plans cannot be therefore passed. The construction should be stopped at once."

१०दिसम्बर, १९५६ को नजूल अफसर ने लिखकर दिया। १०-१२-५६से १६-१२-५७ तक सब मामला गोल है। उसने कहा कि मकान का बनना बन्द किया जाना चाहिये। मकान बनता चला गया। जब नेशनल हेरल्ड में.....

श्री उपाध्यक्ष--ज्यादा विस्तार में आप न जायं। आपका क्या मतलब है ?

श्री राजनारायण--उसी पर आ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष--मैं पूरा किस्सा कहने की इजाजत नहीं देता हूं। कैसे आज ही लेना चाहिए इस पर आपको जो कहना हो वही कहें।

श्री राजनारायण--मैं उसी पर आ रहा हूं। बराबर इन अधिकारियों की ओर से उपेक्षा हुई, मकान बनता चला गया। तो इसमें बड़े-बड़े अफसर हैं, इसमें हमने जो आपकी सेवा में लिस्ट दी है उसमें श्री एम० एस० विष्ट हैं जो कि चीफ इंजीनियर हैं, श्री आर० एस० दास हैं, श्री एन०-एन० चक्रवर्ती हैं, श्री ए०-एन० झा हैं, श्री सी० एम० निगम हैं, श्री बी० बी० लाल हैं तथा, श्री गोविन्द नारायण हैं। तो जब मैं म्यूनिसिपल बोर्ड में गया तो मुझे कुछ ऐसा आभास हुआ कि ये लोग आसानी से पता नहीं चलने देंगे और अगर विलम्ब होगा, श्रीमन्, जरा इधर सुन लें, यदि विलम्ब होगा तो फाइल गायब हो सकती है और फाइल में संशोधन हो सकता है, फाइल को इधर-उधर किया जा सकता है इसलिए मैं आपके द्वारा यह चाहता हूं कि इन लोगों के मकान से सम्बन्धित जो फाइल है, म्युनिसिपल बोर्ड में वह फाइल ले ली जाय और जो असेसमेंट हुआ है, असेसमेंट की भी फाइल ली जाय, यदि आप विलम्ब करेंगे या यह सदन आज म्युनिसिपल बोर्ड के सारे कागजात को नहीं लेगा तो मुझे अन्देशा है कि वहां से फाइल इधर-उधर हो सकती है, यह अधिकारी जो हैं उनकी तरफ से सत्य तक पहुंचने में बाधा डाली जायगी।

न्याय उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)--उपाध्यक्ष जी, इस सवाल के तीन पहलू हैं और श्री नारायण दत्त जी की जो स्थिति है मेरी भी वही है। मैं भी प्रिविलेजेज कमेटी का मेम्बर हूं। इसलिए मैं किसी भी प्रकार से मेरिटस में नहीं जाना चाहता, लेकिन

आपका ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं वह है नोटिस वाला प्रश्न। इसकी अर्जेन्सी है या नहीं। एक चीज जिस पर आप विचार करेंगे वह है यह नोटिस वाली बात। नोटिस माननीय राजनारायण जी ने माननीय मुख्य मंत्री को दिया, लेकिन उसमें उन्होंने कोई इस तरह की चीज नहीं लिखी कि वह इसको इस सदन में देना चाहते थे। उसका परिणाम यह है कि उनकी तरफ से कोई बात नहीं आयी। ऐसी परिस्थिति में मेरा आपसे यह निवेदन होगा कि इस समय आप इस प्रश्न की अर्जेंसी पर विचार करें यह शायद उचित न होगा। एक दूसरी चीज की ओर मैं और भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे खयाल में धारा ४४ के अन्तर्गत जिस नोटिस की आवश्यकता है वह नोटिस न सेक्रेटरी को दी गई और न जिस तरीके से उसे इस सदन में आना चाहिए उस तरीके से यहां वह चीज आई। एक तीसरी चीज यह भी कहना चाहता था माननीय नारायणदत्त जी ने यह कहा कि जो पत्रावली है उसको सदन के सामने इसलिए आना चाहिए क्योंकि उस पत्रावली की नकल नहीं मिलती है। दुर्भाग्यवश मेरे सामने इस समय वह म्युनिसिपैलटीज ऐक्ट नहीं है, लेकिन इतना निवेदन कर सकता हूं बिला किसी शक शुबहे के कि म्युनिसिपल बोर्ड के प्रत्येक डाक्युमेंट की नकल मिलती है और अदालत में भी कभी म्युनिसिपल बोर्ड के डाक्युमेंट्स इन ओरिजिनल नहीं जाते, केवल उनकी नकल जाती है। अगर मेरे मित्र कोई और बात कहते हों तो जिस धारा के अन्तर्गत वह नकल मिलती है उसको भी मैं सदन के सामने रख दूंगा। इन परिस्थितियों में यह जो अर्जेंसी मेरे मित्र राजनारायण जी ने बतायी और श्री नारायणदत्त जी ने जिसकी ताईद की कि उन डाक्युमेंट्स की नकल नहीं मिलेगी, वह गलत बात है, उनकी नकल मिलती है और मेरा निवेदन है कि वह नकल लाजमी तौर पर इस सदन के सामने आनी चाहिये और जैसा कि मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस को कोट किया गया जिसमें सदस्य से यह कहा गया कि आप वह जो ओरिजिनल लेटर है उसे सदन के सामने रखिये। श्रीमन्, यह कह सकते हैं श्री राजनारायण जी से कि जिन डाक्यूमेंट का वह जिक्र कर रहे हैं उनकी नकल जब कानूनन प्राप्त हो सकती है तो उसको प्राप्त करके वह सदन के सामने रखें।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, जरा मैं एक मिनट कह दूं। मैंने श्रीमन्, सर्टिफाइड कापी मांगी और उन्होंने कहा कि सर्टिफाइड कापी हम नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि आपके सामने कागज है, फाइल है, आप इंसपेक्शन नोट कर लीजिये। उनका नाम याद नहीं कर पा रहा हूं, कोई जैन साहब हैं असिस्टेंट एग्जीक्युटिव आफिसर, उनकी उपस्थिति में हमने जो बातें नोट की हैं, वह कागज हमारे पास मौजूद है। वह इंसपेक्शन का रिजल्ट जो नोट किया है वह मैं आपकी सेवा में उपस्थिति कर सकता हूं जिसमें बिलकुल साफ नोट किया है।

श्री उपाध्यक्ष--आप कृपया बैठिये। आप मेरिट में पूरी सूचना देने लगते हैं....

श्री राजनारायण--हमने मांगी, नहीं मिली और इंसपेक्शन नोट जो किया है हमने उसमें लिख दिया है। यह मेरे पास है, आपके पास भेज रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष--किसी और माननीय मंत्री को तो कुछ कहना नहीं है ?

श्री सैयद अली जहीर--उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह अर्ज कर देना है कि जो कुछ अर्जेंसी बयान की गयी है, माननीय राजनारायण जी का यह शक है कि शायद फलां बात खिलाफ़ कायदा न हो जाय। यह कोई कारण अर्जेंसी का नहीं हो सकता, वह एक अलग चीज है, लेकिन जहां तक असली मामला है उसमें किसी किस्म की कोई अर्जेंसी नहीं जाहिर की। एक स्पीच २५ तारीख को हुई वह खत्म हो गयी। और अब जब कि बजट की डिमांड चल रही हो उस वक्त उस मामले को रेज करना यह कोई अर्जेंसी नहीं है। नौर्मली वह दरख्वास्त देंगे, हम भी तैयार होंगे और बतलायेंगे कि आया कोई बीच आफ़ प्रिवलेज हुआ या नहीं। फिर आपकी मर्जी पर है, लेकिन अभी उसकी अर्जेंसी बिलकुल नहीं

[श्री सैयद अली ज़हीर]

है किसी किस्म की भी कि एक स्पेसीफाइड पीरियड में जब कि बजट को मंजूर होना चाहिये उसके इंटरवेंशन में यह बात की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---मैंने दोनों पक्षों की बातें सुनीं । माननीय राजनारायण जी ने जो विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है उसमें उन्होंने दोनों बातें कहीं हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कुछ बयान दिया और साथ-साथ यह भी कहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी को हो सकता है कि अधिकारियों ने गलत सूचना दी हो । तो आम तौर पर जो बातें सदन में कही जाती हैं उनके बारे में प्रिवलेज का प्रश्न नहीं उठता जब तक कि यदि जानबूझ कर तथ्य छिपाने का किसी का इरादा न हो । माननीय राजनारायण जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हो सकता है माननीय मुख्य मंत्री जी के खिलाफ़ यह प्रिवलेज का प्रश्न न उठे और उन अधिकारियों के खिलाफ़ उठे जिन्होंने जांच के समय उनको गलत इत्तला दी । माननीय राजनारायण जी का कहना यह है कि उन्होंने इस इंटरवेल में जांच की, सुबह से प्रयत्नशील थे और सही स्थिति का पता उनको चला । तो ऐसी हालत में जाबते से उनको इस बात की आशंका है कि वह फाइलें गायब की जा सकती हैं और ऐसी ही परिस्थिति के लिये मैं समझता हूं कि नियम ४७ का जो प्रौवीज़ो है, वह है । तो मैं चूंकि उनकी शिकायत अधिकारियों के खिलाफ भी है इसलिये इस विशेषाधिकार के उठाने की अनुमति दिये देता हूं । अब सदन की यह इच्छा है वह इसे ले या न ले । अगर माननीय मुख्य मंत्री जी नहीं हैं तो नियम ५८ के अनुसार सदन जो चाहे निर्णय कर सकता है ।

श्री राजनारायण---

सेवा में,

श्री उपाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश, विधान सभा, लखनऊ ।

(विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न)

महोदय,

मैंने गत २१ फरवरी को बजट पर होने वाले सामान्य विवाद में भाग लेते हुये सदन में हाउस स्कैंडल की चर्चा की थी और श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम जी के इस कथन का कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जांच कर ली है प्रतिकार करते हुये मैंने सदन में कहा था कि माननीय वित्त मंत्री जी इसका जवाब दें कि क्या उन लोगों ने (उच्चाधिकारियों ने) मकान म्युनिसिपैलिटी से नक्शा पास हो जाने के बाद बनवाया । मैंने मुख्य मंत्री जी से मिलकर भी दो अन्य साथियों के साथ यही प्रश्न किया । उस समय मुख्य मंत्री जी ने स्वीकार किया था कि उन्होंने इस बात की जांच नहीं की ।

गत् २५ फरवरी को माननीय मुख्य मंत्री जी बहस का जवाब देते हुये उच्चाधिकारियों द्वारा बनवाये गये मकानों (हाउस स्कैंडल) की चर्चा करते हुये मेरा जिक्र किये और मेरे उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने कहा कि म्युनिसिपिल बोर्ड द्वारा नक्शा पास हुआ ।

मेरा स्पष्ट प्रश्न था कि क्या उच्चाधिकारियों ने नक्शा पास कराने के बाद मकान बनवाया । इसी प्रश्न के उत्तर में मुख्य मंत्री जी ने मेरी व्यक्तिगत बात तथा सदन में मेरे द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर में कहा कि म्युनिसिपैलिटी से नक्शा पास हुआ है । इसका स्पष्ट मतलब है कि म्युनिसिपैलिटी से नक्शा पास होने के बाद मकान बना । मैंने मुख्य मंत्री जी से २५ तारीख के पत्र द्वारा पूछा कि वे हमें बतावें कि नक्शा कब पास हुआ ? मुख्य मंत्री जी का आज तक उत्तर न आने पर मैंने स्वयं कुछ मित्रों के साथ आज म्युनिसिपल बोर्ड कार्यालय में जाकर नियमत : श्री गोविन्द नारायण जी के मकान से सम्बन्धित फाइल को देखा । आवश्यक अंश का नोट भी लिया । फाइल देखने पर स्पष्ट होता है कि श्री गोविन्द नारायण जी ने ६-१२-५६

को प्रार्थना-पत्र दिया, नजूल अफसर ने मकान बनाने का काम रोकने का हुक्म १०-१२-५६ को दिया, मकान का बनना रुका नहीं, बनता गया। फिर आखिर तौर पर जब दिसम्बर, ५७ के प्रथम सप्ताह में नेशनल हेराल्ड में अनुचित ढंग पर मकान बनाने की बात छपी तो १६-१२-५७ को नक्शा पास हुआ और परमिट नं० १८३४ के द्वारा १८-१२-५७ को प्लान स्वीकृत किया गया।

उपर्युक्त बातों से स्पष्ट है कि सदन में सत्य को जानबूझ कर छिपाया गया है। सत्य को जानबूझ कर छिपाना सदन का अपमान है और प्रत्येक सदन का अपमान विशेषाधिकार अवहेलना का प्रश्न है।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी तथा उन अफसरों के विरुद्ध विशेषाधिकार अवहेलना का प्रश्न उठाने की आज्ञा चाहता हूं, जिन्होंने माननीय मुख्य मंत्री जी को असत्य सूचना दी।

अतः इस लेख द्वारा मैं निवेदन करूंगा कि यह प्रश्न विशेषाधिकार अवहेलना से सम्बन्धित समिति के पास आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दिया जाय।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी निवेदन करूंगा कि सर्व श्री एम० एस० विष्ट, आर० एस० दास, एन० एन० चक्रवर्ती, बी० बी० लाल, ए० एन० झा, सी० एम० निगम तथा गोविन्द नारायण जी के मकान से सम्बन्धित म्युनिसिपल बोर्ड की तमाम फाइलें तथा असेसमेंट रजिस्टर सब आप अपने कब्जे में लेकर सील मोहर करा लें। यदि इस कार्य में विलम्ब होगा तो मुझे सन्देह है कि फाइलें इधर-उधर हो जायं या उसमें संशोधन किये जायं।

आपका,
राजनारायण

दिनांक: २८ फरवरी, १९५८।

श्री उपाध्यक्ष—आप तो पढ़ ही रहे हैं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैंने यह जो विशेषाधिकार से सम्बन्धित प्रश्न उठाया है यह बहुत ही ऊबकर उठाया है। जब मैं यह देखकर परेशान हो गया कि इस सदन में सत्य को छिपाने की भी चेष्टा होती है और बड़े उच्चाधिकारी भी सम्बन्धित मंत्रियों को जो खबर देते हैं वह सत्य पर आधारित नहीं होती तब कर्तव्य से प्रेरित होकर मैंने यह विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया। यह मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से पहले ही निवेदन कर दूं कि इस विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के द्वारा मेरा किसी व्यक्तिगत अफसर या किसी व्यक्तिगत मंत्री से कोई राग-द्वेष नहीं है। केवल सदन के सम्मान की सुरक्षा के लिये, जनता के धन का दुरुपयोग न हो उसकी सुरक्षा के लिये और सरकारी कर्मचारी अपने अधिकारों का अनुचित लाभ न उठाय इसके लिये मैंने इस प्रश्न को, आपके द्वारा, आज प्रस्तुत करने की चेष्टा की है। श्रीमन्, हमने एक हिसाब भी लगाया है और मैं आपकी आज्ञा से उसे पढ़ ही देना चाहता हूं ताकि सदन के सम्मानित सदस्य भी उसकी जानकारी कर लें।

श्री उपाध्यक्ष—इस वक्त हिसाब से क्या मतलब है? सदन से आप केवल निवेदन करें कि वह प्रश्न पर विचार करे। हिसाब और बजट स्पीच का इस समय वक्त नहीं है। आप बैठिये।

श्री राजनारायण—वही कह रहा हूं। आप जरा उसे सुन लें। हिसाब का सवाल नहीं है।

मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारी अब तक की जांच और प्रयत्न से यह बात स्पष्ठ हो चुकी है कि अधिकारियों ने नक्शा पास नहीं कराया और बिना नक्शा पास कराये मकान बनवा लिया। मकान में जहां तक मेरी जानकारी है श्री गोविन्द नारायण जी . . .

श्री उपाध्यक्ष---अब आप मेरिट्स पर जाने लगे हैं। आप ने एक प्रश्न रखा है सदन में उस पर विचार होना चाहिये ताकि और लोग भी अपनी राय रखें।

श्री राजनारायण---प्रोसीजर क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष---अध्यक्ष को यह अधिकार है कि कुछ मेम्बरों से जानकारी हासिल करने के उपरान्त अपना निर्णय दे कि केस प्राइमा फेसी बनता है या नहीं।

श्री राजनारायण---उसी प्राइमा फेसी के लिये एक मिनट और आप दे दें।

श्री उपाध्यक्ष---आप मेरिट्स पर न जायं। अगर यह प्रश्न इन आर्डर में समझ लूंगा कि प्राइमा फ़ेसी केस बन जाता है तो यह प्रिविलेज कमेटी को भेजा जायगा। हां, सदन को अधिकार है कि प्रिविलेज कमेटी को भेजे बिना भी वह कोई फैसला ले सकता है। तो ऐसी हालत में काफी आप कह चुके।

श्री राजनारायण---मैं प्राइमा फ़ेसी केस के बारे में ही इतना कहना चाहता हूं कि उच्च अधिकारी, डेवलपमेंट कमिश्नर इत्यादि वे अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह से जानते हैं। यह हमने सदन के सामने स्पष्ट कर दिया कि म्युनिसिपैलिटी से नक्शा पास नहीं हुआ और नजूल अफसर ने लिखा कि मकान बनाना रोक दिया जाय, लेकिन मकान बनना नहीं रुका। बाद को नक्शा पास कराया गया, तो यह उनके कर्तव्य की अवहेलना है।

श्री उपाध्यक्ष---बस, अब काफी हो गया।

श्री सैयद अली जहीर---उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इतनी लम्बी चौड़ी स्पीच का ताल्लुक है मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें अफसरान का मामला कैसे आ जाता है ब्रीच आफ प्रिविलेज का।

श्री उपाध्यक्ष---आप प्राइमा फ़ेसी केस बतला रहे हैं या मेरिट्स पर जा रहे हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---रूल्स के मातहत---

" The Speaker, after hearing any other member, if necessary, shall decide whether the complaint is in order or not."

तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि यह इन आर्डर नहीं है। उसमें पहला एतराज तो यह है...

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---मैं प्वांइट आफ आर्डर उठा रहा हूं कि आपने एक प्रश्न को स्वीकार कर लिया, उसके बाद एतराज किया जा सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष---कृपया बैठिये। माननीय सदस्यों को नियमों का ज्ञान होना चाहिये। एक तो है प्रश्न उपस्थित करने के लिये अध्यक्ष की अनुमति, तो वह हो गयी। उसके बाद प्राइमा फ़ेसी केस बनता है या नहीं उसके लिये राय देने का अब समय है।

श्री सैयद अली जहीर---जहां तक प्राइमा फ़ेसी केस का ताल्लुक है, मैं यह अर्ज करूंगा कि ऐसी कम्पलेंट है कि किसी ने क्या कहा किसी से, या अफसरान ने क्या इनफार्मेशन दी, यह ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं हो सकता। न अफसरान ने हाउस के सामने कोई बयान दिया। कोई गलत इनफार्मेशन दी, यह तो आपका कहना है। ब्रीच आफ प्रिविलेज तो तब होता अगर हाउस के खिलाफ कोई बात कही जाय या ऐसी बात की जाय जिससे हाउस का अपमान हो। तो यह किसी अफसरान के खिलाफ नहीं लगाया जा सकता।

जहां तक मुख्य मंत्री का ताल्लुक है, मैं यह अर्ज करूंगा कि उनके एक स्टेटमेंट के ऊपर एतराज हो रहा है। स्टेटमेंट देते वक्त मुख्य मंत्री ने कहा था कि कागजात मेरे पास रखे हुये हैं, अगर माननीय राजनारायण देखना चाहें तो देख लें। तो उस वक्त आप देख सकते थे

और जो कुछ हो सकता था आप कह सकते थे। उनसे आपने कोई बात कहने की जहमत गवारा नहीं की और न कागजात देखे। उसके बाद खुदा जाने, आपने कौनसे कागजात कहां देखे और कौन से नहीं देखे, या बीच के स्टेजज के कागजात छोड़ दिये, मैं नहीं जानता। लेकिन इस तरह की बातों के ऊपर यहां ब्रीच आफ प्रिविलेज का लाना बिलकुल एक नयी चीज है। एक स्टेटमेंट दिया गया, जिसको आप कहते हैं कि आपकी अक़्ल और समझ में वह गलत स्टेटमेंट था और वह हाउस का ब्रीच आफ प्रिविलेज हो गया।

सवाल तो यह है कि कोई ऐसी चीज हुई हो जिससे हाउस का अपमान कोई जान-बूझकर करे, लेकिन महज यह कि किसी इन्फारमेंशन पर जिसको आप अपने दिल में गलत समझते हों कि वह गलती हो गयी तो उस किस्म का सवाल किसी तरह से ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं हो सकता। अफसरान का तो खैर, सवाल ही नहीं है। वह आपके सामने नहीं है। उनका कोई ऐक्शन ऐसा नहीं है जिसके ऊपर आप ब्रीच आफ प्रिविलेज फाइल कर सकते हों। मुख्य मंत्री का स्टेटमेंट आप की समझ में गलत है, इस वास्ते वह ब्रीच आफ प्रिविलेज हो गया, मैं समझता हूं कि इस किस्म की कोई चीज ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं हो सकती और न इसके लिये किसी इन्क्वायरी की जरूरत है। जिस तरह से यह मामला आपके सामने उठाया गया है अव्वल तो यह वक्त नहीं है उसके उठाने के लिये और न कोई अर्जेन्सी है।

दूसरी बात यह है कि जो पर्सन कन्सर्न्ड को नोटिस देना चाहिये था कि वह आकर एक्सप्लेन करते उसका कोई मौका नहीं मिला।

तीसरी चीज यह है कि आन मेरिट्स किसी किस्म की ऐसी चीज नहीं हुई है जिसकी वजह से हाउस का ब्रीच आफ़ प्रिविलेज हुआ हो।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---श्रीमन्, मैं इस सम्बन्ध में एक चीज की ओर आपका ध्यान बहुत गम्भीरता से ले जाना चाहता हूं। मेरी समझ में आपके सामने तो प्रश्न केवल इतना सा है कि आपने इस बात के लिये कन्सेण्ट दी कि वे इसको पढ़कर सुना दें और यह सदन यह विचार ले कि इस पर प्राइमा फ़ेसी विचार करना चाहिये या नहीं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---श्रीमन्, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आपकी आज्ञा से कि साढ़े ५ बजने में समय बहुत कम है इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाय जिससे सदन इस पर अच्छी तरह से विचार कर ले।

श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)---समय न बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---(श्री लक्ष्मीरमण आचार्य से) माननीय दुबे जी के प्रस्ताव के सम्बन्ध में आपकी क्या राय है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---श्रीमन्, अभी यह प्रिविलेज का मामला चल रहा है और उसके बाद में ग्रांट्स बाकी हैं। तो यदि यह सदन तय करता है कि इस चीज पर अभी विचार किया जाय तब तो दूसरी बात है वर्ना कल भी हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष---आप उनके प्रस्ताव का विरोध करते हैं या समर्थन ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---मैं उसका विरोध कर रहा हूं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---श्रीमन्, बजट का भी तो वाद-विवाद बाकी है।

श्री उपाध्यक्ष---उसके लिये आप चिन्ता न करें। नियमानुसार जितनी ग्रांट्स बाकी रहेंगी एप्रोप्रियेशन बिल पेश होने के पहले उस पर वोटिंग हो जायगी, लेकिन इसके लिये अगर सब लोग सहमत हो जांय तो अच्छा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मैं समझता हूं कि ५ बजे से अब तक जो २५ मिनट कार्यवाही चली है वह आपके विशेषाधिकार से चली है क्योंकि प्रिविलेज का सवाल उठ गया इसलिये आपने कह दिया था कि अपने विशेषाधिकार से मैं सदन का समय बढ़ाये देता हूं। इसलिये अगर इस समय कोई प्रस्ताव सदन का समय बढ़ाने का आता है तो वह अवैध होगा। लिहाजा मैं माननीय दुबे जी से यह अनुरोध करूंगा कि वे अपने प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष---नहीं, नहीं। आध घंटा समय बढ़ाया जाना तो पहले से ही तय था। (राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे से) माननीय दुबे जी, आप अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं या नहीं ?

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---मैं वापस नहीं लेता। सदन स्वीकार करे तो ठीक है वर्ना आपकी इच्छा।

श्री राजनारायण---मैं एक निवेदन कर दूं। मैंने यह पहले ही कह दिया था कि यह प्रश्न केवल मुझसे और माननीय मुख्य मंत्री जी से सम्बन्धित न माना जाय। यह सारे स्टेट के प्रशासन से सम्बन्धित है और असत्य को रखना, सत्य को छिपाना यह बड़ा भारी गुनाह माना गया है धर्म ग्रन्थों में। इसलिये थोड़ा समय बढ़ाने के लिये माननीय मंत्री जी मान जायं तो अच्छा है।

हरिजन कल्याण मंत्री के सभा सचिव (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)--- उपाध्यक्ष महोदय, आध घंटा अगर समय बढ़ा दिया जाय तो हम लोग तैयार होंगे। मैं समझता हूं कि इस बीच में सब बात खत्म हो जायगी और बजट पर भी वोटिंग हो जायगी।

श्री उपाध्यक्ष---तो इस पर किसी को एतराज नहीं है इसलिये अब सदन का समय ६ बजे तक हो गया।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---तो श्रीमन्, जहां तक इसका प्रश्न है मैंने प्रारम्भ में भी वह चीजें कही थीं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। जहां तक कि प्रयत्न इस बात का है कि इसमें क्या हुआ ? तो मैंने स्वयं शुरू में कहा था कि मैं इसके सम्बन्ध में अपनी राय कोई नहीं देना चाहता हूं, लेकिन मैं एक बात इस समय प्राइमा फेसी पर करना चाहता हूं। मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री ने यदि यह कहा कि यह इमारत इजाजत से बनी है तो जो बयान मेरे मित्र राजनारायण जी ने पढ़ा है उससे यह किसी प्रकार नहीं मालूम होता है कि वह बिला इजाजत के बनी।

मैंने स्वयं कहा कि मैं इसकी मेरिट्स पर नहीं जा रहा हूं लेकिन प्राइमा फेसी को सामने रखते हुये यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तारीख को राजनारायण जी ने बतलाया कि ६-१२-५६ को उसमें कुछ बनने लगा तो उन लोगों ने कहा कि नहीं बनेगी। फिर उसने १८-१२-५६ को अनुमति दी कि वह बने। तो फिर यह बिला अनुमति के कैसे बनी ? मैंने स्वयं यह कहा कि मैं इसकी मेरिट्स पर नहीं जा रहा हूं। मैं केवल प्राइमा फ़ेसी पर जा रहा हूं। मैं सदन के सामने इस चीज को रखना चाहता हूं कि मेरे सामने म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट मौजूद है। उसमें बहुत सारी प्रोसीडिंग चलती हैं। उसमें कोई इमारत इजाजत से बने या न बने, लेकिन वह सब कार्यवाही होती है। उसमें चाहे साल या दो साल का समय लग जाय, लेकिन प्रश्न केवल इतना है कि यदि माननीय मुख्य मंत्री ने यह कहा कि यह बिल्डिंग बिना इजाजत के नहीं बनी तो मेरा यह कहना है कि राजनारायण जी ने जो कागजात पढ़कर यहां पर सुनाये उनसे प्राइमा फेसी बात जाहिर होती है कि यह बिल्डिंग इजाजत से बनी क्योंकि आपके द्वारा ही यह मालूम हुआ कि १८ दिसम्बर, को म्युनिसिपल बोर्ड ने इजाजत दे दी। इसलिये किसी प्रकार से यह कहना कि बिला इजाजत से बनी, गलत है। प्राइमा फेसी को जिस तरह से उन्होंने

जाहिर किया वह बिलकुल गलत है और उस पर इस सदन को विचार नहीं करना चाहिये। मैं स्वयं एक बात को फिर दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन इसमें किसी प्रकार से अर्जेन्सी का भी प्रश्न नहीं है क्योंकि वह नकल जो मेरे मित्र बतलाते हैं और जिसको उन्होंने सदन के सामने रखा उसी के अन्त में मेरे मित्र यह कहते हैं कि १८-१२-५६ को इजाजत दी गई। माननीय मुख्य मंत्री ने कहा और उन्होंने कहा कि यह बिल्डिंग इजाजत से बनी तो मैं यह कहता हूं कि प्राइमा फेसी उनका स्टेटमेंट कैसे गलत है? इसलिये मेरा निवेदन है कि यह चीज गलत है और सदन को इसे कंसीडर नहीं करना चाहिये।

राजा यादवेंद्रदत्त दुबे--श्रीमन्, मैं दो बातें कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने अपनी बात कहते हुये यह कहा कि पता नहीं कौन से कागजात देखे गये और कहां देखे गये। मैं भी राजनारायण जी के साथ गया था। २ रुपये का स्टाम्प खरीदा गया था और बाक़ायदा स्टाम्प लगाकर जैन साहब के यहां मिलने गये।

(इस समय ५ बजकर ३० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

वहां जाकर राजनारायण जी ने वह दरख्वास्त दी। जैन साहब के आने में थोड़ी देर थी तो मैं और राजनारायण जी एडमिनिस्ट्रेटर के पास गये, चूड़ामणी जी के। उन्होंने उस पर आर्डर दिया कि यह फाइल इन लोगों को दिखा दी जाय। फिर हम लोग जैन साहब के कमरे में आये। वह फाइल मांगी गई। उस फाइल पर जो नोटस् थे उन नोटस् को राजनारायण जी ने नोट करके माननीय अध्यक्ष के पास भेजे। इसलिये यह कहना कि वह फाइल कौन थी और क्या कागज थे, मैं समझता हूं, उचित नहीं है क्योंकि वह फाइल म्युनिसिपल बोर्ड के दफ्तर में देखने के लिये हम को बाकायदा मिली।

दूसरी बात यह है कि मकान बनाने की दरख्वास्त ५६ में दी गई और बनाने के लिये म्युनिसिपैलिटी का फाइनल सेंक्शन १९५७ में होता है, ११ महीने का गैप पड़ा। जहां तक मैं समझ पाया, म्युनिसिपैलिटीज के रूल्स में यह है कि जब तक नकशा पास न हो जाय, मकान नहीं बनाना चाहिये और अगर बन गया है तो उसको अधिकार है कि वह उसे कम्पाउन्ड कर ले या उस पर कुछ और टैक्स आदि लगाये, लेकिन इस मामले में म्युनिसिपैलिटी ने वह भी नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--यह नियम ४७ में प्रश्न चल रहा है। नियम ४७ के अनुसार निर्णय होना है कि कम्प्लेट इन आर्डर है या नहीं, यही सवाल है। आप प्रश्न के मेरिट्स पर अभी नहीं जा सकते।

राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे--मंत्री जी ने कहा कि इन आर्डर है, मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं। मैं राजनारयण जी के साथ वहां गया था और वहां की फाइलों को देखने से यह पता चला कि मकान बनने के बाद यह इजाजत आयी। तो इस दृष्टि से मैं यह कह रहा हूं कि यह इन आर्डर है और इसको इन आर्डर मान कर हमको इस पर विचार करना चाहिये।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--अध्यक्ष महोदय, अभी दोनों तरफ की बातें मैंने सुनीं और माननीय राजनारायण जी न जो प्रश्न उपस्थित किया है उस सम्बन्ध में मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस प्रश्न को प्रक्रिया नियमावली के नियम ४८ के अन्तर्गत विशेषाधिकार समिति को निर्देशित किया जाना चाहिये और इस प्रश्न से संबंधित कागजात की जांच के लिये उनको कब्जे में करने लिये विशेषाधिकार समिति के सदस्यों को भेजा जाना चाहिये।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं विशेषाधिकार समिति में होते हुये इस विषय पर कोई अपना स्पष्ट विचार व्यक्त करूं। लेकिन जैसा कि आपने स्वतः कहा कि यह समय मेरिट्स में जाने का नहीं है इसलिये उसकी मैरिट्स पर मैं नहीं जा रहा हूं। मैं केवल इस विषय की गंभीरता की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मैं यह जानता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री, जो कि नेता सदन भी हैं, उनकी किसी भी बात या विचार के सम्बन्ध में विशेषाधिकार का प्रश्न बहुत सोच समझकर लाया जाना चाहिये और मैं समझता हूं कि माननीय राजनारायण जी ने सारी बातों और तथ्यों को जानने के बाद ही यह चेष्टा की होगी और श्रीमन्, जब आप अनुपस्थित थे, अभी जब कि माननीय उपाध्यक्ष यहां पर विराजमान थे, तो उन्होंने आधे घंटे तक दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद ही नियम ४४ के अनुसार अपनी अनुमति दी।

तो इस समय प्रश्न दो हैं। पहले तो यह कि मैं यह नहीं मानता कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जानबूझ कर, या उनका ऐसा इरादा होगा कि वह इस सदन को गलत खबर दें, ऐसा किया होगा। जैसा कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने अपनी रूलिंग में भी कहा कि इसमें ऐसा भी हो सकता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी को अफसरों के द्वारा गलत खबर दी गयी ताकि इस सदन के सामने गलत फैक्ट्स आयें। इसलिये इस सम्बन्ध में गलत सूचना उन्होंने दी मुख्य मंत्री जी को और माननीय उपाध्यक्ष ने अपनी रूलिंग में कहा कि इसमें विशेषाधिकार की अवहेलना उन अफसरों की तरफ से हो सकती है जिन्होंने गलत सूचना दी इस सदन को और एक सच्चाई को दबा कर गलत डाक्यूमेन्ट्स के आधार पर मुख्य मंत्री जी के द्वारा इस सदन को गलतफहमी में रखा। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने अपनी रूलिंग देते हुये अपना जो विचार व्यक्त किया उससे मैं सहमत हूं। इसलिये यह निवेदन करता हूं कि नियमावली के नियम ४८ के अनुसार विशेषाधिकार समिति के पास इस अधिकार के साथ इसको उल्लिखित करें कि विशेषाधिकार समिति यह देखे कि आया इस प्रकार की कोई गलत सूचना माननीय मुख्य मंत्री जी को अफसरों द्वारा दी गयी है या नहीं।

अगर दी गई है तो उन अफसरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही होनी चाहिये, उन्होंने ब्रीच आफ प्रिविलेज किया है या नहीं, यह देखना है। यदि मुख्य मंत्री जी को ठीक सूचना दी गई है तो क्या बात है कि उन्होंने हाउस को कैटेगोरीकली और राजनारायण जी को यह सूचना दी? मेरे ऊपर और सब सदस्यों के ऊपर भी इसका यही असर पड़ा कि अफसरों पर गलत आरोप लगाया गया। उन्होंने कहा कि छोटे-मोटे अहलकारों ने मेम्बरों को ऐसी खबर दी होगी। लेकिन अगर मुख्य मंत्री जी की ही गलती से सदन को यह खबर दी गई तो विचारणीय विषय है जिसमें सदन को जाना चाहिये और सदन की यह कनटैम्प्ट भी होती है। प्राइमास फेसी, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में स्पष्टतया लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा कार्य जो डाइरेक्टली या इनडायरेक्टली सदन का अपमान करता हो वह हाउस का कन्टैम्प्ट है। इसलिये ऐसी चेष्टा अगर किसी कर्मचारी द्वारा की गई है तो यह सदन का अपमान है। मुख्य मंत्री जी के ऊपर उसका उत्तरदायित्व है या नहीं, इस पर मैं इस समय विचार प्रकट करने में असमर्थ हूं, लेकिन जिन अफसरों ने उनक द्वारा सदन को गलत खबर दी है उनका उत्तरदायित्व जरूर है और इसलिये इस अंश को तो अवश्य विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाना चाहिये।

श्री सैयद अली जहीर—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इसमें एतराज यह है कि मुख्य मंत्री जी ने एक तकरीर सदन में की। कहा जाता है कि उन्होंने कुछ ऐसी बात कही जो सही नहीं थी। मैं निहायत अदब से कहूंगा कि यह ऐसी चीज है जिससे ब्रीच आफ प्रिविलेज होने के लिये बहुत ज्यादा सबूत की जरूरत है कि वाकई यह चीज डैलीबरेटली धोखा देने के लिये कही गई और हाउस का अपमान किया गया कि उसके सामने ऐसा बयान किया गया। जहां तक मुख्य मंत्री जी का ताल्लुक है, माननीय सदस्य ने कहा कि उनको अफसरों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ने गलत खबर दी हो, तो इमकानात के ऊपर, ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं हो सकता है और न इसकी गुंजाइश है। जैसा अभी काग़ज़ पढ़ा गया, उससे भी यही टपकता है कि परमिशन दिसम्बर सन् ५७ में मिली। मुख्य मंत्री जी का बयान इतना ही था कि बगैर परमिशन के मकान नहीं बने। म्युनिसिपैलिटीज़ ऐक्ट में प्राविजन है कि अगर म्युनिसिपल बोर्ड किसी को ६ महीने तक परमिशन न दे और उसको मना न करे तो उसे बनाने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष--यह तो आप मेरिट में जा रहे हैं।

श्री सैयद अली जहीर--माननीय सदस्य यह भी जाहिर नहीं कर सके कि अगर गलत स्टेटमेंन्ट आफ फैक्ट है तो कैसे ब्रीच आफ प्रिविलेज हो गया। तो मैं यह अर्ज़ करूंगा कि यह माननीय मुख्य मंत्री के या किसी अफसर के खिलाफ ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं हो सकता। इसका जो तरीका है उसके ऊपर हमारे उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि इसे हम अर्जेन्ट मानेंगे, यह अर्जेन्ट नेसेसिटी है। मैं यह अर्ज़ करूंगा कि इसमें कोई अर्जेन्सी नहीं है।

श्री अध्यक्ष--अर्जेन्सी का सवाल अब नहीं हो सकता है।

श्री सैयद अली जहीर--बहरहाल, इसका आर्डर में होना या न होना तो देखना है। मैं अर्ज़ करूंगा कि यह आर्डर में नहीं है। लेकिन आप अगर इसे आर्डर में मानते हैं तो रूल ५८ में लिखा है कि:--

"In case no prior notice has been given, the House may adjourn the consideration of the matter till notice is given to the member concerned or it may decline to entertain the complaint."

श्री अध्यक्ष--यह दूसरी बात है कि यह प्रश्न तो तब पैदा होता है जबकि हाउस विषय पर विचार करना शुरू कर दे। अभी तो यह क्वेश्चन है कि 'Is it in order or not?' या विषय वैध और विचारणीय है या नहीं।

श्री सैयद अली जहीर--इसके बारे में तो मैंने और हमारे उपमंत्री साहब ने पेश कर ही दिया। यह तो मैंने इसलिये कहा कि अगर आपकी यह राय हो कि यह इन-आर्डर है तो भी आपको यह देखना होगा कि हाउस इसके लिये तैयार है या नहीं।

श्री अध्यक्ष--मैं बाद में आया इसलिये मैं कुछ जानकारी हासिल कर लेना चाहता हूं। नियम में यह है किब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रस्ताव तब मूव हो सकता है --

"1. by a complaint from a member;
2. by a report from the Secretary;
3. by a petition; or
4. by a report from a committee.

Provided that if the breach is committed in actual view of the House, the House may take action without any complaint."

तो क्या उपाध्यक्ष जी ने जो इजाजत दी है वह किसी सदस्य की कम्प्लेन्ट के ऊपर दी है ? तो अगर वह सदस्य की कम्प्लेन्ट के ऊपर है तो उसके बारे में नियम ४५ यह है :--

"45. NOTICE OF A COMPLAINT OF A MEMBER—

A member wishing to make a complaint of a breach of privilege shall give notice in writing to the Secretary before the commencement of the sitting on the day on which it is proposed to be made. If the complaint is founded upon a document the original or a copy there of shall accompany the notice."

क्या ये कार्यवाहियां विधिवत् हुई या नहीं ?

श्री सैयदअली जहीर--जो नहीं, ये फार्मैलिटीज नहीं हुई ?

श्री राजनारायण--श्रीमन्, म्युनिसिपल बोर्ड में जाकर हमने फाइल का इंसपेक्शन किया, हमने उसमें से नोट लिये और वह नोट हमने आपको दे दिये ।

श्री अध्यक्ष--सेक्रेटरी के पास आपने नोटिस दिया ?

श्री राजनारायण--श्रीमन्, जब हमने यह विचारा कि तत्सम्बन्धित फाइल में कुछ गोलमाल हो सकता है तो हम वहां से जल्दी जल्दी आये और हमने उपाध्यक्ष जी से निवेदन किया कि हम एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आप जो कुछ चाहते हैं, लिख कर दें। उसकी एक कापी हम को दे दें और दूसरी कापी माननीय मुख्य मंत्री जी को दे दें। इसलिये हमने एक कापी माननीय मुख्य मंत्री जी को और एक कापी आप को भेज दी और उसके साथ जो नोट करके लाये थे उसको भी लगा दिया और उनको बता दिया। बताने के बाद इसकी अर्जेंसी के बारे में हमने उनसे निवेदन किया क्योंकि हमने बताया कि यदि विलम्ब होता है तो फाइल हट सकती है, संशोधित हो सकती है या उसमें कोई गोलमाल हो सकता है। हमारे उस निवेदन के ऊपर उन्होंने, श्रीमन्, इसको लिया।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, चूंकि आधा घंटे पहले इस पर काफी वाद विवाद हो चुका है और माननीय उपाध्यक्ष इसके बारे में ३-४ रूलिंग्ज़ भी दे चुके हैं और माननीय उपाध्यक्ष जी ने जो रूलिंग दी है .....

श्री अध्यक्ष--मैं जल्दी करने वाला नहीं हूं। मैं जानना चाहता हूं क्या बात है। इस बात में आप घबरायें नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि किस स्टेज पर यह इजाजत दी गयी है क्योंकि नियम में यह भी लिखा हुआ है कि--

"Provided that the Speaker may, if he is satisfied about the urgency of the matter, allow a question of privilege to be raised at any other time."

यानी अध्यक्ष अत्यावश्यक समझे तो किसी समय भी प्रश्न उठाया जा सकता है। प्रोसीजर की बात मैं इसलिये पूछ रहा हूं कि मुझे मालूम हो जाय कि क्या हो चुका है। इस तरह की बात नहीं हुई कि नोटिस लिखित दिया जा कर जिन डाक्यूमेन्ट्स के आधार पर वह दिया गया वे भी पेश कर दिये गये हैं।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैंने उनसे जाकर निवेदन किया कि मुझे इसकी सर्टिफाइड कापी दे दें। मेरे साथ राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे जी भी गये थे। लेकिन उन्होंने कहा कि सर्टिफाइड कापी देने की मेरे यहां कोई नियमावली नहीं है फाइल आपके सामने है, अगर आप चाहें तो इसमें से नोट कर लें। उसमें से मैंने नोट कर लिया। मैंने कापी के लिये २ रुपये जमा किया और ४ आने का टिकट भी लगाया।

श्री अध्यक्ष--दो डाक्यूमेन्ट्स की इसमें जरूरत है। नियम इस प्रकार है :

"47.....If the complaint is founded upon a document, it shall be read by the member complaining or, if so directed by the Speaker, by the Secretary....."

एक तो जो म्युनिसिपैलिटी का डाक्यूमेन्ट है उसकी नकल की जरूरत है और दूसरे जो यहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्टेटमेन्ट दिया, उसमें सदन की कार्यवाही की भी जरूरत है। क्या स्टेटमेन्ट उन्होंने दिया, यह प्रश्न आयेगा। वह आधार है जिस स्टेटमेन्ट के भरोसे यह प्रश्न उपस्थित हुआ। तो यहस्टेटमेन्ट प्रोसीडिंग में मौजूद है। उस प्रोसीडिंग को भी देखना पड़ेगा। इन दो डाक्यूमेन्ट्स की जरूरत है जिनके बेसिस पर यह विशेषाधिकार का प्रश्न उठ सकता है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं चूंकि इस वक्त कि नियम ४४ के अनुसार

अनुमति दी जा चुकी है। उसका प्रश्न फिर से खोला नहीं जा सकता है सिर्फ सवाल यह स्पष्ट है कि वह फारमेलिटीज पूरी नहीं हुई जिनके आधार पर वैधानिकता निश्चित हो सके। अर्जेन्सी का सवाल विशेषाधिकार का प्रश्न कहीं देर में तो नहीं उठाया गया और उसे उठाने में टाइम बार तो नहीं होता है, इस सम्बन्ध में विचार करते समय उठता है। अर्जेंसी का मतलब यह तो होता नहीं है कि आपने कहा कि कागजात आपको नहीं दिये जा रहे हैं इसलिये पुलिस भेज कर म्युनिसिपैलिटी के कागजात को जब्त करवा लिया जाय। आप पुलिस का काम स्वयं सदन द्वारा लेना चाहते हैं कि यहां फौरन आपने सवाल उठाया और स्पीकर ने पुलिस को भेज कर कागजात को जब्त करवा लिया। अर्जेंसी के माने यह नहीं होते। अर्जेंसी तो यह इस प्वाइन्ट आफ व्यू से होती है कि आपने प्रश्न को अर्जेंट कह कर उठाया और उस सवाल को उठाने की इजाजत अर्जेन्ट समझकर आपको डिप्टी स्पीकर साहब ने दे दी। प्रश्न उठाया गया लेकिन वैधानिकता का फैसला करने के पहले जिन चीजों की आवश्यकता है उन चीजों को हासिल करना उचित है। वे दो डाक्यूमेन्ट्स मेरे सामने होने चाहिये जिनकी बेसिस पर मैं कह सकूं कि यह प्रश्न उठाना इन आर्डर है या नहीं। वे डाक्यूमेन्ट्स सदन के सामने आने चाहिये। पहले तो सदन की कार्यवाही करेक्टेड होनी चाहिये। मेरे सामने ही बयान माननीय मुख्य मंत्री जी का दिया हुआ है, मुझे स्वयं बहुत कुछ याद है, लेकिन उस कार्यवाही के भी लिखित शब्द देख लूं और जैसा कि कार्यवाही का कायदा है कि जिसका भाषण होता है उसके पास वह भेजा जाता है जिसमें कुछ साधारण संशोधन करना हो तो वे कर लें यानी उचित शाब्दिक सुधार कर दें। शाब्दिक सुधार ही किया जा सकता है, मौलिक परिवर्तन नहीं किया जा सकता है तो वह भी कार्य हो जाय तब मैं इसके ऊपर फैसला दूंगा। इसलिये भी आज इसके ऊपर फैसला देना सम्भव नहीं है। ऐसे यह डाक्यूमेन्ट जिसकी कापी श्री राजनारायण जी ने दी है, इस डाक्यूमेन्ट की कापी शायद मिल सके, तो हासिल की जाय, नहीं तो यही कापी मौजूद है जिसकी बेसिस पर मैं देखूंगा कि कहां तक उसे काफी समझा जा सकता है। उसको भी बेसिस मान कर सब बातों को देखने के बाद मैं समझ सकता हूं कि यह विषय इन आर्डर है या नहीं। बिना प्रोसीडिंग्स को अच्छी तरह से देखे हुये इस पर विचार करना और फैसला कर देना कब्ल अज वक्त होगा। राज नारायण जी के पास म्युनिसिपैलिटी की जो कापी मौजूद है, उसका भी अध्ययन करने के बाद ही मैं फैसला दूंगा।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, हो सकता है कि कल मुझे रायबरेली का प्रोग्राम है, वहां जाना पड़े। ऐसे में कोशिश करूंगा कि.....

श्री अध्यक्ष—मुझे तो केवल फैसला देना है।

श्री राजनारायण—शायद मुझे भी कुछ निवेदन करना हो।

श्री अध्यक्ष—अगर निवेदन करना है तो अभी आप कर लें, अभी ४,५ मिनट बाकी हैं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मुझे यह निवेदन करना है कि २१ तारीख को जब मैंने भाषण दिया था तो यह भी पढ़ा था और वह चीज प्रोसीडिंग में मौजूद है।

श्री अध्यक्ष—वह भी मेरे पास भेज दें।

श्री राजनारायण—माननीय मंत्री जी इस बात का जवाब दें कि क्या इन लोगों ने म्युनिसिपल बोर्ड से नकशा पास कराने के बाद मकान बनवाये थे। उसका जवाब दिया गया था कि हां नकशा पास कराया गया था।

श्री अध्यक्ष—वह सब तो मैंने भी सुना है, मैं उस वक्त यहां मौजूद था और जो कुछ उन्होंने कहा वह शब्द भी यहां कार्यवाही में मौजूद हैं। अब यह देखना होगा कि उन के अर्थ क्या होते हैं क्योंकि विशेषाधिकार का प्रश्न उसी दशा में उठता है जब जानबूझ कर कोई सदस्य

[श्री अध्यक्ष]

असत्य बात कहे, जब तक जानबूझकर कहने की बात न हो तब तक वह नहीं उठ सकता, यह सब चीजें उनकी भाषा पर निर्भर है, किन शब्दों में कहा गया। इसलिये ऐसे विषय पर मैं आज फैसला नहीं दूंगा, कार्यवाही को मैं देख लूंगा और कल सबेरे सदन की सब कार्यवाही देखकर तब फैसला दूंगा लेकिन अगर कुछ सुझाव कोई सदस्य मुझे इस समय देना चाहें तो दो चार मिनट में दे सकते हैं।

श्री सैयद अली जहीर---अभी तो श्रीमन्, आज का बजट ही खत्म नहीं हुआ, बीच में ही यह प्रश्न आ गया था।

श्री अध्यक्ष---क्या अभी वोटिंग आन डिमान्ड्स नहीं हुआ ?

श्री सैयद अली जहीर---जी नहीं।

श्री राजनारायण---मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या आप के पास कोई ऐसी विशेष शक्ति है जिसके द्वारा आप म्युनिसिपल बोर्ड से सर्टिफाइड कापी मंगा सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष---अगर आप इस समय प्रिविलेज मोशन के बाहर की कोई चीज पूछें तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। वह शक्ति हो भी तो उसका चौराहे पर एलान नहीं किया जाता।

श्री राजनारायण---ठीक है, मैं समझ गया।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---अध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना था कि जो व्यवस्था आप की हुई वह तो ठीक है और शिरोधार्य है लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहता था कि उनका जो मोशन है वह यदि किसी डाक्यूमेंट पर आधारित है तो वह डाकूमेंट सदन के सामने आना चाहिये लेकिन यदि वह उसको प्रोक्योर नहीं कर पाये तो उसके सम्बन्ध में भी नियमावली में है कि उसे किस प्रकार प्रोक्योर किया जाय। लेकिन जब कि वह सदन के सामने नहीं ला सके हैं तो मैं बहुत ही अदब से इतना निवेदन करूंगा कि न तो यह सदन का कार्य है कि वह उस डाक्यूमेन्ट को मंगाये और सदन से और आप से क्षमा मांगता हुआ मैं यह भी कहूंगा कि अध्यक्ष महोदय भी उस को मंगवायें यह भी उनका कर्त्तव्य नहीं है। मैं आप की आज्ञा से केवल एक चीज कहना चाहता था कि नियम के अन्तर्गत आप उस की कापी ले सकते थे, लगा सकते थे और यदि वह बात सम्भव नहीं थी तो यह भी हो सकता था कि वह श्रीमन् से निवेदन करते कि कापी नहीं मिली है और श्रीमन् को अधिकार था.....

श्री अध्यक्ष---लेकिन वह अधिकार तो हमेशा कायम रहता है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जी वह सही है लेकिन इन परिस्थितियों में मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता था कि जब न तो ओरिजिनल डाक्यूमेन्ट है और न उसकी कापी है और मैं यह जानता हूं कि श्रीमान इस पर व्यवस्था दे चुके हैं कि वह विचार अब न होकर आगे होगा तो मैं केवल इतना चाहता था कि मेरे मित्र ही इस सम्बन्ध में कोई चीज आप के सामने लायें तो उस पर विचार हो।

श्री राजनारायण---हमने जो इंस्पेक्शन नोट लिया है उसी पर यह आधारित है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---अध्यक्ष महोदय, मुझे यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ जब कि आचार्य लक्ष्मीरमण जी ने कहा कि न तो सदन को डाक्यूमेन्ट मंगाने की शक्ति है और न अध्यक्ष महोदय को है.....

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---यह मैंने नहीं कहा, कृपा कर के गलत कोट न कीजिये।

श्री अध्यक्ष---उन्होंने कहा कि यह सदन का या अध्यक्ष का कार्य या कर्त्तव्य नहीं है। तो कल अब इस पर कार्यवाही होगी।

१९५८-५९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान

अनुदान संख्या ४२--- लेखा शीर्षक ; ६३---असाधारण व्यय तथा अनुदान संख्या ५१---लेखा शीर्षक; ८५-क---राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर पूंजी की लागत (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष---अब कार्यक्रम आज का जहां से खंडित हुआ है वहां से लिया जायगा। अब चूंकि छः बजने वाले हैं .....

श्री मदन पांडेय---कुछ समय बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं। अब मैं राय ले लूंगा। इसको पास करने के लिये अगर पांच, सात, दस मिनट बढ़ाने की जरूरत हो तो मैं प्रस्ताव ले सकता हूं।

श्री मदन पांडेय---मैं प्रस्ताव करता हूं कि आध घंटे का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---मैं प्रस्ताव करता हूं कि जबतक अनुदान पास न हो जायं तब तक के लिये समय बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४२---लेखा शीर्षक ६३---असाधारण व्यय के अन्तर्गत एक रुपये की कटौती की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४२---लेखा शीर्षक ६३-असाधारण व्यय के अन्तर्गत ३५,९५,६०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५१---लेखा शीर्षक ८५-क---राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत एक रुपये की कटौती की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५१---लेखा शीर्षक ८५---क---राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत ११,४२,१९,९०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर ५८ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
२८ फरवरी, १९५८।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४३ व ४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६४ पर।)

परगना	धान की खेती का क्षेत्रफल एकड़ में		धान की खेती की सिंचाई का क्षेत्रफल एकड़ में	
	१९५५-५६	१९५६-५७	१९५५-५६	१९५६-५७
१	२	३	४	५
सौरिख	३,६४३	३,६४३	१,२५९	१,२५९
सकरावां ..	२,८३०	२,८३०	९४०	९४०
सकतपुर	५,८५७	५,८५७	३,२१३	३,२१३
तिव	१६,८०२	१६,८९१	१,४९५	३,१८४

अनुपूरक प्रश्नों का मुद्रण

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७५ पर)।

वर्ष १९५५–५६ के अन्तिम आडिट रिपोर्ट

१—नाम संस्था .. सिंचाई खंड बस्ती (पश्चिम) गोंडा (पूर्व) सहकारी विकास समिति लि० बभनान ।

२—संस्था की पंजीकरण की संस्था तथा दिनांक .. संख्या २६ सी० सी० । १९५२–५३ दिनांक २–६–५२ ।

३—आडिट का वर्ष .. १९५५–५६ ।

४—अवैतनिक मंत्री का नाम श्री सी० बी० सिंह, जिला गन्ना अधिकारी, बस्ती ।

५—अतिरिक्त अवैतनिक मंत्री .. श्री सुखवीरसिंह, सहायक गन्ना विकास निरीक्षक बभनान ।

६—लेखपाल का नाम .. श्री भूप नरायन चंद ।

७—आडिटर का नाम .. श्री सी० यल० दीक्षित ।

सामान्य

क्षेत्र तथा सदस्यता—बस्ती (पश्चिम) गोंडा (पूर्व) सहकारी विकास समिति बभनान की सिंचाई योजना ने सन् १९५५–५६ में अपना तृतीय वर्ष समाप्त किया। इसका कार्य क्षेत्र १५० गांवों में विस्तृत है जिसके अन्तर्गत २५,२०० एकड़ का क्षेत्र आता है। वर्ष में लगभग ४,००० कृषकों को सिंचाई क्षेत्र में पानी पहुंचाया गया। उन ४,००० कृषकों में से कुछ समिति के स्थायी सदस्य नहीं हैं। उनको शीघ्रता से सदस्यों की सूची पर विधिवत् लाना चाहिये ताकि वे सहकारिता विनियमन के अन्तर्गत लिये जा सकें।

२—आर्थिक स्थिति १९५५–५६ सहकारी वर्ष के अन्त की निम्न स्थिति थी :

पावने				देय			
१	२			३	४		
	रु०	आ०	पा०		रु०	आ०	पा०
१ चालू खाता	१,२७,१३९	५	९	जमानत ..	६,१६७	११	९
२— ..	१३,९४,७८१	७	०	राजकीय ऋण	१५,११,५५८	४	०
				राजकीय व्याज	१६,७३३	१०	०
३—सिंचाई पावना	३४,९९१	४	३	प्रबंध व्यय ..	४,२६८	१४	०
४—स्टाक मौजूदा	१,१९,७५६	६	०	अन्य देय ..	१,९८,२६२	४	९
५—अन्य पावने ..	२६,०५१	३	९				
योग ..	१७,०२,७१९	१०	९	योग ..	१७,३६,९९०	१२	६
				हानि ..	३४,२७१	१	९
					१७,०२,७१९	१०	९

कुछ अंक जो ऊपर के विवरण-पत्र में दिखाये गये हैं वे अशुद्ध तथा गढ़े हुये हैं जिनका वर्णन किया जाता है।

लगाई हुई पूंजी—(investment) मशीनों, पुर्जों, इमारतों तथा नालियों के बनाने में तार तथा खम्भे लगाने में जो व्यय हुआ उसका विस्तृत लेखा नहीं दिया गया है जिससे कि निम्नलिखित की पुष्टि की जा सके ।

(१) नलकूप (२) शक्ति गृह (power house) (३) विद्युत् तार की लाइन (४) विद्युत् योजना । लगाई हुई पूंजी की लेखा बही के बिना सारी स्थिति अंधकार पूर्ण है तथा यह नहीं कहा जा सकता कि उपरोक्त रकमें कहां तक सही हैं ।

(२) कुछ पेशगी जो ठेकेदारों तथा फर्मों को दी गई वह गलत तरीके पर लगाई गई रकम (investment) की तरह दिखायी गई है । इस प्रकार की गलत लगाई हुई रकमें सामयिक जांच के समय देखी जायेंगी ।

(३) कच्ची नालियों की मरम्मत पर खर्च किया हुआ रुपया लगाई हुई रकम (investment) के रूप में दिखाया गया है । जब कि बहुत ही थोड़ी प्रतिशत मूल्य ह्रास (depriciation) कच्ची नालियों पर दिया जाता है तो यह विस्मयकारक है कि उनकी मरम्मत पर किया गया व्यय लगाई हुई रकम (investment) दिखाया गया है । प्रत्यक्ष में, नालियों की मरम्मत पर किया गया खर्च नालियों का मूल्य नहीं बढ़ा देता ।

(४) दिये गये स्टाक को विभिन्न स्तम्भों में लगाई हुई रकम (investment) के रूप में बिना प्रयोग प्रमाण-पत्रों (utilisation certificate) को साधिकार प्रविधिक व्यक्तियों से लिये हुये दिखाया गया है । बिना ऐसे प्रयोग प्रमाण-पत्रों के ये विनियुक्त रकमें (investment) यथार्थ नहीं कही जा सकती ।

(५) विनियुक्त रकम में ६९,७०० रुपया घटाया नहीं गया है जो कि मशीनरी तथा इमारतों का मूल्य ह्रास (depriciation) है । यहां पर यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि कुछ इमारतें तथा मशीनें खराब होने के अतिरिक्त बिगड़ गई हैं । इस प्रकार की भूलें विनियुक्त रकम के मूल्यांकन को अधिक कर देती हैं ।

मौजूदा स्टाक—वर्ष के अंत में दिखाया गया स्टाक का मूल्य ठीक नहीं है तथा हिसाब के खातों के अनुसार नहीं है । इस विषय में निम्न बातें देखने योग्य हैं—

(१) **सामान तथा औजार**—सामान तथा औजारों की खरीद सम्बन्धित रजिस्टरों में नहीं दिखाई गई है । अतः उनका मूल्य मौजूदा स्टाक के मूल्य में सम्मिलित नहीं किया गया है ।

(२) ३० जून १९५६ के बकाया नाशवान सामान जो शक्ति गृह तथा नलकूपों के पास था तथा जिसको खतम समझ लिया गया उसका मूल्य मौजूदा स्टाक के मूल्य में नहीं लिया गया ।

एकदेयधन की भारी मूल्य—योजना को राज्य सरकार के १५,११,५५८ रु० ४ आना का भुगतान करना है तथा उस पर ६१,२०६ रु० ५ आना इस साल ब्याज का होता है । यह रकम जो हानि लाभ के हिसाब पर गंभीर प्रभाव डालती है पूर्णतया छोड़ दी गई है ।

(ख) योजना को इस वर्ष निम्नलिखित आय हुई तथा जो व्यय हुआ वह भी नीचे दिया जाता है—

(आय सिंचाई से)	रु०	आ०	पा०
१— सिंचाई कर ..	२२,२४१	७	६
२—अस्थाई विनियुक्त रकम पर ब्याज ।	९१९	९	३
योग ..	२३,१६१		९

व्यय (मूल्य ह्रास सहित) जो उपरोक्त आय प्राप्त करने में हुआ।

	रु०	आ०	पा०	
१—प्रबंध व्यय ..	४७,१९७	६	०	
२—ऋण पर ब्याज ..	६१,२०६	५	०	(जो चिट्ठे में नहीं दिखाया गया)
३—मूल्य ह्रास (बड़ी मशीनों नल-कूपों, लाइनों पर)	६९,७००	०	०	(जो चिट्ठे में नहीं दिखाया गया)
४—तेल आदि पर खर्च ..	१७,१९७	८	९	
योग ..	१,९५,३०१	३	९	

चक्की द्वारा आय

खाली समय में चक्की द्वारा आय ६०० रु०

व्यय जो उपरोक्त आय प्राप्त करने में हुआ—

	रु०	आ०	पा०	
प्रबंध व्यय ..	१,२६०	०	०	(वेतन २ ड्राइवर तथा २ तेल देने वाले)
तेल व्यय ..	३५०	०	०	
योग	१,६१०	०	०	

आय का ब्योरा

सिंचाई से ..	२३,१६१	०	९	
चक्की द्वारा आय ..	६००	०	०	
योग ..	२३,७६१	०	९	(वर्ष की आय)

व्यय का ब्योरा

सिंचाई पर ..	१,९५,३०१	३	९	
चक्की पर ..	१,६१०	०	०	
योग	१,९६,९११	३	९	(वर्ष का व्याज)

असली हानि १,९६,९११ रु० ३ आ० ९ पा० २३,७६१ ० ९

= १,७३,१५० ३ ०

उपरोक्त रकमों से यह स्पष्ट है कि योजना को दर असल में १,७३,१५० रु० ३ आना की हानि १९५५-५६ में हुई। यदि चिट्ठा ठीक बनाया गया हो तो उपरोक्त हानि ज्ञात हो जाती है। यह रकम जो खातों से आंकी गयी है हानि की महत्ता प्रकट करती है। यदि वह धन जो कच्ची नालियों की मरम्मत पर खर्च किया गया है, जो नालियों की कीमत नहीं बढ़ाता, विनियुक्त धन के अतिरिक्त व्यय माना जाता तो असली हानि २ लाख तक होती। गत तीन वर्षों से जो हानि हो रही है उससे अधिकारियों का ध्यान आकर्षित होना चाहिये कि इस यूनियन की योजना का क्या भाग्य होगा।

१५,११,५५८ रु० ४ आना का कुल धन जो सरकार से उधार लिया गया वह व्यय हो जाने से समिति की व्यक्तिगत पूंजी का १,४३,९७४ रु० १४ आना ६ पाई धन इस योजना में ३० जून, १९५६ ई० तक फंस गया। बाहर से अधिक धन ऋण पर न मिलने की आशा से, यह योजना समिति की अपनी पूंजी पर चलाई जा रही है जिससे समिति की स्थिति भी डांवाडोल हो रही है। यदि समिति को योजना से शीघ्र पृथक नहीं किया जाता तो वह समय निकट है कि जब कि समिति दिवालिया हो जाये। इसलिये अधिकारियों को समस्या का हल शीघ्र निकालना चाहिये अथवा यह समिति के लिये घातक सिद्ध होगा।

दूसरी समस्या राजकीय ऋण १५,११,५५८ रु० ४ आना के अदा करने की है जिस पर प्रतिवर्ष ६०,००० रुपया व्याज चढ़ता है। योजना लाखों के घाटे में होने के कारण अदायगी की समस्या बड़ी कठिन है।

३—कार्य तथा लक्ष्य

इस योजना का मुख्य लक्ष्य क्षेत्रीय कृषकों को कम दर पर सिंचाई की सुविधायें प्रदान करना है। पानी ३२ नलकूपों से जिनमें ८ तेल के थे दिया गया। कार्य के दिन तथा सींचा गया क्षेत्र नीचे दिया जाता है:

कार्यकाल

रबी फसल	..	.. ४२ दिन
गन्ना फसल	..	.. ७० दिन
कुल		.. ११२ दिन ८ घंटे प्रतिदिन।

क्षेत्र जो सींचा गया

रबी	..	.. ५८७.२० एकड़ दर ६ आना प्रति एकड़ ३,५२३ रु० ४ आ० ६ पा०
गन्ना	..	.. १८३२.०३ एकड़ दर १० आना प्रति एकड़ १८,३२० रु० ५ आ० ३ पा०

४— सिंचाई तथा चक्की की बकाया रकम की वसूली

सिंचाई तथा चक्की की बकाया वसूली के लिये कोई सीधा प्रबंध नहीं किया गया है किन्तु उनकी वसूली गन्ने की कीमत से पेराई काल में की जाती है। सन् १९५४-५५ तथा ५५-५६ में चक्कियों के मालिकों पर १२८९ रु० १२ आ० ३ पा० बाकी था। जिसमें से कुल २६ रु० वसूल हुआ था। अभी तक बकाया वसूली के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई। चक्की मालिकों को इतनी छूट क्यों और कैसे दी गई यह समझने की बात है।

५—प्रबंध

संस्था का प्रबंध एक बोर्ड द्वारा होता है जिसमें १५ कृषकों के निर्वाचित प्रतिनिधि, २ मनोनीत सदस्य, २ प्राइमरी समितियों के प्रतिनिधि तथा १० पदेन सदस्य हैं।

श्री केशव देव मालवीय उसके सभापति हैं तथा जिला गन्ना अधिकारी बस्ती अवैतनिक मंत्री तथा ए० सी०डी० ओ० (एम०) अवैतनिक अतिरिक्त मंत्री हैं। संस्था के अवैतनिक मंत्री को बस्ती बैंक के हिसाब-किताब के संचालन का अधिकार है। बार-बार मांगने की अपेक्षा भी वह प्रस्ताव जिसके द्वारा इस संस्था के संचालक मंडल ने मंत्रियों को व्यय करने तथा उसकी सीमा निर्धारित की गई हो मुझे नहीं दिखाया गया। यह कहा जाता है कि १०० रु० से ऊपर के व्यय का आदेश अवैतनिक मंत्री देंगे मगर अतिरिक्त मंत्री १०० रु० से ऊपर का धन व्यय करने का आदेश देते हैं। केवल कुछ मामलों में अवैतनिक मंत्री की स्वीकृति लेन-देन को नियमित करने के लिये ली गई है। इस प्रकार की रुपये पैसे के सम्बन्ध में ऐसी त्रुटि एक गंभीर गड़बड़ी है।

इस संस्था के संचालक मंडल ने कई उप समितियां स्थापित की हैं जिनके अधिकार तथा कामों का वर्गीकरण नहीं किया गया है। परन्तु फिर भी इन उप-समितियों की स्वीकृति से योजना का संचालन, भुगतान तथा वेतन वृद्धि और भत्ते दिये जाते हैं।

यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि सभापति तथा दो अवैतनिक मंत्री व्यस्त व्यक्ति हैं तथा कठिनाई से अपने भारी दैनिक कार्य से समय बचाकर इसकी देख-रेख करें जिसमें लगभग २० लाख रुपया लगा हुआ है।

आय-व्ययक (Budget)

१९५४-५५ तथा ५५-५६ में व्यय बिना बजट की स्वीकृति लिये ही किये गये हैं।

७—कर्मचारी मंडल

कर्मचारी मंडल की संख्या तथा वेतन क्रम अधिकांश में अभी निश्चित नहीं किया गया है। लेखा लेखन की वर्तमान प्रणाली दोषपूर्ण है। कोई भी इन लेखा बहियों से विभिन्न शीर्षकों में विनियुक्त धन (investment) का स्पष्ट पता नहीं चलता। लेखा निरीक्षकों द्वारा दिये गये सुझावों की अपेक्षा की गई है। पेशगी, स्टाक, ईंटों की खरीद प्रयोग तथा बचत की पूर्ण स्थिति अंधकार में रहती है। यद्यपि संस्था के अधिकारियों का ध्यान इस प्रकार की त्रुटियों की ओर अनेकों बार आकर्षित किया गया जो कि जालसाजी, द्वारा भुगतान, धन तथा स्टाफ का अनुचित उपयोग के लिये अवसर देता है परन्तु इन सब सुझावों की अपेक्षा की गई। नलकूपों के अनुसार विनियुक्त धन (investment) का लेखा तथा वर्तमान कार्य का वर्णन किया गया है। उन व्यक्तियों का जिनको पानी दिया गया है कोई विधिवत् हिसाब नहीं रक्खा गया है। तेलों तथा स्निग्धक (lubricouts) का, जो दिये तथा खर्च हुये, भली प्रकार हिसाब नहीं रक्खा गया है। भिन्न-भिन्न नलकूपों से आये हुये विवरण अपूर्ण पाये गये। इस प्रकार के दोष स्टाक के दुरुपयोगों के लिये क्षेत्र प्रदान करते हैं। ठेकेदारों को दिये गये सामान का कोई ठीक हिसाब नहीं रक्खा गया और न उसका खर्च तथा बचत का ही हिसाब रक्खा गया। कुछ विषयों का स्पष्ट हिसाब जैसा कि पिछले लेखा निरीक्षण में कहा गया था नहीं बनाया गया। गंभीर लेखे की आपत्तियों का वक्रगति से पालन किया गया है तथा उनमें से बहुत सी आपत्तियां बहुत दिनों से बिना कार्यान्वित किये हुये पड़ी हैं।

स्टोर के लेखे में तथा सामान्य लेखे में निकट संपर्क नहीं है। वर्ष के अन्त में स्टोर के लेन-देन छांटे जाते हैं तथा इस प्रकार पायी गयी रकमें चिट्ठों में रोकड़ बही में (adjust ment entry) करके लिख दी जाती है।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७७ पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र (१९५७) के ६ठें शुक्रवार के लिये श्री मूलचन्द्र द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२७ के उत्तर में उल्लिखित तालिका

क्रम-इन्टर कालेज सं० का नाम	कक्षा ६		कक्षा ७		कक्षा ८		कक्षा ९		कक्षा १०		कक्षा ११		कक्षा १२		योग	
	हरिजन छात्रों की संख्या	फीस माफ छात्रों की संख्या	हरिजन छात्रों की संख्या	फीस माफ छात्रों की संख्या	हरिजन छात्रों की संख्या	फीस माफ छात्रों की संख्या	हरिजन छात्रों की संख्या	फीस माफ छात्रों की संख्या	हरिजन छात्रों की संख्या	फीस माफ छात्रों की संख्या	हरिजन छात्रों की संख्या	फीस माफ छात्रों की संख्या	हरिजन छात्रों की संख्या	फीस माफ छात्रों की संख्या	हरिजन छात्रों की कुल संख्या	फीस माफ छात्रों की कुल संख्या
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
१ जे०एल०एम० डी० जे० उ० मा० विद्यालय, खैराबाद ..	११	११	१२	१२	१०	१०	३१	२६	१०	८	५	३	३	३	८२	७३
२ आर०आर०डी० इन्टर कालेज, सीतापुर	६	६	६	६	१३	१३	२८	२८	२२	२२	१०	१०	१५	१५	१००	१००
३ एम० डी० वी० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मिश्रिख ..	२९	२९	१३	१३	१९	१९	६३	६३	३४	३४	१६	१६	५	५	१७९	१७९

४ बांधी विद्यालय उच्चतर मा०वि०, सिधौली..	२	२	२	२	४	४	९	९	५	५	९	९	२	२	३३	३३
५ एस० जे०डी० इन्टर कालेज, बिसवां ..	१०	१०	१०	१०	१४	१४	२०	२०	१३	१३	७	७	१	१	७५	७५
६ उजागर लाल हा०से० स्कूल, सीतापुर ..	१२	१२	३	३	५	५	१२	१२	१०	१०	५	५	२	२	४९	४९
७ आर०एम०पी० इन्टर कालेज, सीतापुर ..	६	६	२	२	३	३	८	८	४	४	१	१	५	५	२९	२९
८ कृषक हा० से० स्कूल, महोली।	३४	३३	३६	३६	३३	३२	३८	३५	३३	३२	७	७	१	१	१८२	१७६
योग ..	११०	१०९	८४	८४	१०१	१००	२०९	२०१	१३१	१२८	६०	५८	३४	३४	७२९	७१४

नोट—प्रश्न कर्ता ने ५ कालेजों के विषय में सूचना मांगी है। परन्तु सीतापुर में कालेजों की संख्या इस समय ८ हैं। अतः इन ८ कालेजों से संबंधित वांछित सूचना ऊपर दी गई है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा